# जिला आपदा प्रबंधन योजना, औरंगाबाद

## DISTRICT DISASTER MANAGEMENT PLAN, AURANGABAD

## जिले का संसाधन, मानक संचालन प्रक्रिया, सुरक्षात्मक सुझाव एवं राज्यादेश

## खंड–2

## SOPs, ADVISORIES & GOVERNMENT CIRCULARS

## VOLUME-2

जिला आपदा प्रबंधन योजना, औरंगाबाद

प्रकाशक : जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, औंरगाबाद 824101

दूरभाष : 06186–295027,
**Email ID : apdasection@gmail.com,**

मार्गदर्शन एवं सम्पुष्टि : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना ।
पिन कोड : 800001

| अनुलग्नक 1. संभावित बाढ़ 2022 के दृष्टिकोण से औरंगाबाद जिला में उपलब्ध राहत एवं बचाव सामग्रियों की विवरणी | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| क्र0 | अंचल का नाम | देशी नाव | | इन्फ्लैटेबल मोटरबोट की संख्या | | पॉलीथीन शीट्स | टैंट की संख्या | महाजाल की संख्या | लाईफ जैकेट की संख्या | इन्फ्लैटेबल लाईटिंग सिस्टम की संख्या | GPS सेट की संख्या | मोटरवोट ड्राईवर की संख्या | प्रशिक्षित गोताखोरों की संख्या | खोज, बचाव एवं राहत दलों की संख्या | चिन्हित शरण स्थलों की संख्या |
| | | सरकारी नावों की संख्या परिचालन योग्य | निजी नावों की संख्या जिनके साथ एकरारनामा किया गया है | परिचालन योग्य | मरम्मति योग्य | उपलब्ध पॉलीथीन शीट्स की सं0 | | | | | | | | | |
| 1 | औरंगाबाद | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | बारूण | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 3 | नवीनगर | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 4 | गोह | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 5 | हसपुरा | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 6 | दाउदनगर | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 7 | ओबरा | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 8 | देव | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | मदनपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | रफीगंज | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | कुटुम्बा | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| कुल | | **0** | **17** | **0** | **0** | **500** | **94** | **1** | **10** | **0** | **83** | **0** | **0** | **48** | **69** |

# प्रपत्र–1 / प्रपत्र–2

## बाढ़ 2022 : चिन्हित किए गए बाढ़ राहत शिविर /सामुदायिक रसोई केन्द्रों की सूची

जिला का नाम :– औरंगाबाद।　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक–28.06.2022

| क्र0सं0 | अंचल का नाम | पंचायत का नाम | गाँव का नाम | चिन्हित किए गए राहत शिविर स्थल का नाम | राहत शिविर स्थल का देशांतर (**Latitude Up to 5 decimal place eg-26.52304**) | राहत शिविर स्थल का अक्षांश (**Longitude Up to 5 decimal place eg-26.52304**) | बाढ़ शरणार्थियों को रखने की क्षमता (संख्या) | पेयजल की सुविधा (हाँ / नहीं) | बिजली की सुविधा (हाँ / नहीं) | शौचालय की सुविधा (हाँ / नही) | शिविर प्रभारी | | | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | नाम | पदनाम | मोबाईल नम्बर | |
| 1 | गोह | मिरपुर | अंकुरी | म0 वि0 अंकुरी | 25.03498 | 84.61910 | 500 | हाँ | हाँ | हॉ | संतोष कुमार | राजस्व कर्मचारी | **78580 52491** | |
| 2 | | तेयाप | हमीदनगर | म0 वि0 हमीदनगर | 25.05869 | 84.63532 | 1400 | हाँ | हाँ | हॉ | योगेन्द्र सिंह | पंचायत सचिव | **82100 00952** | |
| 3 | | | तेयाप | पंचायत सरकार भवन, तेयाप | 25.04124 | 84.67292 | | | | | | | | |
| 4 | | देवहरा | शेखपुरा | म0 वि0 शेखपुरा | 24.98407 | 84.57190 | 1000 | हाँ | हाँ | हॉ | रामजीवन राम | पंचायत सचिव | **77818 50143** | |
| 5 | | | देवहरा | उ0 वि0 देवहरा | 25.00448 | 84.57037 | | | | | | | | |
| 6 | | बनतारा | बेला खजांची बिगहा बिलारू मठ | म0 वि0 बेला | 25.08750 | 84.68676 | 500 | हाँ | हाँ | हॉ | विजय कुमार सिंह | पंचायत सचिव | **99636 70988** | |
| 7 | | उपहारा | उपहारा | उ0 म0 वि0 उपहारा | 25.08614 | 84.69529 | 500 | हाँ | हाँ | हॉ | मुस्तफा आलम | राजस्व कर्मचारी | **94314 34035** | |
| 8 | | फाग | सागरपुर | उ0 वि0 सागरपुर | 24.94284 | 84.58288 | 500 | हाँ | हाँ | हॉ | श्रवण कुमार सिंह | पंचायत सचिव | **89692 66948** | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | दधपी | कैथी बेनी | म0 वि0 कैथी बेनी | 24.98843 | 84.61304 | 1000 | हाँ | हाँ | हॉ | सुभाष कुमार | राजस्व कर्मचारी | 72608 72789 | |
| 10 | | | नगाईन | म0 वि0 नगाईन | 24.99141 | 84.59881 | | | | | | | | |
| 11 | औरंगाबाद | जम्होर | जम्होर | म0 वि0 जम्होर | 24.85322 | 84.32013 | 500 | हाँ | हाँ | हॉ | तौकिर अहमद | राजस्व कर्मचारी | 85419 48989 | |
| 12 | | खैरा बिन्द | बभण्डी | म0वि0 बभण्डी | 24.78473 | 84.32607 | 200 | हाँ | हाँ | हॉ | राकेश कुमार | राजस्व कर्मचारी | 96315 57823 | |
| 13 | | इब्राहिमपुर | उन्थु | म0वि0 उन्थु | 24.81199 | 84.40444 | 250 | हाँ | हाँ | हॉ | सुरेन्द्र कुमार | राजस्व कर्मचारी | 99311 02744 | |
| 14 | हसपुरा | कोइलवाँ | अल्पा | प्रा0 वि0 अल्पा | 24.96999 | 84.51961 | 60 | हाँ | हाँ | हॉ | श्री निर्मल कुमार सिंह | राजस्व कर्मचारी | 82522 21260, 94304 04880 | |
| 15 | | | ईटवां | प्रा0 वि0 ईटवाँ | 24.96327 | 84.51904 | 60 | हाँ | हाँ | हॉ | | | | |
| 16 | | | झिगुरी | म0 वि0 झिंगुरी | 24.96807 | 84.52766 | 60 | हाँ | हाँ | हॉ | | | | |
| 17 | | | चनहट | म0 वि0 चनहट | 24.98021 | 84.52828 | 60 | हाँ | हाँ | हॉ | | | | |
| 18 | | | कोइलवाँ | उ0 वि0 कोइलवाँ | 24.99141 | 84.52034 | 60 | हाँ | हाँ | हॉ | | | | |
| 19 | | मलहारा | मलहारा | उ0 वि0 मलहारा | 25.00570 | 84.57904 | 60 | हाँ | हाँ | हॉ | श्री विनय कुमार शर्मा | राजस्व कर्मचारी | 91559 96276 93347 52714 | |
| 20 | | धुसरी | भौली | प्रा0 वि0 भौली | 24.98326 | 84.53122 | 60 | हाँ | हाँ | हॉ | श्री निर्मल कुमार सिंह | राजस्व कर्मचारी | 82522 21260, 94304 04880 | |
| 21 | | | सोनबरसा | म0 वि0 सोनबरसा | 24.97334 | 84.54095 | 60 | हाँ | हाँ | हॉ | | | | |
| 22 | | | तिलौती | प्रा0 वि0 तिलौती | 24.98493 | 84.55967 | 60 | हाँ | हाँ | हॉ | | | | |
| 23 | | | बनकट कैथी | प्रा0 वि0 बनकट कैथी | 24.98542 | 84.56005 | 60 | हाँ | हाँ | हॉ | | | | |
| 24 | रफीगंज | पौथु | पौथु | उ0 वि0 पौथु | 24.81198 | 84.63460 | 150 | हाँ | हाँ | हॉ | दिलिप कुमार राय | राजस्व कर्मचारी | 99390 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | | | पौथु | पंचायत सरकार भवन, पौथु | 24.92693 | 84.53604 | 100 | हॉं | हॉं | हॉ | | | 16288 | |
| 26 | | | बरपा | म0 वि0 बरपा | 24.95635 | 84.56199 | 60 | हॉं | हॉं | हॉ | | | | |
| 27 | | चरकावाँ | चरकावाँ | प्रखण्ड परिषद् | 24.81984 | 84.63910 | 40 | हॉं | हॉं | हॉ | | | | |
| 28 | | केराप | केराप | प्रखण्ड परिषद् | 24.82012 | 84.64233 | 40 | हॉं | हॉं | हॉ | | | | |
| 29 | नवीनगर | महुआँव | ससना | म0 वि0 ससना | 24.78279 | 84.14478 | 400 | हॉं | हॉं | हॉ | श्री अजय प्रकाश | राजस्व कर्मचारी | 88739 09560 | |
| 30 | | | | प्रा0 वि0, ससना | 24.78281 | 84.14490 | 200 | हॉं | हॉं | हॉ | | | | |
| 31 | | | रहरा | म0 वि0, रहरा | 24.77212 | 84.13312 | 300 | हॉं | हॉं | हॉ | | | | |
| 32 | | | महुआँव | म0 वि0 , महुआँव | 24.76099 | 84.12669 | 400 | हॉं | हॉं | हॉ | | | | |
| 33 | | | तेतरहट | म0 वि0 तेतरहट | 24.75261 | 84.11972 | 300 | हॉं | हॉं | हॉ | | | | |
| 34 | | कंकेर | कंकेर | म0 वि0, कंकेर | 24.74075 | 84.11599 | 500 | हॉं | हॉं | हॉ | | | | |
| 35 | | | | प्रा0 वि0, कंकेर | 24.74195 | 84.11610 | 200 | हॉं | हॉं | हॉ | | | | |
| 36 | | | बड़ेम | म0 वि0, बडेम | 24.73176 | 84.11149 | 500 | हॉं | हॉं | हॉ | | | | |
| 37 | | नाउर | तेतरिया | म0 वि0 तेतरिया | 24.67363 | 84.05102 | 400 | हॉं | हॉं | हॉ | श्री अरूण कुमार दास | राजस्व कर्मचारी | 9955459 042 | |
| 38 | | | | प्रा0 वि0 तेतरिया | 24.67350 | 84.05111 | 200 | हॉं | हॉं | हॉ | | | | |
| 39 | बारूण | बारूण | बारूण | पंचायत सरकार भवन | 24.86332 | 84.22403 | 1200 | हॉं | हॉं | हॉ | ओम प्रकास सिन्हा | राजस्व कर्मचारी | 8789613 719 | |
| 40 | | कोचाढ | कोचाढ | पंचायत सरकार भवन | 24.88181 | 84.23255 | 500 | हॉं | हॉं | हॉ | अरविन्द कुमार सिंह | राजस्व कर्मचारी | 7488447 051 | |
| 41 | | गोठौली | धर्मपुरा | धर्मपुरा हाईस्कूल | 24.90653 | 84.28916 | 500 | हॉं | हॉं | हॉ | दुर्गा प्रसाद सिंह | पंचायत सेवक | 6207857 090 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | | धनगाई | धनगाई | पंचायत सरकार भवन | 24.96204 | 84.31242 | 1000 | हाँ | हाँ | हॉ | अबरार हसन | राजस्व कर्मचारी | 9199114 812 | |
| 43 | | पौथु | पौथु | इन्टर विद्यालय पौथु | 24.85935 | 84.29521 | 1000 | हाँ | हाँ | हॉ | विनय कुमार | राजस्व कर्मचारी | 8757882 064 | |
| 44 | | काजीचक | पोखराहॉ | केसव सिंह यादव उ0मा0वि0 पोखराहॉ | 24.86752 | 84.25178 | 1000 | हाँ | हाँ | हॉ | ज्ञानप्रकाश वेद | जन सेवक | 9661325 772 | |
| 45 | | जनकोप | जनकोप | म0वि0 जनकोप | 24.78634 | 84.31092 | 500 | हाँ | हाँ | हॉ | जय कुमार | राजस्व कर्मचारी | 7654964 562 | |
| 46 | | मेह | मेह | उ0 मा0 वि0 मेह | 24.81529 | 84.16172 | 1000 | हाँ | हाँ | हॉ | सिद्धेश्वर पासवान | जन सेवक | 7654325 448 | |
| 47 | | दुधार | सुन्दरगंज | उ0 मा0 वि0 सुन्दरगंज | 24.72564 | 84.30406 | 1000 | हाँ | हाँ | हॉ | अवधेश राम | पंचायत सेवक | 6202586 232 | |
| 48 | | खैरा | कदोखरी | मा0 उ0 वि0 कदोखरी | 24.74618 | 84.28992 | 500 | हाँ | हाँ | हॉ | अशोक कुमार मेहता | राजस्व कर्मचारी | 8434553 670 | |
| 49 | मदनपुर | एरकी कला | एरकी कला | रा0म0वि0 एरकी कला | 24.71366 | 84.49581 | 200 | हाँ | हाँ | हॉ | श्री सुर्यदेव सिंह | राजस्व कर्मचारी | 9801945 704 | |
| 50 | | दधपी | दधपी | रा0उ0वि0 दधपी | 24.69499 | 84.49155 | 250 | हाँ | हाँ | हॉ | | | | |
| 51 | | खिरियॉवा | खिरियॉवा | रा0म0वि0 खिरियॉवा | 24.66504 | 84.59771 | 400 | हाँ | हाँ | हॉ | श्री विजय कुमार गुप्ता | राजस्व कर्मचारी | 9661486 140 | |
| 52 | | मदनपुर | मदनपुर | उ0वि0मदनपुर | 24.65414 | 84.58310 | 600 | हाँ | हाँ | हॉ | | | | |
| 53 | | मनिका | मनिका | म0वि0 मनिका | 24.65421 | 84.50143 | 150 | हाँ | हाँ | हॉ | श्री सत्येन्द्र चौरसिया | राजस्व कर्मचारी | 7250173 676 | |
| 54 | | बेरी | बेरी | उ0वि0 बेरी | 24.67345 | 84.59765 | 600 | हाँ | हाँ | हॉ | | | | |
| 55 | | पिपरौरा | पिपरौरा | पंचायत सरकार भवन | 24.75401 | 84.53014 | 500 | हाँ | हाँ | हॉ | श्री परमेश्वर मोची | राजस्व कर्मचारी | 9262272 370 | |
| 56 | ओबरा | ओबरा | ओबरा | उ0 वि0 ओबरा | 24.88509 | 84.36789 | 200 | हाँ | हाँ | हॉ | अरूण कुमार सिंह | राजस्व अधिकारी | 9910531 796 | |
| 57 | | ओबरा | ओबरा | अंचल कार्यालय ओबरा | 24.88521 | 84.36608 | 150 | हाँ | हाँ | हॉ | | | | |
| 58 | | बभंडीहा | बभंडीहा | रा0 म0 वि0 बभंडीहा | 24.88492 | 84.36785 | 200 | हाँ | हाँ | हॉ | अरूण कुमार | राजस्व कर्मचारी | 8709954 789 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | | तेजपुरा | तेजपुरा | उ0 म0 वि0 तेजपुरा | 25.17165 | 85.16355 | 150 | हाँ | हाँ | हॉ | श्याम सुंदर प्रसाद | राजस्व कर्मचारी | 854190908 | |
| 60 | | डिहरा | नवनेर | गर्ल्स हाई स्कूल नवनेर | 24.89052 | 84.35103 | 100 | हाँ | हाँ | हॉ | अरूण कुमार | राजस्व कर्मचारी | 8709954789 | |
| 61 | | खुदवां | सागरपुर | प्रा0 वि0 सागरपुर | 24.88497 | 84.36790 | 150 | हाँ | हाँ | हॉ | त्रिलोकीनाथ पांडेय | राजस्व कर्मचारी | 9931429031 | |
| 62 | दाउदनगर | दाउदनगर | दाउदनगर | कादरी उ0 वि0 दाउदनगर | 25.03465 | 84.39636 | 150 | हाँ | हाँ | हॉ | मो0 खुर्शिद अंसारी | राजस्व कर्मचारी | 9065379911 | |
| 63 | | | | अशोक ईण्टर वि0 दाउदनगर | 25.03851 | 84.41051 | 200 | हाँ | हाँ | हॉ | | | | |
| 64 | | | | कन्या उ0 वि0 दाउदनगर | 25.03443 | 84.40963 | 300 | हाँ | हाँ | हॉ | | | | |
| 65 | | | | कादरी म0 वि0 दाउदनगर | 25.03472 | 84.39664 | 500 | हाँ | हाँ | हॉ | | | | |
| 66 | | | | राष्ट्रीय म0 वि0 दाउदनगर | 25.03620 | 84.40607 | 100 | हाँ | हाँ | हॉ | | | | |
| 67 | | | | नगरपालिका 01 म0 वि0 दाउदनगर | 25.03397 | 84.39974 | 400 | हाँ | हाँ | हॉ | | | | |
| 68 | | | | नगरपालिका 02 म0 वि0 दाउदनगर | 25.03455 | 84.40635 | 400 | हाँ | हाँ | हॉ | | | | |
| 69 | | | | ठाकुर म0 वि0 दाउदनगर | 25.03537 | 84.39210 | 400 | हाँ | हाँ | हॉ | | | | |

अनुलग्नक–(3)बाढ़ प्रबन्धन हेतु मानक संचलन प्रक्रिया **(SOP) :**

# बाढ़ प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (S.O.P.) FOR FLOOD MANAGEMENT

## अनुक्रमणिका



| क्र० सं० | विषय |
|---|---|
| 1. | सामान्य |
| 2. | बाढ़ प्रबंधन हेतु संस्थात्मक ढाँचा |
| 3. | बाढ़ अवधि के उपरान्त एवं आगामी बाढ़ मौसम के पूर्व की जानेवाली कार्रवाई |
| 4. | बाढ़ अवधि के दौरान तैयारी एवं कार्रवाई |
| 5. | परिशिष्ट<br>(I) बाढ़ उपरान्त एवं आगामी बाढ़ के पूर्व की जानेवाली कार्रवाईयों का चेक लिस्ट 'क' |
| | (II) बाढ़ अवधि के दौरान बाँधों का अनुरक्षण एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु की जानेवाली कार्रवाईयों का चेक लिस्ट 'ख' |



अंचल–2, प्रमंडल–3

अंचल–4, प्रमंडल–12

जल संसाधन विभाग में मुख्यालय स्तर पर अभियंता–प्रमुख (उ०) के नेतृत्व में मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग तथा अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना द्वारा बाढ़ प्रबंधन के अनुश्रवण की कार्रवाई की जाती है।

क्षेत्रीय स्तर पर बाढ़ प्रक्षेत्र से संबंधित कार्यों के लिए 10 मुख्य अभियंता कार्यालय, 23 अंचलीय कार्यालय एवं 65 प्रमंडलीय कार्यालय कार्यरत हैं।

## 2.2 बाढ़ प्रबंधन से सम्बद्ध राज्य/केन्द्र सरकार के अन्य विभाग

बाढ़ प्रबंधन के क्रम में निम्न विभागों एवं संगठनों से समन्वय रखा जाता है:–

**राज्य सरकार के विभाग/प्राधिकार**

1. गृह विभाग
2. आपदा प्रबंधन विभाग
3. पथ निर्माण विभाग
4. ग्रामीण कार्य विभाग
5. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
6. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
7. पर्यावरण एवं वन विभाग
8. बाढ़ प्रवण जिलों के जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक

**केन्द्र सरकार के विभाग/संगठन**

1. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, भारत सरकार
2. केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार
3. भारतीय मौसम विभाग, भारत सरकार

## 3.0 बाढ़ अवधि के उपरान्त एवं आगामी बाढ़ मौसम के पूर्व की जानेवाली कार्रवाई (16 अक्टूबर से 14 जून )

3.1 राज्य मे बाढ़ से होनेवाली समस्याओं का सामना सुव्यवस्थित ढंग से करने हेतु मानसून अवधि आरम्भ होने के पूर्व सभी तैयारियाँ पूरी कर ली जाय ताकि बाढ़ अवधि के दौरान तटबंधों की पूर्ण सुरक्षा हो सके। बाढ़ पूर्व तैयारियों के अन्तर्गत की जानेवाली विभिन्न कार्रवाई चेक लिस्ट 'क' में उल्लिखित है (परिशिष्ट–I)। ये सभी कार्य निम्नांकित मानक बाढ़ कैलेण्डर के अनुसार कार्यान्वित किये जायेंगे–

### मानक बाढ़ कैलेन्डर

| क्र० | घटनाक्रम (Events) | निर्धारित तिथि |
|---|---|---|
| 1 | यांत्रिक एवं असैनिक अभियंताओं द्वारा तटबंधों पर निर्मित संरचनाओं का संयुक्त निरीक्षण | 17 सितम्बर से 20 सितम्बर |
| 2 | कटाव निरोधक समिति द्वारा स्थल निरीक्षण | 21 सितम्बर से 23 सितम्बर |
| 3 | कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उप–समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण | |
| | (क) गंडक (पी०पी०) तटबंध | 24 सितम्बर से 26 सितम्बर |
| | (ख) कोशी तटबंध | 27 सितम्बर से 30 सितम्बर |
| 4 | टी०ए०सी० के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन | 01 अक्टूबर |
| 5 | टी०ए०सी० की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन | 08 अक्टूबर से 14 अक्टूबर |
| 6 | कोशी/गंडक नदी के लिये गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण | |
| | (क) गंडक (पी०पी०) तटबंध | 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर |
| | (ख) कोशी तटबंध | 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | टी०ए०सी० की अनुशंसा के आलोक में एस०आर०सी० के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन | 17 अक्टूबर |
| 8 | 12.50 करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं के तकनीकी एप्रेजल हेतु अध्यक्ष, जी०एफ०सी०सी० के साथ विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों की बैठक | 18 अक्टूबर |
| 9 | कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में एस०आर०सी० के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन | 24 अक्टूबर |
| 10 | एस०आर०सी० की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन | 25 से 29 अक्टूबर |
| 11 | बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् की संभावित बैठक | 10 नवम्बर |
| 12 | **कार्यक्रम** | |
| | (क) योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति | 12 नवम्बर |
| | (ख) प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति की तिथि | 14 नवम्बर |
| | (ग) निविदा आमंत्रण की तिथि * | 16 से 20 नवम्बर |
| | (घ) निविदा प्राप्ति की तिथि ** | 10 से 13 दिसम्बर |
| | (ङ) निविदा निष्पादन की तिथि | 28 दिसम्बर |
| | (च) कार्य आवंटन की तिथि | 31 दिसम्बर |
| | (छ) कार्य आरम्भ की तिथि | 01 जनवरी |
| | (ज) कार्य समाप्ति की तिथि | 15 मई |
| 13 | कटाव निरोधक कार्य हेतु अनुवीक्षण दल का गठन एवं प्रस्तावित दौरे का कार्यक्रम | 07 जनवरी |
| 14 | बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु विशेष अनुदेश | 02 मई |
| 15 | कटाव निरोधक कार्यों की समाप्ति के पश्चात् अंतिम प्रतिवेदन | 31 मई |
| 16 | बाढ़ नियंत्रण कोषांग/कक्ष का गठन | 03 जून |
| 17 | बाढ़ संघर्षात्मक बल का गठन | 05 जून |

| | **स्थल निरीक्षण तथा समीक्षा** | |
|---|---|---|
| 18 | विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के प्रथम एप्रेजल हेतु स्थल निरीक्षण | 15 मार्च से 15 अप्रैल |
| 19 | विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के द्वितीय एप्रेजल हेतु स्थल निरीक्षण | 01 से 15 मई |
| 20 | विभागीय मंत्री/उच्चाधिकारियों द्वारा मुख्य अभियंतावार बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा | 01 से 15 जून |

* पुनर्निविदा के मामले में तीन दिनों के अन्दर अल्पकालीन निविदा प्रकाशित की जाएगी तथा निविदा प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर निविदा निस्तार किया जाएगा।

** निविदा प्राप्ति की तिथि मुख्य अभियन्ता, समस्तीपुर के लिए 10 दिसम्बर, मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर एवं वाल्मीकिनगर के लिए 11 दिसम्बर, मुख्य अभियन्ता, वीरपुर, पूर्णिया एवं भागलपुर के लिए 12 दिसम्बर एवं अन्य सभी मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्र के लिए 13 दिसम्बर होगी।

## 3.2 बाढ़ मौसम के पूर्व कार्यान्वित की जानेवाली कटाव निरोधक योजनाओं के स्वरूप का निर्धारण

बाढ़ मौसम के उपरान्त जल संसाधन विभाग द्वारा **मानक बाढ़ कैलेन्डर** के अनुसार विभिन्न गतिविधियों को कार्यान्वित करने के क्रम में कटाव निरोधक योजनाओं के स्वरूप निर्धारण हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई की जायेंगी :–

(i) कार्यपालक अभियंता द्वारा क्षतिग्रस्त स्थलों को चिन्हित करते हुए कटाव निरोधक योजनाओं को तैयार किया जाना।

(ii) तटबंधों पर निर्मित संरचनाओं का यांत्रिक अभियंताओं के साथ संयुक्त निरीक्षण कर संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा योजना तैयार किया जाना।

(iii) मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित कटाव निरोधक समिति, जिसमें सम्बन्धित मुख्य अभियंता के अतिरिक्त अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता सम्मिलित रहते हैं, द्वारा कटाव निरोधक योजनाओं का स्वरूप निर्धारित कर विहित रूप में इसे तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।

### 3.3 तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन :

मुख्य अभियंता कटाव निरोधक समिति की अनुशंसा के आधार पर सूत्रित योजनाओं को राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे। यह समिति निम्नवत् गठित है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1 | मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, पटना | अध्यक्ष |
| 2 | अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना | सदस्य |
| 3 | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा | सदस्य |
| 4 | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान | सदस्य |
| 5 | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वाल्मीकिनगर | सदस्य |
| 6 | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग,पूर्णियाँ | सदस्य |
| 7 | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर | सदस्य |
| 8 | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर | सदस्य |
| 9 | मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना | सदस्य |
| 10 | मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना | सदस्य |
| 11 | मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पटना | सदस्य |
| 12 | निदेशक, कृषि विभाग, पटना | सदस्य |
| 13 | मुख्य वन संरक्षक, पटना | सदस्य |
| 14 | केन्द्रीय (नदी प्रबन्धन) जल आयोग–212 द्वितीय तल, दक्षिण खंड, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली का एक सदस्य | सदस्य |
| 15 | मुख्य अभियंता (ब्रीज) पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उ0 प्रदेश | सदस्य |
| 16 | मुख्य अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर | सदस्य |
| 17 | मुख्य अभियंता (ब्रीज), उत्तर पूर्वी सीमान्त रेलवे, मालीगाँव, गुवाहाटी (आसाम) | सदस्य |
| 18 | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना | सदस्य |
| 19 | अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना | सदस्य |
| 20 | अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण रूपांकण अंचल, पटना | सदस्य सचिव |

### 3.4 कोशी/गंडक नदी (पी०पी० तटबंध) से संबंधित योजना हेतु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के साथ विशेष व्यवस्था

#### 3.4.1 कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उप समिति :

कोशी नदी के तटबंधों एवं गंडक नदी के पिपरासी–पिपराघाट तटबंध संबंधी मामलों में प्रस्ताव संबंधित मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित कटाव निरोधक समिति द्वारा तैयार किया जायेगा। इन्हें कोशी एवं गंडक नदी के लिए पृथक–पृथक गठित उच्चस्तरीय समिति के उप–समितियों के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

ये उप–समितियाँ निम्नवत गठित हैं–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, बिहार | अध्यक्ष |
| 2 | गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का एक मनोनीत पदाधिकारी | सदस्य |
| 3 | मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना | सदस्य |
| 4 | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, प्रभारी कोशी तटबंध/प्रभारी गंडक पिपरासी–पिपराघाट तटबंध | सदस्य सचिव |

उपर्युक्त उप–समितियों के स्थल निरीक्षण के दौरान कार्यपालक अभियंता निम्नलिखित अभिलेखों को उप–समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे –

- ✔ नदी का रिजिम प्लान, जिसमें पूर्व के वर्षो के कटावों की स्थिति अंकित हो;
- ✔ स्थल का प्रोबिंग चार्ट;
- ✔ पूर्व के वर्षो में कराये गये बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का विवरण एवं फलाफल;
- ✔ पूर्व के वर्षो में कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों का व्यौरा;
- ✔ निकटतम स्थल पर अवस्थित गेज स्टेशनों के गेज पठन एवं जलस्राव आँकड़े;
- ✔ क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित कार्य एवं अनुमानित लागत का विवरण;
- ✔ कोई अन्य वांछित सूचना।

### 3.4.2 कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति

कोशी / गंडक उच्चस्तरीय समिति की उप–समिति की अनुशंसा के आलोक में मुख्य अभियंता, वीरपुर एवं सिवान क्रमशः कोशी तटबंध एवं गंडक के पिपरासी–पिपराघाट तटबंध की सुरक्षा हेतु योजनाएँ अनुमानित लागत के साथ बनाकर कोशी एवं गंडक उच्चस्तरीय समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे। ये समितियाँ निम्नवत् गठित हैं :–

#### कोशी उच्चस्तरीय समिति

| | | |
|---|---|---|
| 1 | अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना | अध्यक्ष |
| 2 | निदेशक, शोध संस्थान, पूणे अथवा उनका प्रतिनिधि | सदस्य |
| 3 | केन्द्रीय (बाढ़) जल आयोग, नई दिल्ली का एक सदस्य/ उनका प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4 | अभियंता प्रमुख (उ०), जल संसाधन विभाग, पटना | सदस्य |
| 5 | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा | सदस्य |
| 6 | मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, पटना | सदस्य |
| 7 | मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना | सदस्य |
| 8 | निदेशक, पूर्वी क्षेत्र, जल संसाधन विभाग, नेपाल सरकार, विराटनगर, नेपाल | सदस्य |
| 9 | उप–महानिदेशक, जल संसाधन विभाग, नेपाल सरकार, काठमांडू | सदस्य |
| 10 | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर | सदस्य सचिव |

#### गंडक उच्चस्तरीय समिति

| | | |
|---|---|---|
| 1 | अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना | अध्यक्ष |
| 2 | अभियंता प्रमुख (उ०), जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना | सदस्य |
| 3 | अभियंता प्रमुख, डी.एण्ड पी., सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, सिंचाई भवन, कैनाल कॉलौनी, लखनऊ–226001 | सदस्य |
| 4 | निदेशक, केन्द्रीय जल व उर्जा अनुसंधान स्टेशन, पो०– खड़कवासला, पूणे–411024 | सदस्य |
| 5 | मुख्य अभियंता केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, पटना | सदस्य |
| 6 | निदेशक, सिंचाई शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार, रूड़की | सदस्य |
| 7 | निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना | सदस्य सचिव |

कोशी एवं गंडक उच्चस्तरीय समिति क्रमशः कोशी तटबंध एवं गंडक (पिपरासी–पिपराघाट) तटबंध के विभिन्न आक्राम्य स्थलों का निरीक्षण करते हुए संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा समर्पित योजना का तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन कर अपनी अनुशंसा करेगी।

### 3.5 योजना समीक्षा समिति (एस०आर०सी०) के समक्ष बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं का उपस्थापन

तकनीकी सलाहकार समिति एवं कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं के आलोक में मुख्य अभियंता द्वारा योजना प्राक्कलन तैयार कर विभागीय योजना समीक्षा समिति के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा। विभागीय योजना समीक्षा समिति निम्नवत् गठित है:–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | अभियंता प्रमुख (उ०), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना | अध्यक्ष |
| 2 | गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का एक सदस्य (गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा मनोनीत) | सदस्य |
| 3 | मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना | सदस्य |
| 4 | मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, पटना–सह–अध्यक्ष राज्य तकनीकी सलाहकार समिति | सदस्य |

### 3.5.1 योजना समीक्षा समिति की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन समर्पण

योजना समीक्षा समिति, तकनीकी सलाहकार समिति/उच्चस्तरीय समितियों द्वारा अनुशंसित योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए आवश्यक योजनाओं का चयन उपलब्ध निधि सीमा के अन्तर्गत करेगी। योजनाओं की समीक्षा एवं उनका चयन करते समय राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा निर्धारित निम्नांकित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जायेगा :–

**प्रथम प्राथमिकता–** तटबंधों एवं निवृत्त तटबंधों की सुरक्षा।

**द्वितीय प्राथमिकता–** बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य पथ, बड़े–बड़े शहरों एवं पुरानी घनी आबादी वाले बस्तियों की सुरक्षा।

**तृतीय प्राथमिकता–** कृषि योग्य भूमि एवं दियारा क्षेत्र में सुरक्षात्मक कार्य।

### 3.6 बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् की बैठक में योजनाओं का प्रस्तुतिकरण

योजना समीक्षा समिति द्वारा चयनित योजनाओं के आधार पर विभाग एक कार्यावली तैयार करेगा, जिसमें बाढ़ प्रक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित व्यय तथा 30.00 करोड़ रूपये से अधिक लागत राशि वाली योजनाओं के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव सम्मिलित रहेगा। विभाग यह कार्यावली बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् के समक्ष उपस्थापित करेगा। यह पर्षद् निम्नवत् गठित है:–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | मुख्य मंत्री, बिहार | अध्यक्ष |
| 2 | वित्त मंत्री, बिहार | सदस्य |
| 3 | जल संसाधन मंत्री, बिहार | सदस्य |
| 4 | योजना मंत्री, बिहार | सदस्य |
| 5 | राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, बिहार | सदस्य |
| 6 | मुख्य सचिव, बिहार | सदस्य |
| 7 | प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार | सदस्य |
| 8 | विकास आयुक्त, बिहार | सदस्य |
| 9 | अभियंता प्रमुख (उ०), जल संसाधन विभाग, पटना | सदस्य |
| 10 | अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना | सदस्य |
| 11 | मुख्य अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर | सदस्य |
| 12 | मुख्य अभियंता, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर | सदस्य |
| 13 | प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार | सदस्य सचिव |

### 3.7 अनुशंसित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया

अनुशंसित योजनाओं में सामान्यतः रू० 12.50 करोड़ तक लागत राशि वाली योजनाएँ राज्य सरकार के निधि–स्रोत से कार्यान्वित की जाती है एवं रू० 12.50 करोड़ से अधिक लागत राशि वाली योजनाएँ भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय से केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर कार्यान्वित की जाती है। इसकी स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार निम्नवत् हैं :–

### 3.7.1 योजना मद के अन्तर्गत स्वीकृति प्राधिकार :–

| क्र० | योजना की राशि | स्वीकृति प्राधिकार |
|---|---|---|
| (i) | रू० 2.50 करोड़ तक की योजना | विभागीय सचिव |
| (ii) | रू० 2.50 करोड़ से रू० 10.00 करोड़ तक की योजना | विभागीय मंत्री |
| (iii) | रू० 10.00 करोड़ से रू० 20.00 करोड़ तक की योजना | विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री |
| (iv) | रू० 20.00 करोड़ से अधिक की योजना | मंत्रिपरिषद् |

3.7.2 **गैर योजना मद के अन्तर्गत स्वीकृति प्राधिकार :–**

| क्र० | योजना की राशि | स्वीकृति प्राधिकार |
|---|---|---|
| (i) | रू० 1.00 करोड़ तक की योजना | विभागीय सचिव |
| (ii) | रू० 5.00 करोड़ तक की योजना | विभागीय मंत्री |
| (iii) | रू० 5.00 करोड़ से अधिक की योजना | मंत्रिपरिषद् |

3.7.3 **केन्द्र सम्पोषित योजनाओं का वर्गीकरण एवं स्वीकृति की प्रक्रिया:–**

योजनाओं की प्रकृति एवं लागत राशि के अनुसार केन्द्रीय स्रोत से निधि प्राप्ति की निम्नांकित व्यवस्था है :–

(क) **केन्द्रांश : राज्यांश** – (75 : 25)

(ख) **केन्द्रांश : राज्यांश** – (90 : 10)

(ग) **केन्द्रांश** – (100%)

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत रू० 12.50 करोड़ से उपर की योजनाओं को गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित की जाती है। इनमें से रू० 25.00 करोड़ तक की लागत राशि वाली योजनाओं का टेक्नीकल एप्रेजल गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना के स्तर से किया जाता है एवं रू० 25.00 करोड़ से अधिक लागत राशि वाली योजनाओं का टेक्नीकल एप्रेजल जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से प्रदान किया जाता है। इसके उपरान्त योजना आयोग, भारत सरकार के स्तर से विनिवेश की स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के द्वारा केन्द्रांश की विमुक्ति की जाती है। नये कार्यों के मामले में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 75:25 रहता है जबकि क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्स्थापन के मामले में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 90:10 रहता है।

''**सीमावर्त्ती क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्य कलाप**'' (River Management Activities & Works related to Border Areas – RMAWBA) शीर्ष के अन्तर्गत कोशी उच्चस्तरीय समिति एवं गंडक उच्चस्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित तथा सीमावर्ती क्षेत्र में अवस्थित योजनाओं को लिया जाता है। इस शीर्ष के तहत् केन्द्र सरकार द्वारा शत–प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है।

बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य विहित अभिलेख के साथ राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति का दावा केन्द्र सरकार को समर्पित किया जाता है।

### 3.8 कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति का प्रबोधन

बाढ़ पूर्व कराये जानेवाले कटाव निरोधक कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति के प्रबोधन हेतु विभाग द्वारा मुख्य अभियंता प्रक्षेत्रवार विशेष जाँच दलों का गठन किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष अनुभवी सेवा–निवृत्त अभियंता प्रमुख / मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता होंगे।

### 3.9 कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु प्रगति की समीक्षा

मुख्य अभियंताओं द्वारा कार्य की प्रगति का एजेण्डावार साप्ताहिक प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित किया जायेगा जिसकी समीक्षा विभाग द्वारा नियमित रूप से की जायेगी।

## 4.0 बाढ़ अवधि के दौरान तैयारी एवं कार्रवाई (15 जून से 15 अक्टूबर)

4.1 राज्य में बाढ़ से होनेवाली समस्याओं का सुव्यवस्थित ढंग से सामना करने हेतु बाढ़ अवधि में की जानेवाली विभिन्न कार्रवाई चेक लिस्ट 'ख' में उल्लिखित है (परिशिष्ट–II)।

4.2 प्रत्येक वर्ष मानसून अवधि प्रारम्भ होने के पूर्व बाढ़ से संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन स्थलों का निरीक्षण कर तटबंधों के दरार, कटाव, क्षरण, चूहा एवं अन्य जानवरों से निर्मित छिद्र, रेन कट्स, पॉट होल्स एवं अन्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मती 31 मई के पूर्व निश्चित रूप से करा लेंगे। इस कार्य को अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

## 4.3 संभावित आक्राम्य स्थलों की सूची

4.3.1 पिछले दिनों में नदी के रिजिम में हुए किसी प्रकार के परिवर्तन की अद्यतन स्थिति के समीक्षोपरान्त यदि कोई नया आक्राम्य स्थल परिलक्षित हो रहा हो तो इसकी सूची कार्यपालक अभियंता 15 मई से 22 मई के बीच स्थल निरीक्षण कर अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता को समर्पित करेंगे।

तत्पश्चात् जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के साथ 23 मई से 25 मई के बीच संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा एवं यदि कुछ नये आक्राम्य स्थल परिलक्षित होंगे तो तदनुसार उपर्युक्त सूची को संशोधित कर लिया जायेगा।

मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता के साथ 26 मई से 31 मई के बीच इन आक्राम्य स्थलों का निरीक्षण करेगें एवं यदि आवश्यक हो तो मुख्य अभियंता अपने स्तर से समीक्षा करते हुए अन्तिम सूची तैयार करेंगे और इसे 1 जून तक विभाग में समर्पित करेंगे।

4.3.2 मुख्य अभियंता की यह भी जिम्मेवारी होगी कि मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप तटबंधों की गश्ती के संबंध में विभागीय स्तर से निर्गत सभी परिपत्रों को समेकित करते हुए तथा उपर्युक्त आक्राम्य स्थलों की सूची के साथ सभी अभियंताओं का कार्यक्षेत्र अंकित करते हुए बाढ़ अवधि के लिए "**बाढ़ प्रबंधन निर्देशिका**" निर्गत करेंगे। इस बाढ़ प्रबंधन निर्देशिका को मुख्य अभियंता जून के प्रथम सप्ताह में विभाग तथा संबंधित जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करायेंगे।

## 4.4 तटबंध सुरक्षा की जिम्मेवारी

- कनीय अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन बाढ़ प्रबंधन निर्देशिका के प्रावधान के तहत प्रत्येक दिन चार बार तटबंधों/संरचनाओं का निरीक्षण करेंगे। कनीय अभियंता का बाढ़ अवधि के दौरान मुख्यालय उनके परिक्षेत्राधीन पड़ने वाले तटबंध के अतिसंवेदनशील स्थल पर अस्थायी निर्मित कैम्प कार्यालय रहेगा। कनीय अभियंता मोटर साईकिल से गश्ती करेंगे एवं इस गश्ती हेतु कनीय अभियंता को प्रतिदिन दो लीटर पेट्रोल अनुमान्य रहेगा। सूचनाओं का आदान–प्रदान कनीय अभियंता VPN/CUG मोबाईल के माध्यम से करेंगे। स्थल की संवेदनशीलता के संबंध में किसी भी स्रोत से सूचना मिलने पर कनीय अभियंता आधा घंटा के अन्दर उस स्थल पर पहुँचकर बाँध की स्थिति से तत्काल सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को अवगत करायेंगे एवं सुरक्षा की प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर देंगे। कनीय अभियंता अपने कार्य क्षेत्राधीन सभी स्परों/आक्राम्य स्थलों पर स्थल पंजी, गेज पंजी, क्रेट लेईंग रजिस्टर, साउन्डिंग रजिस्टर एवं भंडार पंजी संधारित करेंगे।
- बाढ़ अवधि के दौरान सहायक अभियंता का मुख्यालय अधीनस्थ तटबंध के सर्वाधिक संवेदनशील स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता का मुख्यालय होगा। बाढ़ अवधि के दौरान प्रत्येक सहायक अभियंता को एक निरीक्षण वाहन उपलब्ध रहेगा। कनीय अभियंता अथवा किसी भी माध्यम से किसी स्थल की संवेदनशीलता की सूचना प्राप्त होते ही वे एक घंटा के अन्दर स्थल पर पहुँचकर, स्थिति से तत्काल कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को अवगत कराते हुए सुरक्षा की कार्रवाई को सम्पुष्ट करेगें। सहायक अभियंता कार्य से संबंधित सभी पंजियों को जाँच कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- कनीय अभियंता/सहायक अभियंता एवं अन्य किसी भी स्रोत से स्थल की संवेदनशीलता की जानकारी होते ही दो घंटे के भीतर कार्यपालक अभियंता स्थल पर पहुँचकर इसकी सुरक्षा हेतु वांछित कार्य का कार्यान्वयन सुनिश्चित

करेंगे एवं इस संबंध में अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता/अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल को सूचित करेंगे। विभागीय पदाधिकारियों के अलावा कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को तत्काल इसकी सूचना देंगे एवं अपेक्षित सहयोग प्राप्त करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध करेंगे। बाँध में यदि जान–बूझकर क्षति (sabotage) पहुँचाने की आशंका हो तो तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन को देंगे। आवश्यकतानुसार जनसहयोग के लिए जन–प्रतिनिधियों को भी सूचित करेंगे। प्रत्येक दिन सुबह 8.00 बजे पिछले चौबीस घंटे का खैरियत प्रतिवेदन केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्षों तथा संबंधित जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को देंगे। इसके अतिरिक्त स्थलवार कराये जा रहे बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के परिमाण एवं राशि विहित प्रपत्र में, नदी का गेज पठन एवं जलश्राव की सूचना मुख्यालय को दैनिक रूप से उपलब्ध करायेंगे।

कार्यपालक अभियंता का यह दायित्व होगा कि आपातकालीन कार्य हेतु सूचीबद्ध संवेदकों में से किसी एक को नामांकित कर कार्य का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

- अधीक्षण अभियंता स्थल की संवेदनशीलता की सूचना प्राप्त होते ही तीन घंटे के अन्दर स्थल पर पहुँचकर सुरक्षात्मक कार्य की प्रगति से संतुष्ट होते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देंगे एवं मोबाईल/बेतार संवाद द्वारा मुख्य अभियंता तथा विभाग को अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगे।

    कराये जा रहे बाढ़ संघर्षात्मक कार्य की राशि जब अधीक्षण अभियंता को नामांकन की प्रदत्त शक्ति से अधिक हो जाय तो कार्य में लागत की वृद्धि एवं इसके औचित्य की सूचना अविलम्ब मुख्य अभियंता/विभाग को देते हुए इसपर स्वीकृति प्राप्त करेंगे। अभियंता प्रमुख (उ०) की यह जिम्मेवारी होगी कि चौबीस घंटे के भीतर नामांकन प्रस्ताव गुण–दोष के आधार पर स्वीकृत कर इसकी सूचना मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता को दें।

- मुख्य अभियंता स्थल के संवेदनशीलता के बारे में सूचना पाने के चार घंटे के अन्दर अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल के साथ स्थल का संयुक्त रूप से निरीक्षण कर आवश्यक निदेश देंगे।

    मुख्य अभियंता स्थल पर आवश्यकतानुसार स्थल को अतिसंवेदनशील अथवा संवेदनशील घोषित करते हुए परिक्षेत्राधीन गठित विशेष दल के सदस्यों को प्रतिनियुक्त करेंगे।यदि स्थिति अधिक संवेदनशील हो तो वहाँ पर अस्थायी नियंत्रण कक्ष की स्थापना करायेंगे एवं एक आत्मभारित प्रतिवेदन मुख्यालय को अविलम्ब भेजते हुए आवश्यकतानुसार मोबाईल से भी सूचना देंगे।

    मुख्य अभियंता अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता से तटबंधों का खैरियत प्रतिवेदन प्रतिदिन प्राप्त करेंगे। मुख्य अभियंता दैनिक खैरियत प्रतिवेदन, साप्ताहिक सामग्री से संबंधित प्रतिवेदन तथा पाक्षिक प्रपत्र–24 मुख्यालय में समर्पित करेगें एवं आकस्मिक परिस्थिति में अद्‌यतन स्थिति से केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग एवं अभियंता प्रमुख (उत्तर) को तुरन्त अवगत करायेंगे।

- जब नदी का जल स्तर चेतावनी स्तर से उपर रहे या तटबंध के टो में नदी का पानी सट जाय तो कार्यपालक अभियंता से लेकर कनीय अभियंता तक रात–दिन तटबंधों की गश्ती करेंगे एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित श्रमिकों को तटबंध के गश्ती में प्रतिनियुक्त करेंगे।
- सभी स्परों/आक्राम्य स्थलों पर आवश्यकता के अनुरूप मजदूर रखने की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता की होगी।
- तटबंधों पर गश्ती व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में गृह–रक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रत्येक कि०मी० पर संबंधित जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी। गृह–रक्षकों की गश्ती बीट–वार की जायेगी।
- गृह–रक्षकों का मुख्यालय तटबंध के उस प्रभाग के प्रभारी कनीय अभियंता का मुख्यालय रहेगा, जहाँ वे कनीय अभियंता को गश्ती के दौरान प्राप्त सूचनाओं को देंगे। इन सूचनाओं का कनीय अभियंता द्वारा एक पंजी में संधारण किया जायेगा। कनीय अभियंता गृह–रक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी सहायक अभियंता के माध्यम से कार्यपालक अभियंता को देंगे। कार्यपालक अभियंता अनुपस्थिति की सूचना जिला समादेष्टा, गृह–रक्षी को उपलब्ध करायेंगे।

## 4.5 संवेदनशील स्थलों का वर्गीकरण

स्थल की संवेदनशीलता के अनुसार संवेदनशील स्थलों को निम्नांकित दो श्रेणियों में विभाजित किया जायेगाः–

(क) अतिसंवेदशील स्थल

(ख) संवेदनशील स्थल

### 4.5.1 अतिसंवेदनशील स्थल

- इस श्रेणी के अन्तर्गत तटबंध एवं संरचना के वैसे स्थल आयेंगे जहाँ पर नदी का कटाव संरचना/तटबंध के टो अथवा स्लोप पर आरंभ हो गया हो जिससे संरचना/तटबंध के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति उत्पन्न हो गई हो।
- मुख्य अभियंता अतिसंवेदशील स्थल पर विशेष दल, जिसमें प्रत्येक पाली के लिए एक कार्यपालक अभियंता एवं दो सहायक अभियंता/कनीय अभियंता होगें, को प्रतिनियुक्त करेंगे। यह विशेष दल अधीक्षण अभियंता के समग्र निर्देशन में कार्य करेगा। तीन दिनों से अधिक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जारी रहने की स्थिति में मुख्यालय में गठित टीम अविलम्ब उक्त स्थल के लिए प्रस्थान करेगी।

### 4.5.2 संवेदनशील स्थल

- इस श्रेणी के अन्तर्गत तटबंध एवं संरचना के वैसे स्थल आयेंगे जहाँ पर यह महसूस हो कि संरचना/तटबंध से नदी कुछ दूरी पर है, परन्तु इसकी कटाव की तीव्रता इस प्रकार की है कि यदि इसे अविलम्ब नहीं रोका गया तो यह संरचना/तटबंध के निकट शीघ्र पहुँच कर स्थिति को गंभीर बना सकती है।
- मुख्य अभियंता संवेदनशील स्थल पर आवश्यकतानुसार विशेष दल को प्रतिनियुक्त करेंगे। लगातार सात दिनों से अधिक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जारी रहने की स्थिति में मुख्यालय में गठित टीम अविलम्ब उक्त स्थल के लिए प्रस्थान करेगी।

## 4.6 बाढ़ नियंत्रण आदेश का निर्गमन

बाढ़ अवधि में उत्पन्न होनेवाली समस्याओं के निराकरण हेतु अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से जल संसाधन विभाग द्वारा मुख्य सचिव, बिहार के हस्ताक्षर से **"बाढ़ नियंत्रण आदेश"** निर्गत किया जायेगा, जो सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधितों को प्रेषित होगा।

## 4.7 बाढ़ संघर्षात्मक बलों का गठन

बाढ़ के दौरान आक्राम्यता की स्थिति उत्पन्न होने पर कम से कम समय में कटाव स्थल पर पहुँचकर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों का स्वरूप निर्धारण कर क्षेत्रीय पदाधिकारियों को परामर्श देने के निमित्त नदी बेसिनवार बाढ़ संघर्षात्मक बलों का गठन किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष अनुभवी सेवा निवृत अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता होंगे।

## 4.8 केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग का गठन

- जून की 15 तारीख से मुख्यालय स्थित सिंचाई भवन में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग कार्य करना आरंभ कर देगा जो रात–दिन 31 अक्टूबर तक कार्यरत रहेगा। ये तिथियाँ किसी आपात बाढ़ स्थिति के अनुसार घटायी या बढ़ायी जा सकती हैं। मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना इस बाढ़ नियंत्रण कोषांग पर अपना सीधा नियंत्रण रखेंगे और अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग इस कोषांग के पूर्ण प्रभार में रहेंगे। उन्हें यह प्राधिकार होगा कि वे बाढ़ द्वारा उत्पन्न स्थिति में किसी भी दूसरे मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता अथवा कार्यपालक अभियंता से कर्मचारी, वाहन तथा मशीनरी आदि की माँग कर सके।
- क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्षों के संचालन हेतु केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना के ही सदृश संबंधित अभियंताओं द्वारा मार्ग–निर्देश तैयार किये जायेंगे।

#### 4.8.1 केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना का कार्य

- केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग द्वारा बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली 2003 के प्रावधानों के आलोक में कार्य किया जायेगा।
- केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग द्वारा क्षेत्रीय अभियंताओं से प्रतिवेदन प्राप्त कर सारांश प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा और प्रत्येक दिन दो बार अर्थात् 10.00 बजे सुबह एवं 5.00 बजे संध्या अभियंता प्रमुख (उत्तर), प्रधान सचिव के आप्त सचिव एवं माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को उपस्थापित किया जायेगा।
- पाली प्रभारी अपने पाली में क्षेत्रीय कनीय अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक से उनके VPN/CUG मोबाईल पर सम्पर्क करेंगे तथा उनके लोकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वे इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को प्रत्येक दिन उपलब्ध करायेंगे।
- स्थलवार कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के परिमाण एवं राशि का व्यौरा दैनिक रूप से संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता द्वारा मुख्यालय में भेजा जायेगा। केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के स्तर पर संबंधित मोनिटर द्वारा इसका संकलन कर अधीक्षण अभियंता, बाढ़ मोनिटरिंग के स्तर से साप्ताहिक रूप से प्रत्येक शुक्रवार को अभियंता प्रमुख (उ०)/प्रधान सचिव/विभागीय मंत्री के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

#### 4.8.2 मुख्यालय स्तर पर विशेष दल का गठन

विभागीय मुख्यालय में छः विशेष दल का गठन किया जायेगा, जिन्हें आवश्यकतानुसार सक्षम पदाधिकारी के निदेशानुसार स्थल विशेष पर भेजा जायेगा। इस विशेष दल में एक अधीक्षण अभियंता, एक कार्यपालक अभियंता एवं एक सहायक अभियंता सम्मिलित रहेंगे। स्थल निरीक्षण हेतु इस विशेष दल को केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग द्वारा आवश्यकतानुसार वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

### 4.9 क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का गठन

क्षेत्रीय स्तर पर बाढ़ से संबंधित मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के स्तर पर तथा आवश्यकतानुसार अतिसंवेदनशील स्थल पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा, जो चौबीसो घंटे कार्यरत रहेगा।

### 4.10 सूचनाओं के संप्रेषण हेतु बेतार संयंत्रों/वी.पी.एन. मोबाईल सेटों को क्रियाशील रखना

- कनीय अभियंता से मुख्य अभियंता स्तर तक के पदाधिकारियों द्वारा सूचनाओं के द्रुत गति से आदान प्रदान करने हेतु उन्हें उपलब्ध कराए गए VPN/CUG मोबाईल को क्रियाशील रखा जाएगा।
- बेतार संवाद हर दो घंटे पर प्रसारित करने के लिए सहायक महानिरीक्षक (वितन्तु) द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जायेगा।
- बाढ़ के समय वायरलेस सेट की अतिरिक्त व्यवस्था की जायेगी। वायरलेस सेट 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। आवश्यकतानुसार पुलिस वायरलेस सेट का भी उपयोग किया जायेगा।
- सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित दूरभाष/फैक्स/ई–मेल सुविधा का उपयोग किया जायेगा।

### 4.11 बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों का आक्राम्य स्थल/अन्य स्थल/केन्द्रीय भंडार में भंडारण की कार्रवाई

- प्रत्येक वर्ष 15 जून तक बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों का भंडारण आक्राम्य स्थलों पर एवं केन्द्रीय भण्डार में कर लिया जायेगा।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की आवश्यकताओं की सूचना 15 जनवरी तक अधीक्षण अभियंता को देंगे जो उसकी सम्यक् जाँच कर अपनी अनुशंसा के साथ मुख्य अभियंता को 22 जनवरी तक भेजेंगे। मुख्य अभियंता अपने पूरे परिक्षेत्र में सामग्रियों की आवश्यकता की

समीक्षा कर उनकी प्राप्ति एवं संचयन के लिए अधियाचना विभाग में 31 जनवरी तक समर्पित करेंगे। विभाग में इसकी समीक्षा कर क्रयादेश की कार्रवाई तत्काल की जायेगी।

- कार्यपालक अभियंता भंडार स्थल पर बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की प्राप्ति, निर्गमन तथा अवशेष का सही लेखा–जोखा रखे जाने की व्यवस्था करेंगे ताकि जाँच पदाधिकारी जब चाहें उसकी सम्यक् जाँच कर इनकी पर्याप्तता एवं उपलब्धता के संबंध में संतुष्ट हो सके।

### 4.12 आक्राम्य स्थलों पर कैम्प/आवश्यक व्यवस्था

- बाढ़ अवधि में अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराये जाने की स्थिति में झोपड़ीनुमा कैम्प कार्यालय कार्यरत होगा, जिसमें मूलभूत सुविधाएँ यथा– पेयजल, शौचालय, रात्रि में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था एवं कार्य में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मचारियों के आवासन एवं भोजन की व्यवस्था की जायेगी।

### 4.13 बाढ़ सतर्कता की दृष्टि से जिलावार समिति का गठन

- तटबंध तथा उनके आक्राम्य स्थलों की सुरक्षा एवं गश्ती के निमित्त सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था करने हेतु जिला में एक समिति निम्नवत् गठित किया जाता है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | जिला पदाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2 | वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 3 | कार्यपालक अभियंता (बाढ़ नियंत्रण कार्यों से संबंधित) | सदस्य |
| 4 | आपदा प्रबंधन विभाग के संबंधित जिलास्तर के एक पदाधिकारी | सदस्य |

- बाढ़ संबंधी कार्य के लिए व्यवहृत निरीक्षण वाहनों को जिला प्रशासन द्वारा विधि व्यवस्था संबंधी कार्य के लिए अधियाचित नहीं किया जायेगा।

- जिला पदाधिकारी, आपात स्थिति में मजदूरों तथा सामग्रियों को आपात विन्दुओं पर पहुँचाने में त्वरित सहयोग करते हुए ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।
- यह पाया गया है कि क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन में यदा कदा असामाजिक तत्त्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है जो कार्य की प्रगति को बाधित भी करता है। संबंधित जिला पदाधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय तकनीकी पदाधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करें तथा गतिरोधों को तत्परतापूर्वक दूर करें, ताकि कार्य की प्रगति बनायी रखी जा सके। साथ ही बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की जाँच कर रहे विशेष जाँच दलों को भी, उनके द्वारा मांगे जाने पर वे आवश्यक सहयोग उपलब्ध करायेंगे।
- जब किसी तटबंध की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाय तो मुख्य अभियंता तथा उनके अधीनस्थ कार्यपालक अभियंता स्तर तक के पदाधिकारी, स्थिति की सूचना तुरंत जिला पदाधिकारी को देंगे तथा इस स्थिति से केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग पटना को भी अवगत करायेंगे जिसमें इस आशय का भी उल्लेख होगा कि संभावित टूटान से कितने क्षेत्र प्रभावित होंगे।
- उपर्युक्त सूचना के आधार पर बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र (FMISC), पटना इनन्डेशन मैप तैयार करेगा।
- जिला पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि उपर्युक्त मैप के आधार पर संभावित क्षेत्र के आम जनता के बीच बाढ़ चेतावनी निर्गत कर देंगे तथा संभावित बाढ़ से प्रभावित होने वालों के लिए साहाय्य की व्यवस्था एवं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
- साहाय्य एवं सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने के कार्यों का संचालन आपदा प्रबंधन विभाग करेगा।
- अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में जब स्थिति असैनिक प्रशासन के नियंत्रण के बाहर हो जाय, तब सैन्य सहायता की अधियाचना की जायेगी। स्थानीय असैनिक प्रशासन तथा तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा ऐसी सहायता की मांग राज्य के गृह विभाग से परामर्श करने के बाद ही की जायेगी।

- टूटान/कटान की मरम्मती से संबंधित प्रगति की जानकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता नियमित रूप से विभाग तथा जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड स्तरीय नियंत्रण कक्ष को देते रहेंगे।

### 4.17 सूचना/मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित रिपोर्ट पर कार्रवाई

बाढ़ अवधि में आवश्यक सूचनाएँ प्रसारित करने के लिए रेडियो, टी०वी० एवं प्रिन्ट मीडिया जैसे संचार माध्यमों का उपयोग किया जायेगा एवं जनता को सही तथ्यों की जानकारी समय–समय पर उपलब्ध करायी जायेगी। क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित मुख्य अभियंता एवं मुख्यालय स्तर पर जन सम्पर्क पदाधिकारी के माध्यम से आम जनता को सूचना दी जायेगी।

http://wrd.bih.nic.in

- India Meteorological Department
  http://www.imd.gov.in and www.mousam.gov.in
- Disaster Management Department, Govt. of Bihar
  http://disastermagmt.bih.nic.in
- Ganga Flood Control Commission, Patna, Ministry of Wa
  Resources, Govt. of India
  http://gfcc.bih.nic.in
- National Informatics Centre-Weather Resource System for In
  http://weather.nic.in
- Weather forecast for Nepal
  http://www.mfd.gov.np
- Weather forecast for Bihar from Yahoo
  http://weather.yahoo.com/India/bihar-2274908
- Flood Management Improvement Support Centre, Bihar
  http://www.fmis.bih.nic.in

परिशिष्ट–I

## बाढ़ उपरान्त एवं आगामी बाढ़ के पूर्व की जानेवाली कार्रवाइयों का चेकलिस्ट 'क'

| क्र०सं० | की जानेवाली कार्रवाई | हाँ | नहीं |
|---|---|---|---|
| 1 | तटबंधों पर निर्मित संरचनाओं का यांत्रिक अभियंताओं के साथ संयुक्त निरीक्षण | | |
| 2 | आगामी बाढ़ पूर्व कराये जानेवाले कटाव निरोधक योजनाओं के स्वरूप निर्धारण हेतु आक्राम्य स्थलों का समिति द्वारा निरीक्षण | | |
| 3 | कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उप समिति का स्थल निरीक्षण | | |
| 4 | तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन | | |
| 5 | तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक एवं अनुशंसा | | |
| 6 | कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति का स्थल निरीक्षण | | |
| 7 | तकनीकी सलाहकार समिति एवं कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति से अनुशंसित योजनाओं का योजना समीक्षा समिति (एस.आर.सी.) के समक्ष उपस्थापन | | |
| 8 | योजना समीक्षा समिति की बैठक एवं अनुशंसा | | |
| 9 | बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् की बैठक में योजनाओं का प्रस्तुतिकरण | | |
| 10 | अनुशंसित कटाव निरोधक योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति | | |
| 11 | स्वीकृत कटाव निरोधक योजनाओं हेतु निविदा आमंत्रण/निष्पादन | | |
| 12 | कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति पर निगरानी रखते हुए विशेष जाँच दलों का गठन | | |
| 13 | मुख्य अभियंता द्वारा कार्य की प्रगति का साप्ताहिक प्रतिवेदन का प्रेषण | | |
| 14 | मुख्य अभियंता द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के पूर्ण होने संबंधी प्रतिवेदन का प्रेषण | | |

परिशिष्ट–II

## बाढ़ अवधि के दौरान बाँधों का अनुरक्षण एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु की जानेवाली कार्रवाइयों का

## चेकलिस्ट 'ख'

| क्र०सं० | की जानेवाली कार्रवाई | हाँ | नहीं |
|---|---|---|---|
| 1 | तटबंधों के दुर्बल स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई | | |
| 2 | जिला प्रशासन के साथ तटबंधों का संयुक्त निरीक्षण | | |
| 3 | संभावित आक्राम्य/संवेदनशील स्थलों की पहचान कर सूची का विभाग में प्रेषण | | |
| 4 | बाढ़ नियंत्रण आदेश का प्रकाशन | | |
| 5 | बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों का आक्राम्य स्थल/अन्य स्थल/केन्द्रीय भंडार में भंडारण की कार्रवाई | | |
| 6 | आक्राम्य स्थलों पर कैम्प/आवश्यक व्यवस्था | | |
| 7 | बाढ़ सतर्कता की दृष्टि से होमगार्ड/सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति | | |
| 8 | बाढ़ संघर्षात्मक बलों का गठन | | |
| 9 | बाढ़ प्रबन्धन निर्देशिका का प्रकाशन | | |
| 10 | केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग का अधिष्ठापन | | |
| 11 | क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का अधिष्ठापन | | |
| 12 | आक्राम्य स्थलों पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष का अधिष्ठापन | | |
| 13 | सूचनाओं के संप्रेषण हेतु बेतार संयंत्रों/भी.पी.एन. मोबाईल सेटों का अधिष्ठापन एवं क्रियाशील रखना | | |
| 14 | तटबंध सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई करना | | |
| 15 | सूचनाओं/प्रतिवेदनों के प्रकाशन एवं प्रसारण की व्यवस्था | | |
| 16 | बाढ़ अवधि में जिला प्रशासन से सहायता प्राप्त करना | | |
| 17 | तटबंध टूटने की दशा में आवश्यक कार्रवाई करना | | |
| 18 | सूचना/मिडिया में प्रकाशित/प्रसारित रिर्पोट पर कार्रवाई | | |

अनुलग्नक–(4)अग्निकाण्ड से निपटान हेतु मानक संचलन प्रक्रिया **(SOP) :**

फैक्स/ई–मेल

अत्यावश्यक

पत्रांक –1–प्रा0आ0(2)–24/2006/ 1061 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 8/3/16

विषयः **अग्निकांड की आपदा से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)।**

महाशय,

कृपया उपरोक्त विषयक विभागीय पत्रांक 818/आ0प्र0, दिनांक 04.03.2015 का उल्लेख करें जिसके अनुसार अग्निकांड की आपदा से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया परिचारित की गयी थी। उपर्युक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि इस वर्ष ग्रीष्मकाल प्रारंभ हो रहा है। ग्रीष्मकाल में राज्य के विभिन्न जिलों में अग्निकांड की संभावना काफी बढ़ जाती है। राज्य सरकार की नीति है कि अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित जिले के आपदा प्रबंधन के उत्तरदायी पदाधिकारी एवं उनकी टीम यातायात के उपलब्ध सर्वाधिक तेज साधनों (fastest means of transport) से घटना स्थल पर पहुँचें एवं त्वरित गति से पीड़ितों को साहाय्य प्रदान किया जाए। भीषण अग्निकांड होने पर संबंधित जिला पदाधिकारी को स्वयं घटना स्थल पर शीघ्रातिशीघ्र पहुँच कर साहाय्य की व्यवस्था कराना है। इस संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पूर्व में जिलों को समय–समय पर व्यापक अनुदेश/निदेश दिये गए हैं।

2. मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अग्निकांड की आपदा के प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन के स्तर से निम्न कार्रवाईयाँ की जाएंगी :–

(i) अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही अंचल अधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी घटना स्थल पर यातायात के उपलब्ध सर्वाधिक तेज साधनों से पहुँच कर राहत एवं बचाव के कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। जहाँ पर अग्निकांड की बड़ी घटना प्रतिवेदित हो वहाँ अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन/जिला पदाधिकारी स्वयं शीघ्रातिशीघ्र पहुँच कर राहत एवं बचाव कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही आवश्यकतानुसार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया जाएगा। यदि राज्य स्तर से इस संबंध में सहयोग की आवश्यकता हो तो आपदा प्रबंधन विभाग के इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र (SEOC) दूरभाष संख्या – 0612–2217301, 2217302, 2217303, 2217304, 2217305, 2217306, 2215731, 2215735, 2215738, 2215739, एवं फैक्स सं0–2215734 को अविलंब सूचित किया जाएगा।

(iii) फायर ब्रिगेड की गाड़ियों एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में महानिदेशक, अग्निशाम सेवाएँ, बिहार के पत्रांक–1042 दिनांक–02.03.2016 (फोटो प्रति संलग्न) विशेष रूप से द्रष्टव्य है। अभी से ही फायर ब्रिगेड के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनको सुपरिभाषित कार्यभार सौपे जा सकते हैं।

(iv) अग्निकांड पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर अनुमान्य साहाय्य, यथा, पॉलीथिन शीट, खाद्यान्न अथवा खाद्यान्न की अनुपलब्धता की दशा में विभाग द्वारा निर्धारित राशि नकद अनुदान तथा वस्त्र एवं बर्त्तन के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाएगी तथा मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान अविलंब किया जाएगा।

(v) जले एवं क्षतिग्रस्त मकानों की सूची तैयार कर गृह क्षति अनुदान का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाएगा।

(vi) राहत एवं बचाव कार्यों को सुनिश्चित करने एवं पर्यवेक्षण हेतु कर्मचारी/पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे।

(vii) भीषण अग्निकांड से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष राहत केन्द्र संचालित किए जाएंगे। विशेष राहत केन्द्रों के संचालन के संबंध में विभागीय पत्रांक 52 (प्र0), दिनांक 26.05.2012 एवं पत्रांक 1834 दिनांक 08.06.2012 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। (फोटो प्रति संलग्न)।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दुओं पर जिला प्रशासन/ गृह विभाग (अग्निशाम सेवाएँ) द्वारा कार्रवाई की जाएगी :

(i) गर्मी के मौसम के प्रारंभ में ही आगजनी की घटनाओं को रोकने एवं घटना घटित होने पर साहाय्य प्रदान करने के लिए पूर्व तैयारियाँ अविलम्ब पूरी कर ली जाय।

(ii) जिला मुख्यालय में अग्निकांड से संबंधित घटनाओं के पर्यवेक्षण एवं सहाय्य कार्य के अनुश्रवण हेतु जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र (DEOC) को कार्यशील कर दिया जाय। उक्त केन्द्र का प्रभार किसी वरीय पदाधिकारी को दिया जाय। साथ हीं उक्त केन्द्र में दूरभाष/फैक्स की व्यवस्था भी की जाय एवं समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त दूरभाष/फैक्स संख्या की जानकारी सभी को दी जाय।

(iii) फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवश्यकतानुसार मरम्मति अविलम्ब करा ली जाय। जहाँ चालक आदि की समस्या है, स्थानीय व्यवस्था द्वारा इसे दूर कर लिया जाय।

(iv) आवश्यकता के समय फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सुदूर देहातों में समय पर पहुँच सके, इसके लिए यथासंभव अनुमंडल मुख्यालयों/थानों में भी गाड़ियों को रखने की व्यवस्था की जाय, खासकर जहाँ के क्षेत्रों का रास्ता दुर्गम हो।

(v) आगजनी की घटनाओं की निरोधात्मक कार्रवाई के संदर्भ में जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश देंगे कि वे अपने क्षेत्र में अग्निकांड की रोकथाम हेतु विभिन्न प्रचार माध्यमों से लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे।

(vi) अग्निकांड की रोकथाम हेतु जिला पदाधिकारी अपने जिला क्षेत्र में निम्नलिखित तथ्यों को प्रचारित/ प्रसारित करावेंगे :–

(क) हवा के झोंकों के तेज होने के पहले ही खाना पकाकर चूल्हे की आग को पानी से पूरी तरह बुझा दें।

(ख) चूल्हे की आग की चिंगारी पूरी तरह बुझी हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाए।

(ग) घर से बाहर जाते समय बिजली का स्विच ऑफ हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाए।

(घ) खाना वैसी जगह पकाया जाय, जहाँ हवा का झोंका न लगे।

(च) बीड़ी–सिगरेट पीकर इधर–उधर या खलिहान की तरफ न फेंकें।

(छ) गाँव/मोहल्लों में जल एवं बालू संग्रहण की व्यवस्था रखी जाय ताकि आग पर शीघ्र काबू पाया जा सके।

(ज) आगजनी से बचाव हेतु उपाय 'क्या करें–क्या न करें' को आग प्रवण क्षेत्रों में प्रसारित कराया जाय। (संलग्न है।)

(vii) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'फायर बूथों' की स्थापना लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। प्रत्येक गाँव में 'फायर बीटर्स', फायर टेंक, बाल्टी, रस्सी एवं कुल्हाड़ी आदि छोटे–छोटे अग्निशमन उपकरण एवं एक घंटी (आग की सूचना के लिए) सार्वजनिक स्थल पर रखवाने की व्यवस्था पंचायत की मदद से की जा सकती है।

(viii) प्राकृतिक आपदा के समय राहत प्रदान करने हेतु वर्ष 2015–2020 की अवधि में लागू नया मानदर विभागीय पत्रांक 1973/आ0प्र0 दिनांक 26.05.2015 द्वारा सभी जिलों को भेजा गया है। नया मानदर आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाइट <u>www.disastermgmt.bih.nic.in</u> पर भी उपलब्ध है। नए मानदर के अनुसार ही राहत उपलब्ध कराया जाएगा।

(ix) अग्निकांड से राज्य के कृषकों के खेत में लगी फसल अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति की सी0आर0एफ0 (अब एस0डी0आर0एफ0) से अनुमान्यता के संबंध में विभागीय पत्रांक–1023 दिनांक–21.04.08 द्वारा निदेश भेजा गया है।

(x) यदि साहाय्य राशि की आवश्यकता हो तो उसकी मांग आपदा प्रबंधन विभाग से तत्काल की जायेगी। परन्तु इस मद में राशि अनुपलब्ध रहने पर भी जिले में उपलब्ध किसी भी मद की राशि से अग्निपीड़ित परिवारों को साहाय्य मुहैया कराना सुनिश्चित किया जायेगा। पारिवारिक लाभ योजना/ झोपड़ी

बीमा योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी अग्निपीड़ितों को नियमानुसार दिलाया जायेगा।

(xi) मकान/ झोपड़ी की क्षति के लिए निर्धारित मानदर के अनुरूप गृह क्षति अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा मुख्य सचिव, बिहार के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक–2886 दि0–26.05.2005 के द्वारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बी0पी0एल0 परिवारों को पुनर्वासित करने हेतु जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। यदि पीड़ित परिवार इन्दिरा आवास प्राप्त करने की निर्धारित अर्हता रखते हैं तो इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत उन्हें भवन निर्माण कर पुनर्वासित किया जाना है।

(xii) अग्निकांड की बड़ी घटनाओं की सूचना आपदा प्रबंधन विभाग के WhatsApp group, Facebook Page एवं मोबाइल/दूरभाष के माध्यम से विभाग को तुरंत भेजा जाएगा। जो जिला पदाधिकारी WhatsApp group के सदस्य नहीं हैं, वे अपने Android mobile phone पर WhatsApp download कर इसकी सूचना प्रधान सचिव को भेज दें ताकि उन्हें Group में शामिल कर लिया जाए।

(xiii) साहाय्य कार्य सम्पन्न करने के पश्चात् अग्निकांड से हुई क्षति एवं किये गए साहाय्य कार्यों का विवरण संलग्न विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी 24 घंटे के भीतर सरकार को प्रतिवेदित करेंगे।

(xiv) यदि मुख्यालय से किसी भी सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारियों (प्रधान सचिव सहित) से ससमय सम्पर्क स्थापित किया जाए।

(xv) सभी महत्वपूर्ण विभागीय परिपत्रों एवं अद्यतन मानदर से संबंधित पत्र सभी जिला पदाधिकारियों को पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है, एवं विभागीय वेबसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है। अगर संबंधित परिपत्र/पत्र/निदेश उपलब्ध न हों तो उसे विभाग के वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि आगजनी की घटना की रोकथाम एवं उसके घटित होने पर उपर्युक्त निदेशों के आलोक में राहत एवं बचाव संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

**अनु0– यथा उपर्युक्त।**

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

**अनुलग्नक–(5) पेयजल संकट प्रबंधन हेतु मानक संचलन प्रक्रिया (SOP) :**

**नोडल विभाग :** मानव पेयजल प्रबंधन का मुख्य कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार मवेशियों के लिए पेयजल प्रबंधन का उतरदायी विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है। परंतु पेयजल संकट के गंभीर हो जाने की दशा में संकट प्रबंधन का नोडल विभाग आपदा प्रबंधन विभाग होगा तथा विभाग के प्रधान सचिव/सचिव राज्य स्तर पर राज्य कार्यकारिणी समिति के निदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए सक्षम पदाधिकारी होंगे।

**राज्य सरकार के अन्य विभाग/संगठन :** पेयजल संकट प्रबंधन में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं संगठनों की अहम भूमिका होती है। सभी विभाग अपने–अपने कार्य क्षेत्र में पेयजल संकट प्रबंधन में अपनी भूमिका का निवर्हन करेंगे। जिन विभागों/संगठनों की पेयजल संकट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होगी, वे हैं

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
- लघु जल संसाधन विभाग
- नगर विकास विभाग
- उर्जा विभाग
- बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी
- संबंधित नगर निकाय

**राज्य स्तर पर गठित :** आपातकालीन प्रबंधन समूह पेयजल संकट की तीव्रता को देखते हुए समय–समय पर बैठके आयोजित करेगा तथा संकट से निपटने हेतु विभिन्न विभागों की आकस्मिक योजनाओं तथा उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा। आपातकालीन प्रबंधन समूह द्वारा लिये गये निर्णय सभी संबंधित विभागों पर बाध्यकारी होंगे। आपातकालीन प्रबंधन समूह में मुख्य सचिव द्वारा आवश्यकतानुसार किसी अन्य विभाग अथवा संगठन को आमंत्रित किया जा सकेगा।

**जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण :** आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 25(2) के अनुसार राज्य के सभी जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार गठित है। उक्त प्राधिकार पेयजल संकट प्रबंधन के लिए विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। पेयजल संकट प्रबंधन का निर्देश एवं नियंत्रण (कमांड एवं कन्ट्रोल) जिला पदाधिकारी के हाथों में होगा जो राज्य कार्यकारिणी समिति/आपातकालीन प्रबंधन समूह एवं सरकार की नीति, मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश के आलोक में कार्य करेंगे। वे घटना कमांडर (Incident Commander)के रूप में करेंगे तथा आवश्यक होने पर इस उत्तरदायित्व को जिले के किसी अन्य वरीय पदाधिकारी को भी सौप सकेंगे। पेयजल संकट से जुड़े हुए विभागों के जिला स्तरीय तथा आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार की विभिन्न एजेन्सियों के जिला पदस्थापित पदाधिकारी घटना कमांडर के निर्देशानुसार पेयजल संकट प्रबंधन का कार्य करेंगे। इसी प्रकार जिला स्तर के नीचे की तमाम प्रशासनिक ईकाईयाँ, यथा अनुमंडल एवं प्रखंड, अपने–अपने कार्य क्षेत्र में पेयजल संकट प्रबंधन के लिए घटना कमांडर के पर्यवेक्षक एवं दिशा निर्देशन में संबंधित विभागों के कार्यों का समन्वय करेगी।

**विभागीय नोडल पदाधिकारी :** सभी विभाग पेयजल संकट प्रबंधन के लिए किसी वरीय विभागीय पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करेगा। नोडल पदाधिकारी आपातकालीन प्रबंधन समूह तथा राज्य कार्यकारिणी समिति के निर्णयों के अनुपालन तथा पेयजल संकट से निटपने हेतु विभागीय आकस्मिक योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन के लिए विभागीय स्तर पर समन्वयक का कार्य करेगा।

**पेयजल संकट की पहचान :** लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा लघु जल संसाधन विभाग द्वारा विभागीय मापदंड के अनुसार भूजल स्तर की माप समय–समय पर की जाएगी। यदि यह ज्ञात होता है कि भू–जल का सामान्य स्तर गत वर्ष की तुलना में नीचे जा रहा हो, चापाकलों से पानी आहरित करने में दिक्कत आ रही हो अथवा चापाकल बेकार हो रहे हो एवं कुआँ–आहर–तालाब सूख रहे हो, तो उक्त विभाग संबंधित जिला पदाधिकारियों तथा आपदा प्रबंधन विभाग को ससमय सूचित करेंगे। इस विभागों से यह अपेक्षा की जायगी कि वे यथानुसार भू–जल स्तर का सतत् अनुश्रवण करेगे ताकि पेयजल संकट से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाईयाँ समय पर सुनिश्चित की जा सके। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पेयजल संकट की सूचना प्राप्त होते ही उसे मुख्य सचिव एवं यथानुसार आपदा प्रबंधन समूह के अभिज्ञान में लाया जायेगा ताकि संकट से निपटने के लिए ससमय आवश्यक तैयारियाँ की जा

सकें। आपदा प्रबंधन समूह यथानुसार जल संकट प्रबंधन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग को सुपरिभाषित उत्तरदायित्व सौंप सकेगा।

**आकस्मिक योजना का सूत्रण :** पेयजल संकट की संभावना नजर आते ही संबंधित जिलों में मानव तथा पशुओं को पेयजल उपलब्ध कराने की लिए जिला स्तर पर आकस्मिक योजना का सूत्रण किया जायेगा। आकस्मिक योजना के सूत्रण की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियताओं तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों की होगी जो विभागीय अनुदेशों एवं जिला पदाधिकारियों के दिशा निर्देश में आकस्मिक योजना तैयार करेंगे। इस कार्य में लघु जल संसाधन विभाग तथा बिहार राज्य पावर होल्डिग कंपनी द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा। आकस्मिक योजना में, अन्य बातों के अलावा, निम्न तत्वों का समावेश रहेगा :

- पारंपरिक जल स्त्रोतों की पहचान एवं आवश्यकतानुसार उनकी सफाई/गहरीकरण की योजना। पारंपरिक जल स्त्रोतों से अभिप्रेत है, वे जल स्त्रोत जो मानव एवं पशुओं की प्यास बुझाने के काम आते हैं, जैसे कुआँ, तालाब, आहर इत्यादि।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अथवा अन्य विभागों/निकायों द्वारा गाड़े गये चापाकलों की स्थिति का भौतिक सत्यापन तथा अकार्यरत चापाकलों की विशेष/साधारण मरम्मति की योजना।
- नए चापाकलों के गाड़ने की चालू एवं आकस्मिक योजना।
- लघु जल संसाधन विभाग के नलकूपों की स्थिति का भौतिक सत्यापन एवं यांत्रिक दोष/विद्युत दोष के कारण बन्द पड़े नलकूपों को कार्यरत करने की योजना। इस योजना का सूत्रण संयुक्त रूप से लघु जल संसाधन विभाग तथा बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा अपने विभागीय अनुदेशों के अधीन किया जाएगा। परंतु यह योजना भी जिला आकस्मिक योजना के अविभाज्य अंग के रूप में रहेगी।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर निकायों की जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति का भौतिक सत्यापन एवं यांत्रिक/विद्युत दोषों के त्वरित निराकरण की योजना।
- उन क्षेत्रों की पहचान जहाँ पेयजल संकट है अथवा जहाँ पेयजल संकट होने की संभावना है।
- पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यक होने पर टैंकरों से जलापूर्ति की जाएगी। अतएव जलापूर्ति करने हेतु जल स्त्रोतों एवं रास्तों की पहचान की जाएगी। जल स्त्रोतों के रूप में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जलापूर्ति संयंत्रों एवं लघु जल संसाधन विभाग के नलकूपों की पहचान की जाएगी। ऐसे जल स्त्रोतों की पहचान की जायगी जहाँ से पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों की दूरी न्यूनतम हो।
- आवश्यक होने पर निजी नलकूपों से भी पेय जलापूर्ति की जाएगी।
- पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों द्वारा जलापूर्ति करने हेतु रूट चार्ट।
- जलापूर्ति हेतु टैंकरों तथा ट्रैक्टरों की आवश्यकता का आकलन एवं व्यवस्था। इस हेतु नगर निकाय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण या अन्य विभाग के टैंकरों का उपयोग किया जाएगा। अधिक टैंकरों की जरूरत पड़ने पर यथानुसार भाड़े पर टैंकरों की व्यवस्था की जा सकेगी। इस हेतु दर का निर्धारण जिला पदाधिकारी द्वारा पूर्व में ही कर लिया जाएगा। आवश्यक होने पर विभाग द्वारा दर निर्धारण किया जा सकेगा।
- अगर टैंकरों की कमी हो तो सिन्टेक्स जैसी टंकियों के जरिये जलापूर्ति की व्यवस्था की जा सकेगी।
- ट्रैक्टर के साथ–साथ आवश्यकतानुसार बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी इत्यादि का उपयोग भी टैंकरों/टंकियों के माध्यम से जल पहुँचाने के कार्य में किया जा सकता है। अतएव स्थानीय संसाधनों की पहचान कर लेनी होगी।
- बिजली की अनुपलब्धता की स्थिति में जलापूर्ति संयंत्रों एवं नलकूपों से जल की लिफ्टींग हेतु डी॰जी॰ सेट की व्यवस्था। आवश्यकतानुसार इसके भाड़े का निर्धारण।
- प्रंखड स्तर पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नियंत्रणाधीन गैंगमैन की टीमों का गठन तथा टीमों के कार्य क्षेत्रों का निर्धारण । स्थानीय गैंगमैन की कमी की स्थिति में संविदा/आउटसोर्सिग के आधार पर गैंगमैनों की व्यवस्था।
- आवश्यकतानुसार वाहनों की व्यवस्था ताकि पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में जलापूर्ति के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जा सके।
- पशु शिविरों के लिए उचित स्थलों की पहचान। इस बात का विशेष ध्यान दिया जायगा कि पशु शिविर यथा संभव जल स्त्रोतों के पास हो।
- नगरीय क्षेत्रो के लिए नगर विकास विभाग के अनुदेशों के अनुसार पेय जलापूर्ति की आकस्मिक योजना का सूत्रण किया जाएगा। यह योजना भी जिला पदाधिकारी के दिशा निर्देश में नगर निकायों के आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी।

अन्य संबंधित विभागों द्वारा पूर्व तैयारियाँ :

- **लघु जल संसाधन विभाग** : यह विभाग पेय जल संकट की सूचना प्राप्त होते ही अपने राज्य एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सक्रिय करेगा। साथ ही भूजल रिचार्ज की विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन एवं नलकूपों की स्थिति की सघन एवं नियमित समीक्षा प्रारंभ करेगा। विभाग का दायित्व होगा कि वह अधिकाधिक नलकूपों को कार्यरत बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए।
- **पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग** : यह विभाग पशुओं के समक्ष उत्पन्न होने वाले पेय जल एवं चारा संकट की सतत निगरानी करेगा। पेय जल एवं चारा संकट की सूचना मिलते ही यह अपने राज्य एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सक्रिय करेगा। साथ ही पशु शिविरों हेतु आकस्मिक योजना सूत्रण एवं कार्यान्वयन हेतु यह विभाग राज्य स्तर पर नोडल विभाग होगा। आकस्मिक योजना में निम्नांकित बिन्दु अवश्य शामिल किए जाऐंगे :
    - पशु शिविरों हेतु स्थल चयन (स्थल ऐसी जगह होने चाहिए जहाँ जल की पर्याप्त व्यवस्था असानी से हो सके। जैसे– लघु जल संसाधन विभाग के चालू नलकूप के समीप का स्थल।
    - पशुओं को पशु शिविरों में पहचाने की व्यवस्था।
    - पशु शिविर के अंतर्गत अस्थायी शेड का निर्माण।
    - पीने का पानी एवं नाद की व्यवस्था।
    - पशु चारा की व्यवस्था।
    - बीमार पशु के इलाज के लिए दवा की व्यवस्था।
    - पशुपालकों एवं विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था।
    - मृत पशुओं के निस्तारण की व्यवस्था।
- **बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी** : जलापूर्ति संयंत्रों एवं नलकूपों को विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत दोषों के त्वरित निवारण हेतु सभी आवश्यक कदम ऊर्जा विभाग/बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा उठाए जाएंगे। इसके लिए कंपनी द्वारा संबंधित विभागों से समन्वय कर आकस्मिक योजना का सूत्रण एवं कार्यान्वयन किया जाएगा।
- **नगर विकास विभाग** : यह विभाग नगर निकायों में पेयजल संकट प्रबंधन हेतु आकस्मिक योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। साथ ही पेय जल संकट की आहट मिलते ही संबंधित नगर निकायों को विभाग द्वारा सक्रिय कर दिया जाएगा।

**जिला टास्क फोर्स का गठन** : जिला स्तर पर जिला टास्क फोर्स का गठन जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा। जिला टास्क फोर्स द्वारा आकस्मिक योजना के कार्यान्वयन का सघन अनुश्रवण एवं समीक्षा की जायेगी। टास्क फोर्स में अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन तथा लघु जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी के जिला स्तरीय पदाधिकारी सदस्य रहेंगे। यथानुसार उक्त टास्क फोर्स में संबंधित नगर निकायों के आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी को शामिल किया जायेगा।

**जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी** : जिला स्तर, अनुमंडल स्तर एवं प्रखंड स्तर पर जिला प्रशासन के किसी पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी द्वारा नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा जो पेय जल संकट प्रबंधन के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय का कार्य करेंगे। इसके अलावा टास्क फोर्स में शामिल सभी विभाग जिला स्तर पर विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे जो अपने–अपने विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली आकस्मिक योजनाओं के लिए समन्वयक का कार्य करेंगे।

**जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना** : जिला स्तर पर संकट की सतत् निगरानी की जाएगी तथा जल संकट की आहट मिलते ही जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। जिला नियंत्रण कक्ष की दूरभाष/ फैक्स संख्या की जानकारी संचार माध्यमों से आम जन को दी जाएगी ताकि जनसाधरण द्वारा जल संकट की सूचना प्रशासन को दी जा सके तथा प्रभावी कदम उठाया जा सके।

**राज्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना** : राज्य स्तर पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मानव पेयजल प्रबंधन की आकस्मिक योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन का मुख्य नोडल विभाग होगा तथा राज्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगा। राज्य नियंत्रण कक्ष की दूरभाष/फैक्स संख्या की जानकारी संचार माध्यमों से आम जन को दी जाएगी। यह नियंत्रण कक्ष आम जन तथा अन्य स्त्रोतों से पेयजल संकट के संबंध में प्राप्त शिकायतों/सूचनाओं पर विभाग के स्तर पर उचित कार्रवाई का उत्तरदायी होगा। साथ ही पेयजल संकट से निबटने हेतु की गई कार्रवाई से आम जन एवं मीडिया को भी समय–समय पर अवगत करायेगा। जल संकट गहराने की दशा में आपदा प्रबंधन विभाग में गठित आपात्कालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय कर दिया जाएगा। आपात्कालीन संचालन केन्द्र सभी संबंधित जिलों एवं विभागों के साथ समन्वय का कार्य करेगा।

**पेयजल संकट प्रबंधन हेतु निधि की व्यवस्था** : संबंधित विभाग यथा संभव अपने विभागीय बजट से पेयजल संकट प्रबंधन हेतु निधि की व्यवस्था करेंगे। यथानुसार राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष के मानदर के अनुसार विभागों/जिलों को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक निधि उपलब्ध करायी जाएगी।

**आकस्मिक योजना के क्रियान्वयन हेतु सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय प्रक्रियाओं का शिथिलीकरण** : यदि आकस्मिक योजना के त्वरित कार्यान्वयन में सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रक्रियाओं के शिथिलीकरण की आवश्यकता हो तो संबंधित विभाग पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को प्रेषित करेंगे। उक्त प्रस्तावों पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 50 के अंतर्गत निर्णय लिया जाएगा।

**पेयजल संकट के दौरान की जाने वाली कार्रवाईयाँ** :भू–जल स्तर के नीचे चले जाने के कारण किसी क्षेत्र विशेष में चापाकलों से पानी खींचने में कठिनाई होने लगे अथवा चापाकल सूखने की स्थिति में पहूँच जाए तथा कुएँ, आहर एवं तालाब सूखने लगें तो माना जाएगा कि उक्त क्षेत्र विशेष में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। पेयजल संकट के दौरान मानव तथा यथानुसार मवेशियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निम्न कार्रवाईयाँ की जाएंगी –

**नियंत्रण कक्ष को सक्रिय करना** : राज्य एवं जिला नियंत्रण कक्ष के साथ ही अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए जाएगा। इन नियंत्रण कक्षा में प्राप्त होने वाली सूचनाएँ तथा उन पर कृत कार्रवाईयों से संबंधित कागजातों का दस्तावेजीकरण (Documentation) किया जाएगा। इसके लिए नियंत्रण कक्षों में एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा जिसमें आने वाली सूचनाओं तथा की गयी कार्रवाईयों का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा।

**जिला टास्क फोर्स की बैठक** : पेयजल संकट से निपटने के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक आवश्यकतानुसार प्रतिदिन की जाएगी। स्थिति सुधरने पर साप्ताहिक बैठक होगी।

**टैंकरों से पानी पहुँचाने की व्यवस्था** : आकस्मिक योजना के अनुसार पहचाने गये गाँवों, जहाँ पेयजल संकट शुरू हो गया हो, में टैंकरों के माध्यम से जल पहुँचाने एवं वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह कार्य जिला प्रशासन की देख–रेख में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। टैंकरों से जल पहुँचाने एवं वितरण के समय विधि व्यवस्था की समस्या से निपटने हेतु पुलिस अधीक्षकों द्वारा आवश्यतानुसार पुलिस बल तैनात किया जाएगा। टैंकरों से जिस गाँव/टोला में जल वितरण किया जाना होगा, वहाँ जल वितरण के कार्य में पूर्ण पादर्शिता बरती जाएगी। किसी गाँव में प्रतिदिन भेजे जानेवाले टैंकरों की संख्या तथा प्रति व्यक्ति जल की आपूर्ति का आंकलन कर तद्नरूप कार्रवाई की जाएगी। सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन जल स्त्रोतों से जल भेजा जा रहा है वह जल पीने योग्य है। विभागीय कनीय/सहायक अभियंता अपने–अपने क्षेत्रों में टैंकरों द्वारा जल पहुँचाने एवं वितरण कार्य का सघन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।

**नये जल स्त्रोतों की पहचान** : जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में नए भू–जल श्रोतों की पहचान के लिए राष्ट्रीय भू–जल बोर्ड की मदद ली जाएगी। इस प्रकार चिह्नित जल श्रोतों से जल के दोहन के लिए लोक स्वास्थ्य आभियंत्रण विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

**नये चापाकलों एवं नलकूपों का अधिष्ठापन** : जहाँ भू–जल उपलब्ध हो वहाँ भू–जल की गहराई के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नये चापाकलों के अधिष्ठापन के कार्य में तेजी लायी जाएगी। उसी प्रकार लघु जल संसाधन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार नये नलकूलों का अधिष्ठापन कर जल के नए श्रोत उपलब्ध कराए जाएँगे। कड़े एवं चट्टानी भू-भागों में नए नलकूपों के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक रिंग मशीन की व्यवस्था किराए के आधार पर की जा सकेगी।

**पुराने चापाकलों की मरम्मति** : अकार्यरत तथा कालक्रम में खराब होने वाले चापाकलों की मरम्मती के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा गठित गैंगमैनों की टीम पूरी तरह से सक्रिय कर दी जाएगी। टीम को पर्याप्त साजो–समान से लैस किया जाएगा। यदि नियमित गैंगमैन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग संविदा/आउट सोसिंग से गैंगमैन की सेवाएँ ले सकेगा। प्रखंड स्तर पर गैंगमैनों की टीमों के बीच क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया जाएगा, जो लगातार क्षेत्र का भ्रमण करती रहेगी तथा अकार्यरत चापाकलों की मरम्मत करती रहेगी। अकार्यरत चापाकलों की सूचना नियंत्रण कक्ष में प्राप्त होने पर भी गैंगमैनों की संबंधित टीमों को मरम्मत के लिए भेजा जाएगा। गैंगमैनों की टीम दिन भर किये गये कार्य का ब्यौरा उसी दिन शाम को प्रखंड नियंत्रण कक्ष में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर देंगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता अकार्यरत चापाकलों के मरम्मति का सघन एवं अनुश्रवण करेंगे।

**शहरी क्षेत्रों में जल संकट का मुकाबला** : नगर विकास विभाग द्वारा नगर निकायों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों मं पेयजल संकट से निटपने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएगें । जहाँ कहीं चापाकलों में पानी का स्तर नीचे जाने चापाकलों के अकार्यरत हो जाने अथवा जलापूर्ति योजनाओं के द्वारा जलापूर्ति नहीं होने को स्थिति में जल संकट के दृष्टान्त प्रकोष में आयेगें, वहाँ आवश्यकतानुसार टैंकरों के माध्यम से भी जल पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। टैंकरों से जल वितरण के समय विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा नगर निकायों को पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा।

**नलकूपों को कार्यरत बनाए रखना** : लघु जल संसाधन विभाग नलकूपों को कार्यरत रखने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करेगा। चूँकि टैंकरों से जल पहुँचाने के लिए नलकूपों से जल निकालन की आवश्यकता पड़ेगी, अतएव जिन–जिन नलकूपों की पहचान जल श्रोतों के रूप में की गयी हो, उन्हें चालू रखने के लिए ऑपरेटरों सहित विभाग की मोबाईल टीमें कार्य पर लगी रहेंगी। मोबाईल टीमों में सामान्य यांत्रिक एवं विद्युत दोषों का निराकरण कर सकने वाले मिस्त्री विभागीय पदाधिकारियों के साथ मौजूद रहेंगे। इन मोबाईल टीमों को आवश्यक साजो–सामानों एवं वाहनों से लैस किया जाएगा। इनके बीच नलकूपों का बँटवारा इस प्रकार किया जाएगा ताकि जिले के सभी कार्यरत नलकूपों की नियमित निगरानी हो सके।

**जलापूर्त्ति योजनाओं एवं नलकूपों के विद्युत दोषों का निवारण** : बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग एवं नगर निकायों के साथ सतत् संपर्क कर जलापूर्ति योजनाओं एवं नलकूपों के विद्युत दोषों का निवारण युद्ध स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा अपने स्थानीय पदाधिकारियों को सुपरिभाषित दायित्व सौंपे जाएँगे।

**जलापूर्त्ति योजनाओं एवं नलकूपों को विद्युत आपूर्ति** : बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा जलापूर्त्ति योजनाओं एवं नलकूपों को नियमित विद्युत आपूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर विद्युत आपूर्ति हेतु रोस्टर व्यवस्था लागू की जा सकेगी। पंरतु इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाएगा ताकि आम जल तद्नुसार अपने घरों में जल का प्रबंधन कर सकें।

**मवेशी शिविरों को कार्यरत करना** : आवश्यकतानुसार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा पशु शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में पेयजल एवं चारे की व्यवस्था की जाएगी। पशु शिविरों के स्थान एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी संचार माध्यमों के जरिये आम जन तक पहुँचाई जाएगी।

**जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक** : आवश्यकतानुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा जिले में उत्पन्न जल संकट तथा उससे निपटने के लिए किये जा रहे कार्रवाईयों की नियमित समीक्षा की जाएगी। जब कभी प्राधिकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार संबंधित एजेन्सियों को निर्देष देने की आवश्यकता पड़ेगी प्राधिकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक निदेश देगा था अन्य प्रबंधन करेगा।

**आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक** : आपातकालीन प्रबंधन समूह द्वारा नियमित बैठक कर जिलों में व्याप्त जल संकट से निपटने के लिए किये जा रहे प्रयासों की विस्तृत समीक्षा की जाती रहेगी। जहाँ कहीं वित्तीय एवं अन्य संसाधनों की आवश्यकता होगी, आपातकालीन प्रबंधन समूह आवश्यक निर्णय ले सकेगा। उक्त निर्णय सभी संबंधित विभागों पर बाध्यकारी होंगे।

**रेलवे से पानी की ढुलाई** : पेयजल संकट की स्थिति गहराने के साथ संभव है कि रेलवे से भी प्रभावित जिलों में जल के टैंकर भेजने पड़ें। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस संबंध में रेलवे तथा अन्य एजेन्सियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावित जिले के निकटतम रेलवे स्टेशन तक जल पहुँचाने के व्यवस्था की जाएगी। उक्त रेलवे स्टेशन से संबंधित जिलों तक जल ले जाने तथा उसके भंडारण की व्यवस्था का दायित्व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का होगा।

अनुलग्नक–(6)सुखाड़ आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचलन प्रक्रिया **(SOP) :**

## सुखाड़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रकिया

### 1. संस्थात्मक ढाँचा

**1.1 राज्य कार्यकारिणी समिति**

*आपदा पबधन अधिनियम 2005 की धारा 20 क अन्तगत मख्य राचिव की अध्यक्षता म राज्य कायकारिणी रामिति का गठन किया गया ह जा राखाड आपदा पबधन कायक्रमा का रामन्वय करगी। उक्त रामिति राखाड आपदा पबधन क रावध म राज्य रारकार क किरी भी विभाग या किरी पाधिकार या निकाय का आवश्यक निदश द राकगी।*

**1.2 नोडल विभाग**

*राखाड पबधन क लिए आपदा पबधन विभाग नाडल हागा।*

**1.3 आपातकालीन प्रबंधन समूह (Crisis Management Group)**

*राज्य रतर पर राखाड की रिथति रा निपटन एव उराक पबधन का उत्तरदायित्व मख्य राचिव की अध्यक्षता म गठित आपातकालीन पबधन रामह (Crisis Management Group) का हागा। आपदा पबधन विभाग क द्वारा आवश्यकतानराार आपातकालीन पबधन रामह की बठक आयाजित किया जाएगा। पधान राचिव/राचिव, आपदा पबधन विभाग आपातकालीन पबधन रामह क रादरय–राचिव हाग।*

*आपातकालीन पबधन रामह क निम्नवत रादरय ह–*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *विकारा आयक्त/कषि उत्पादन आयक्त* | *10.* | *पयावरण एव वन विभाग* |
| | *पधान राचिव/राचिव,* | *11.* | *खाद्य एव उपभाक्ता रारक्षण विभाग* |
| *1.* | *लाक रवारथ्य अभियत्रण विभाग* | *12.* | *रामाज कल्याण विभाग* |
| *2.* | *आपदा पबधन विभाग* | *13.* | *राहकारिता विभाग* |
| *3.* | *कषि विभाग* | *14.* | *रारिथक वित्त* |
| *4.* | *गामीण विकारा विभाग* | *15.* | *अध्यक्ष–राह–*प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य *पावर हाल्डिग कम्पनी लिमिटड* |
| *5.* | *रवारथ्य विभाग* | *16.* | निदेशक, अर्थ एवं साख्यिकी निदेशालय |
| *6.* | *पश एव मत्रय रााधन विभाग* | *17.* | निदेशक, भारतीय मौसम विभाग, *पटना* |
| *7* | *ऊजा विभाग* | *18.* | *कन्दीय भगभ जल निदशालय, पटना* |
| *8* | *जल राराधन विभाग* | | |
| *9* | *लघ जल राराधन विभाग* | | |

राखाड की स्थिति की गभीरता का दखत हुए आपातकालीन पबधन रामह (Crisis Management Group) की बठक आवश्यकतानुसार आयाजित की जाएगी जिराम विभिन्न विभागा रा उनक द्वारा राखाड आपदा पबधन क लिए की जानवाली कारवाइया की समीक्षा एव उनकी उपलब्धिया क राबध म पतिवदन पाप्त किया जाएगा। सदस्यीय विभागा क अतिरिक्त अन्य सरकारी/गर सरकारी विभाग/रास्था इत्यादि का भी CMG की बठक म आवश्यकतानुसार मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष द्वारा बुलाया जा सकगा।

### 1.4 जिला पदाधिकारी

जिला पशासन क मुखिया हान क नात, जिला क आपदा पबधन का निदश एव नियत्रण (Command and Control) जिला पदाधिकारी क हाथा म हागा जा सरकार की नीतिया, मागदशन एव दिशा निदश क आलाक म कारवाइ करग। इस पकार जिला पदाधिकारी "घटना कमाण्डर" (Incident Commander) क रूप म काय करग। आवश्यक हान पर व इस उत्तरदायित्व का जिल क किसी अन्य वरीय पदाधिकारी का भी साप सकग। जिल म राज्य सरकार अथवा कन्द सरकार क विभिन्न विभागा क पदाधिकारी/एजन्सी "घटना कमाण्डर" (Incident Commander) क निदशानुसार काय करग। इसी पकार अनुमडल स्तर पर अनुमडल पदाधिकारी एव पखण्ड स्तर पर पखड विकास पदाधिकारी अपन काय क्षत्र म आपदा पबधन क लिए उत्तरदायी हाग तथा व समस्या स निपटारा हतु अनुमण्डल/पखड स्तरीय सभी विभागा क कायो का समन्वय करग। साथ ही व अनुमडल एव पखड स्तर पर Incident Command टीम का गठन करग जा अपन काय क्षत्र म आपदा पबधन क लिए उत्तरदायी हागी।

### 1.5 जिला टास्क फोर्स

जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता म सभी जिला म जिला टास्क फास गठित रहगी जिसम कषि, लाक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग, जल ससाधन, लघु जल ससाधन, पशु एव मत्स्य ससाधन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, गामीण विकास विभाग इत्यादि विभागा क जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल हाग। इस टास्क फास म जिला पदाधिकारी आपदा पबधन क क्षत्र म काय करन वाल जिला क स्वयसवी सगठन/सिविल सासायटी सगठना क पतिनिधिया तथा विषय–विशेषज्ञों को विवेकानुसार शामिल कर सकत ह। अपर जिला दण्डाधिकारी (आपदा पबधन) इस टास्क फास क सदस्य सचिव हाग। यह टास्क फोर्स नियमित बैठक कर स्थिति की समीक्षा करेगी तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार को आवश्यक निणय लन म सहायता करगी।

## 2. मानसून का आगमन एवं संकेतांकों के आलोक में वर्षापात/ धान का आच्छादन आदि के आंकड़ो का विश्लेषण

2.1. *राज्य म धान की फसल खरीफ क मासम की मख्य फसल मानी जाती ह। हालाकि धान क अलावा मक्का जसी फसल भी किसाना द्वारा बायी जाती ह, परत धान का आच्छादन लगभग 34 लाख हक्टयर म हान क कारण धान ही राज्य म खरीफ की मख्य फसल ह। धान का आच्छादन मानसन की वषा स अभिन्न रूप स जडा हआ ह क्याकि इसक बिचड का खत म डालन स लकर रापनी तक पानी की भारी आवश्यकता हाती ह। फसल क पकन क पव भी सिचाइ काय हत पानी की आवश्यकता हाती ह। अतएव भारतीय मासम विज्ञान विभाग द्वारा दक्षिण–पश्चिमी मानसन क आगमन क पथम चरण क दीघकालीन पवानमान क जारी हान तथा मानसन क आगमन क साथ ही वषापात/धान का आच्छादन क आकडा का विश्लषण किया जाना आपदा पबधन विभाग / कषि विभाग एव सभी जिला पदाधिकारिया क लिए आवश्यक हागा।*

*भारतीय मासम विज्ञान विभाग द्वारा अपल क ततीय/चतथ सप्ताह म मानसन क पथम चरण का दीघकालीन पवानमान जारी किया जाता ह। इस उक्त विभाग क वबसाइट* www.imd.gov.in *पर दखा जा सकता ह। इसी वबसाइट पर मानसन क आगमन तथा उसक दिन–पतिदिन क सचरण की गतिविधि मप तथा पस विज्ञप्ति क माध्यम स अपलाड की जाती ह जिसका अनश्रवण आपदा पबधन विभाग/ कषि विभाग एव सभी जिला द्वारा किया जाना आवश्यक हागा। जन माह क पथम सप्ताह म मानसन क द्वितीय चरण का दीघकालीन पवानमान उक्त वबसाइट पर दखा जा सकता ह। साथ ही मानसन की वापसी की भी जानकारी अपलाड की जाती ह। मानसन क सचरण क साथ ही उक्त विभाग पतिदिन अखिल भारतीय मासम पवानमान (*All India weather forecast*) भी उक्त वबसाइट पर अपलाड करता करता ह।*

*राज्य म मानसन क आगमन की सभावित तिथि 10 जन मानी गयी ह। वषापात क आकडा का विश्लषण सामान्य वषापात क सापक्ष वास्तविक वषापात क आकडा क आधार पर किया जाएगा। इसी पकार बिचडा एव धान की रापनी क आकडा का विश्लषण सामान्य क सापक्ष वास्तविक आच्छादन क आधार पर किया जाएगा।*

*माह जन स सितम्बर 30 यानी राज्य म मानसन–अवधि म जिलावार सामान्य वषापात की विवरणी* अनुलग्नक 1 *पर उपलब्ध ह।*

*खरीफ मासम म जिलावार धान एव मक्क क सामान्य आच्छादन की विवरणी* अनुलग्नक 2 *पर उपलब्ध ह।*

2.2 *वषापात क आकडा का इकटठा करन का दायित्व राज्य स्तर पर अथ एव साख्यिकी निदशालय का हागा। अतएव उक्त निदशालय मानसन पव ही सनिश्चित कर लगा कि पखडा म अधिष्ठापित वषामापक यत्र कायरत स्थिति म हा। निदशालय 1 जन स पारभ कर सामान्य क सापक्ष पतिदिन क वास्तविक वषापात का पतिवदन आपदा पबधन विभाग/ कषि विभाग का भजना सनिश्चित करगा। इसक अतिरिक्त दनिक वषापात पतिवदन भारतीय मासम विज्ञान विभाग स भी पाप्त किया जाएगा।*

2.3 *खरीफ फसला क आच्छादन का दनिक पतिवदन विहित पपत्र म कषि विभाग आपदा पबधन विभाग का उपलब्ध कराएगा। कषि विभाग द्वारा विहित पपत्र म गत वष क आकडा क आधार पर तलनात्मक विवरण तयार किया जाएगा।*

2.4 <u>संकेतांकों के आलोक में आंकड़ों का विश्लेषण:</u>

*यदि वषापात सामान्य अथवा उसस अधिक रह ता सखाड की सभावना पाय: नही रहती अपित राज्य म बाढ की सभावना पबल हा जाती ह। वस भी राज्य म "बाढ आपदा हत मानक*

रावालन पकिया" क अनुसार बाढ पव तयारियां पत्यक वष की जाती ह। वषापात सामान्य अथवा सामान्य रा अधिक रहन की दशा म बाढ पव तयारिया पर आपदा पबधन विभाग/ जिला पशारान ध्यान कन्दित करगा। किन्तु वषापात क सामान्य रा कम हान अथवा मानरान क पथम चरण क दीघकालीन पवानुमान म मानरान क कमजार रहन की जानकारी पाप्त हान पर आपदा पबध्न विभाग द्वारा कषि मत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आपातकालीन पबधन याजना (CMP) म वणित सकताका क आलाक म आंकडा का विश्लषण कर सखाड की स्थिति क सबध म यथानुसार आपदा पबधन समह/ राज्य सरकार का अवगत कराया जाएगा। आपदा पबधन समह यथानुसार स्थिति की समीक्षा कर सबधित विभाग क माध्यम स आवश्यक कारवाइयां करगा।
इसी पकार जिला स्तर पर जिल म वषापात/ आच्छादन की स्थिति की समीक्षा कर सखाड की स्थिति क सबध म जिला टास्क फास की बठक म आवश्यक कारवाइ का निणय लिया जाएगा एव तदनुसार कारवाइ पारम्भ की जाएगी।
सुखाड़ की स्थिति के संबंध में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आपातकालीन प्रबंधन योजना (**Crisis Management Plan**) में वर्णित संकेतांक एवं यथास्थिति रिस्पांस के लिए की जाने वाली कार्रवाईयाँ निम्न है:–

<u>निगरानी/सतर्कता संकेतांक **(Watch/Alert Indicator)**</u>

| संकेतांक | रिस्पांस हेतु की जाने वाली कार्रवाईयाँ |
|---|---|
| ➢ दक्षिण–पश्चिम मानसन का बिलब स आगमन क पवानुमान क साथ जल सकट तथा गम हवाआ की लहर<br><br>➢ पव म सखाडगस्त क्षत्रा म मानसन क बिलब स आगमन एव अपल–जन माह म अल्प वषापात (–19% अथवा उससे कम ) का पवानुमान | ❖ आवश्यकतानुसार आपातकालीन पबधन समह की बठक कर स्थिति की समीक्षा एव निदश जारी किया जाना<br><br>❖ आकस्मिक फसल याजना तयार करना तथा इसका पभावी पचार पसार<br><br>❖ अल्पकालिक जल सरक्षण क उपाय करना<br><br>❖ उचित स्वास्थ्य सबधी परामश/ सचनाए पसारित करना तथा आकस्मिक चिकित्सीय सवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना<br><br>❖ महात्मा गाधी राष्ट्रीय राजगार गारटी याजना स अनुपरक राजगार हतु सल्फ आफ पाजक्ट तयार करना<br><br>❖ गर कषि कायां यथा आद्यागिक, व्यवसायिक उपयाग म भ–जल क दाहन पर निगरानी |

चेतावनी संकेतांक **(Warning Indicator)**

| संकेतांक | रिस्पांस हेतु की जाने वाली कार्रवाईयाँ |
|---|---|
| ➢ दक्षिण–पश्चिमी मानसन का बिलम्ब स आगमन<br>➢ जन स मध्य जलाइ क बीच दा सप्ताह सा अधिक अवधि तक अल्प वर्षापात (–19% अथवा उससे कम )<br>➢ गभीर जल सकट<br>➢ भ–जल एव सतही जल क स्तर म पव वर्षा क सामान्य औसत की तलना म कमी | ❖ आपातकालीन प्रबधन समह की बठक म विभिन्न लाइन एजसिया की द्वारा की जा रही कारवाइया की समीक्षा<br>❖ आकस्मिक फसल याजना का कियान्वयन पारम्भ<br>❖ जल सरक्षण की अल्पकालीन याजनाओ का कार्यान्वयन |

आपातकालीन संकेतांक **(Emergency Indicator)**

| संकेतांक | रिस्पांस हेतु की जाने वाली कार्रवाईयाँ |
|---|---|
| ➢ रोपनी क मौसम म अल्प वर्षा या वर्षा का नही हाना<br>➢ मानसन की समयपर्व वापसी<br>➢ चार अथवा अधिक सप्ताह तक वर्षा का न हाना<br>➢ –20% स –40% तक अल्प वर्षापात<br>➢ गर्म हवा एव पानी की कमी क कारण फसला का सखना (Wilting of crops)<br>➢ छः सप्ताह स अधिक अवधि तक सामान्य सा –25% तक कम वर्षापात | ❖ आपातकालीन प्रबधन समह की बठक म विभिन्न लाइन एजसिया की द्वारा की जा रही कारवाइया की समीक्षा<br>❖ बिचडा एव फसला का बचाव हत डिजल सब्सिडि का वितरण<br>❖ आकस्मिक फसल याजना क अनसार वकल्पिक फसल की रोपनी क लिए कारवाइ करना<br>❖ पय जल सकट स निपटन क लिए आकस्मिक काय याजना क अनसार परान चापाकला की मरम्मति एव नए चापाकला की अधिष्ठापन<br>❖ सिचाइ हत नहरा क अन्तिम छार तक पानी पहचान की कारवाइ<br>❖ खाद्यान्न की उपलब्धता का सनिश्चित करना<br>❖ राजकीय नलकपा की यात्रिक एव विद्यत दाषा का दर करना<br>❖ गामीण क्षत्रा म सिचाइ हत निबाध विद्यत आपति सनिश्चित करना<br>❖ मनरगा क अन्तर्गत अनपरक राजगार की |

-

| | |
|---|---|
| | व्यवस्था<br>❖ पशु शिविर स्थलो का चिन्हित करना तथा पशुचारा की उपलब्धता हेतु कारवाइ करना |

विकट संकेतांक (Acute Indicator)

| संकेतांक | रिस्पांस हेतु की जाने वाली कार्रवाईयाँ |
|---|---|
| ➢ दक्षिण–पश्चिमी मानसून का निर्धारित समय से पूर्व वापसी<br>➢ दक्षिण–पश्चिमी मानसून का मानसून अवधि (जुलाइ–अक्टूबर) के बीच में वापसी<br>➢ अत्यन्त अल्प वर्षापात (–25% अथवा उससे कम)<br>➢ मृदा नमी में गंभीर कमी<br>➢ बोआइ वाले क्षेत्रों में 4 – 6 सप्ताह से अधिक वर्षा का नहीं होना<br>➢ भू–जल एवं सतही जल की उपलब्धता में गंभीर कमी | ❖ आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक में विभिन्न लाइन एजेंसियो की द्वारा की जा रही कारवाइयो की समीक्षा<br>❖ बिचडा एवं फसलो का बचाव हेतु डिजल सब्सिडि का वितरण<br>❖ आकस्मिक फसल योजना के अनुसार वैकल्पिक फसल की रोपनी के लिए कारवाइ करना<br>❖ पेय जल संकट से निपटने के लिए आकस्मिक कार्य योजना के अनुसार पुराने चापाकलो की मरम्मति एवं नए चापाकलो की अधिष्ठापन<br>❖ सिंचाइ हेतु नहरो के अन्तिम छोर तक पानी पहुचाने की कारवाइ<br>❖ खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करना<br>❖ राजकीय नलकूपो की यांत्रिक एवं विद्युत दोषो को दूर करना<br>❖ ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाइ हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना<br>❖ मनरेगा के अन्तर्गत अनुपूरक रोजगार की व्यवस्था<br>❖ पशु शिविर स्थलो का चिन्हित करना तथा पशुचारा की उपलब्धता हेतु कारवाइ करना<br>❖ वरीय पदाधिकारियो द्वारा सुखाडग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण एवं आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णयो के आलोक में की जा रही कारवाइयो का अनुश्रवण |

## 2.5 सुखाड़ की अनुमानित परिस्थितियाँ

*भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार*

| क0सं0 | अनुमानित परिस्थितियाँ | वर्षापात की स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | सामान्य वर्षापात (Normal Rainfall) | सामान्य वर्षापात से ± 19% तक वर्षापात |
| 2 | अल्प वर्षापात (Deficient Rainfall) | सामान्य वर्षापात से -20% से -59% तक वर्षापात |
| 3 | अपर्याप्त वर्षापात (Scanty Rainfall) | सामान्य वर्षापात से -59% से -99% तक वर्षापात |
| 4 | वर्षापात में अन्तराल (Dry Spell) | दो अथवा अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होना |
| 5 | मॉनसून की समय पूर्व वापसी (Early withdrawal of Monsoon) | सितम्बर माह से पहले मॉनसून की वापसी एवं वर्षापात न होना |
| 6 | वर्षा का नहीं होना (No Rainfall) | सामान्य वर्षापात से -100% |

*2.6 जैसा कि द्वितीय अध्याय की कंडिका 2.4 में अंकित है, यदि वर्षापात सामान्य अथवा उससे अधिक रहे तो सुखाड़ की संभावना प्रायः नहीं रहती, अपितु राज्य में बाढ़ की संभावना प्रबल हो जाती है। किन्तु (i) अल्प अथवा अपर्याप्त वर्षापात, (ii) वर्षापात में अन्तराल (Dry Spell) अथवा (iii) मॉनसून की समय–पूर्व वापसी के कारण सुखाड़ की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जहां तक वर्षा के बिलकुल भी नहीं होने का प्रश्न है, उस स्थिति में सुखाड़ स्वतः उत्पन्न हो जाता है। राज्य में 1967 के अकाल के बाद वर्षा के बिलकुल न होने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। अतएव आगे के अध्याय में उपरांकित 3 (तीन) स्थितियों में की जाने वाली कार्रवाईयों को केन्द्र में रखकर "मानक संचालन प्रक्रिया" तैयार की गयी है।*

## 3. संचार योजना

**3.1 प्रखण्ड स्तर से राज्य स्तर तक सूचनाओं का प्रवाह**

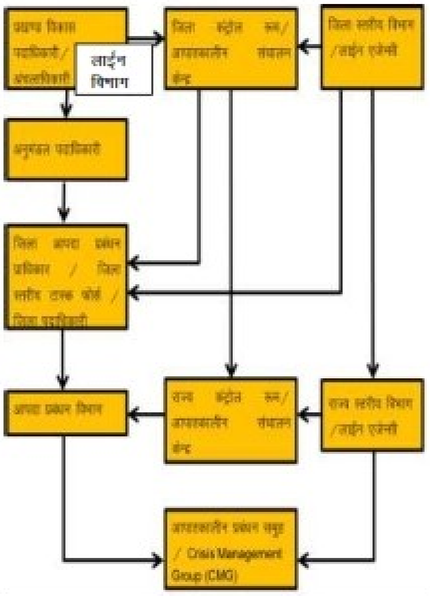


**3.2 राज्य स्तर से प्रखण्ड स्तर तक सूचनाओं का प्रवाह**

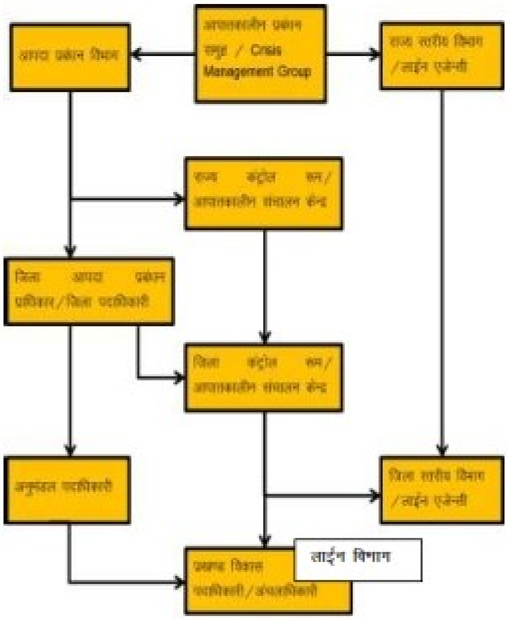


### 3.3 आम जनता तक सूचना का प्रवाह

यह आवश्यक है कि *सखाड की स्थिति आसन्न हान की सही जानकारी सही समय पर आम जनता तक पहंच। इस काय हत आपदा पबधन* विभाग आवश्यक कदम उठायेगा तथा सूच*ना एव जनसम्पक विभाग क समन्वय स आवश्यकतानसार पस सम्मलन तथा अन्य गतिविधियां करगा।*

*इसक अतिरिक्त सबधित विभाग/एजन्सी तथा कषि विभाग, लाक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग, जल ससाधन विभाग, उजा विभाग इत्यादि भी अपन विभाग स सबधित कायां, सखाड क सभावित पभावा स निपटन सबधी उपाया की सही एव ससमय जानकारी जनता तक पहचान का पबध करग।*

*जिला पदाधिकारी वषापात एव फसल आच्छादन क सबध म निम्न ववसाइट स सचना पाप्त करत रहग। इसक लिए एन0आइ0सी क जिला सचना विज्ञान पदाधिकारी का जिम्मदारी सापी जाएगी:–*

| | |
|---|---|
| ➢ Indian Meterological Department - | http://www.imd.gov.in and www.mausam.gov.in |
| ➢ Department of Agriculture, Govt. of Bihar - | http://www.agriculture.bih.nic.in |
| ➢ Disaster Management Department, Govt. of Bihar - | http://www.disastermgmt.bih.nic.in |
| ➢ Central Water Commission, Govt. of India - | http://www.india-water.com |
| ➢ National Remote Sensing Centre (NRSC) - | http://www.nrsc.gov.in |
| ➢ National Agricultural Drought Assessment and Monitoring System - | http://www.dsc.nrsc.gov.in |
| ➢ Ministry of Agriculture & Cooperation, Govt. of India - | http://agricoop.nic.in |

## 4. अल्प वर्षा अथवा अपर्याप्त वर्षा की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई

राज्य म 1–2 साल क अतराल क पश्चात अल्प वर्षापात क कारण सखाड की स्थिति उत्पन्न हाती रहती ह। सामान्यतः गगा क दक्षिणी क्षत्र म स्थित जिल सखाड पवण मान जात ह, परन्त विगत कछ वषा स यह भी पाया गया ह कि गगा क उत्तरी क्षत्र म स्थित जिल बाढ पवण क साथ–साथ सखाड स भी ग्रसित रह ह। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा माह अप्रैल मे मानसून के पूर्वानुमान की घोषणा में अगर मानसून कमजोर अथवा अल्प वर्षा या छिटपुट वर्षा होने की सम्भावना व्यक्त की जाती है तो यह आवश्यक है कि राज्य एवं जिलों में सुखाड़ का सामना सुव्यवस्थित ढंग से करने हेतु पूर्व तैयारियाँ कर ली जाएँ। एसा हान पर सखाड की स्थिति स निपटन एव राहत पहचान म सविधा हागी तथा जनता का हानवाली कठिनाइया का कम किया जा सकगा। सखाड की पव तयारिया क सबध म निम्न कारवाइयां की जाएंगी (चकलिस्ट अनुलग्नक–6 पर सलग्न) :–

सारणी–1

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग/एजेन्सी | लाईन विभाग/एजेन्सी | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|
| 1. | वर्षापात की निगरानी<br>✓ जिला स्तर पर नियमित तार पर वषापात क आकडा का सगहण (पखण्ड स्तर पर) एव विश्लेषण | अथ एव साख्यिकी निदशालय | जिला पदाधिकारी/अथ एव साख्यिकी निदशालय क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास | 1 जन स 31 अक्टबर तक |
| 2. | पीने के पानी की उपलब्धता एवं इसके लिये आकस्मिक योजना<br>✓ पयजल सकट पबधन हत मानक सचालन पक्रिया अनरूप पव तयारी की समीक्षा तथा आकस्मिक याजना का अद्यतन करना। (पेयजल संकट प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रकिया आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाईट http://www.disastermgmt.bih.nic.in पर | लाक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग | जिला पदाधिकारी/लाक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग क जिला स्तरीय | 15 मइ तक |

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|
| | देखी जा सकती है)<br>✓ निमाणाधीन पाइप जलापत्ति याजनाआ का यथाशीघ पण किया जाना।<br>✓ बन्द पड चापाकला की मरम्मति<br>✓ नए चापाकला का अधिष्ठापन | | पदाधिकारी / जिला टास्क फास | |
| 3. | आकस्मिक फसल योजना<br>✓ साखाड की स्थिति हत खरीफ फसल क लिय आकस्मिक याजना का सत्रण / आकस्मिक याजना का अद्यतन करना। पशु चारा का भी आकस्मिक याजना म शामिल किया जायगा। (आकस्मिक फसल योजना कृषि विभाग के वेबसाईट http://krishi.bih.nic.in/ पर देखी जा सकती है) | कृषि विभाग | जिला पदाधिकारी / कृषि विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फास | 15 जन तक |
| 4. | फसल बीमा<br>सखाड क सकताका आर तात्कालिक रूझाना का दखत हए मासम आधारित फसला का बआइ स पव ही विशेष अभियान चला कर एव किसाना का जागरूक कर फसल बीमा कराना। | सहकारिता विभाग | जिला पदाधिकारी / सहकारिता विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फास | तात्कालिक परिस्थिति क अनरूप 15 अगस्त स पव। |
| 5. | सिंचाई हेतु आवश्यक प्रबंध<br>✓ जिन जिला म अल्प वषापात / सखाड क कारण सिचाइ क पानी की कमी हान की सभावना ह, स्थानीय स्थितिया क अनरूप आकस्मिक याजना तयार करना। आकस्मिक याजना म खरीफ की फसल क लिए बिचडा लगान क लिए पानी की व्यवस्था एवं धान की रोपनी तथा इसके पश्चात supplementary irrigation क लिए विभिन्न स्तरा पर की जानवाली कारवाइया की सक्ष्म रूप स | लघ जल ससाधन / जल ससाधन विभाग / ऊजा विभाग | जिला पदाधिकारी / लघ जल ससाधन / जल ससाधन विभाग / ऊजा विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी / | 15 जन |

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|
| | व्याख्या होगी।<br>✓ सिचाइं हेतु अधिष्ठापित सभी टयूबवेलों का ससमय यांत्रिक दोषों के निवारण हेतु आवश्यक मरम्मति कराना। टयूबवेलों के विद्युत दोषों को दूर करने के लिए ऊर्जा विभाग से समन्वय करना।<br>✓ राज्य के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी टयूबवेलो में आवश्यक विद्युत आपूर्ति हेतु एक आकस्मिक योजना तैयार करना।<br>✓ विद्युत दोषों के कारण बंद पड़े ट्रांसफार्मरों / टयूबवेलों को चालू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना।<br>✓ ऊर्जा विभाग द्वारा आकस्मिक योजना का सत्रण करना । (आकस्मिक योजना ऊर्जा विभाग के वेबसाईट http://energy.bih.nic.in/ पर देखी जा सकती है)<br>✓ आकस्मिक योजना प्रत्येक वर्ष अद्यतन करना आवश्यक होगा।<br>✓ लघु जल संसाधन विभाग द्वारा भूजल सिंचाई से संबंधित विभागीय योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाएगा एवं सुखाड़ के लिए युद्धस्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।<br>✓ नहरों के आखिरी छोर तक पानी पहुंचाने हेतु आवश्यक कारवाई करना। | | जिला टास्क फोर्स | तक |
| 6. | जल संरक्षण हेतु आवश्यक प्रबंध<br>प्रारंभिक संकेतकों के विश्लेषण से यदि सूखे का आभास हो तो<br>✓ कम अवधि की जल संरक्षण (Short Term Water Conservation) संबंधी उपाय किया जाना।<br>✓ मनरेगा के अन्तर्गत Water Harvesting की योजनायें जैसे आहर, पाइन एवं तालाबों की मरम्मति इत्यादि का कार्य कराना।<br>✓ पारंपरिक सतही एवं भूगर्भ जलस्रोतों जैसे – | लघु जल संसाधन विभाग / ग्रामीण विकास विभाग | जिला पदाधिकारी / लघु जल संसाधन विभाग / ग्रामीण विकास विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स | 15 अप्रैल से 30 जून तक |

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|
| | तालाब, पोखर, आहर, पाइन आदि का रिवाज करने हेतु आवश्यक कदम उठाना। | | | |
| 7. | खाद्यान्न की उपलब्धता<br>✓ राज्य खाद्य निगम के कार्यालयों / गोदामों में खाद्यान्न उपलब्धता का आकलन तथा आवश्यकतानुसार भंडारण सुनिश्चित करना। | खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | जिला पदाधिकारी / खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स | 15 जून तक। |
| 8. | भुखमरी से बचाव<br>✓ शताब्दी अन्न कलश योजना अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत में दो–दो क्वींटल खाद्यान्न चक्रीय स्टॉक (Revolving Stock) के रूप में रखना सुनिश्चित करना।<br>(शताब्दी अन्न कलश योजना को आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाईट http://www.disastermgmt.bih.nic.in पर देखा जा सकता है) | आपदा प्रबंधन विभाग | जिला पदाधिकारी / जिला के अपर जिला दण्डाधिकारी (आपदा प्रबंधन) / जिला टास्क फोर्स | सतत निगरानी। |
| 9. | मानव स्वास्थ्य की देखभाल<br>✓ सुखाड़ की स्थिति में संभावित बिमारियों की रोकथाम हेतु की जानेवाली कारवाइयों के संबंध में संधारित अनुदेश सभी सिविल सर्जन / प्रमंडलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी को निर्गत करेगा। उक्त अनुदेश में वर्णित निर्देशों के अनुरूप तैयारियां की जाएगी।<br>स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 603 (11) दिनांक–14.07.2015 द्वारा निर्गत अनुदेश की प्रति अनुलग्नक – 3 | स्वास्थ्य विभाग | जिला पदाधिकारी / स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स | 15 मई तक |
| 10. | पशु संसाधन की देखभाल<br>पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा आकस्मिक योजना तैयार करना, जिसके अन्तर्गत निम्न गतिविधियां भी | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग / | जिला पदाधिकारी / पशु | 15 जून तक |

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|
| | शामिल हागी :–<br>✓ पशुआ क लिए पानी एव चार की व्यवस्था करना।<br>✓ जलसाता की पहचान एव जल क सगहण क लिए लघु जल ससाधन विभाग स समन्वय स्थापित करना<br>✓ पशु राहत शिविर का स्थल चिन्हित करना। पशु शिविर यथा सभव राजकीय टयबवला अथवा अन्य जल साता क आस–पास स्थापित किए जाए<br>✓ पशुचारा का सगहण एव आपत्ति।<br>✓ सुखाड़ के समय पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था पव स ही करना। कम नमी म जमन वाली घास बरसिम, श बबल एव अन्य दसर पशु आहार की व्यवस्था या उपलब्धता क लिए पडासी राज्या स भी लाइजन रखना हागा।<br>✓ सखाड क दारान पशुआ म उत्पन्न हान वाली विभिन्न बिमारिया क लिए पशु चिकित्सालया म आवश्यक दवाइया / टीका इत्यादि का पबध करना।<br>✓ इस याजना का पत्यक वष अद्यतन करना।<br>✓ मृत पशु / पक्षिया क मत शरीर का जलान अथवा दफनान का स्थान चिन्हित करना। | लघु जल ससाधन विभाग | एव मत्स्य ससाधन विभाग / लघु जल ससाधन विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फास | |
| 11. | रोजगार की उपलब्धता<br>✓ राजगार की वकल्पिक व्यवस्था करन क लिए एक आकस्मिक याजना तयार करना जिसम गामीण क्षत्रा म आवश्यकतानुसार किय जानवाल विभिन्न कायो की पहचान की जाएगी।<br>✓ मनरगा याजना क अन्तगत जिला, पखड एव पचायत स्तर पर Shelf of Project or Bank of Sanctions पव स ही तयार रखना। | गामीण विकास विभाग | जिला पदाधिकारी / गामीण विकास विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फास | 30 मइ तक। |
| 12. | सामाजिक सुरक्षा<br>✓ वृद्धावस्था पेंशन का वितरण सुनिश्चित करना।<br>✓ छात्रवति का वितरण ससमय कराना ताकि गरीब बच्चा की पढाइ नही छट। | समाज कल्याण विभाग / शिक्षा विभाग | जिला पदाधिकारी / समाज कल्याण विभाग / | 30 मइ तक। |

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी | समय सीमा |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ✓ बच्चा एव गभवती तथा धात महिलाआ का कुपाषण स बचान क लिए आंगनबाडी कन्दा म चलाय जा रह कायक्रमा का पभावी ढग स कायान्वयन करना।<br>✓ स्कला म चलाए जा रह मध्याहन भाजन का कायान्वयन कराना। | | शिक्षा विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फास | |
| 13 | <u>सूचना एवं मिडिया का प्रबंधन</u><br>भारतीय मासम विज्ञान विभाग एव कषि विभाग स पाप्त वषापात एव फसल आच्छादन क आकड का विश्लषण कर सुखाड स सबधित आवश्यक सचनाआ का पसारित करन हत मिडिया का जानकारी दना। | आपदा पबधन विभाग / सचना एव जन सम्पक विभाग | जिला पदाधिकारी / सचना एवज न सम्पक विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी | |

## 5. वर्षापात में अन्तराल के आलोक में की जाने वाली कार्रवाई

### (दो अथवा अधिक सप्ताह तक वर्षा न होना)

भारतीय मासम विज्ञान विभाग क पथम/द्वितीय दीघकालीन पवानुमान क आलाक म दक्षिण–पश्चिमी मानसन की स्थिति कमजार हान पर अध्याय–4 म वर्णित कारवाइयां अपक्षित हागा, परन्तु यह भी समव ह कि दक्षिण–पश्चिमी मानसन की स्थिति सामान्य हान पर भी मानसन क दारान दा अथवा अधिक सप्ताह तक वषा न हा ता वस स्थिति म यह आवश्यक हागा कि लगाए गए बिचडा/ फसला का बचान हतु निम्न कारवाइ कर ली जाय जा अल्प वषा अथवा अपर्याप्त वषा की स्थिति म की जान वाली कारवाइया क अतिरिक्त हागी (चकलिस्ट अनुलग्नक–7 पर सलग्न)।

सारणी –2

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग/एजेन्सी | लाईन विभाग/एजेन्सी |
|---|---|---|---|
| 1 | राज्य म फसल आच्छादन/ वषापात/ सिचित क्षत्र/ भगभ जल की स्थिति आदि क आकडा की गहन समीक्षा करना तथा लिए गए निणय क आलाक म सभी सबधित का तदनसार अगतर कारवाइ क लिय आदश निगत करना | राज्य आपातकालीन पबधन समह/आपदा पबधन विभाग | जिला पदाधिकारी/जिला टास्क फास |
| 2 | डीजल अनदान क माध्यम स लगाय गए बिचडा/फसला का बचान हतु समचित उपाय करना। | कषि विभाग | जिला पदाधिकारी/कषि विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास |
| 3 | नहरा क माध्यम स अतिम छार तक पानी पहुंचान की कारवाइ म तजी लाना एव लगातार क्षत्र म भमण कर कठिनाइया का दर करना | जल ससाधन विभाग | जिला पदाधिकारी/ जल ससाधन विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास |
| 4 | टयबवला क माध्यम स ज्यादा क्षत्र सिचित करन हतु बद पड टयबवला की यात्रिक एव विद्युत दाष तरन्त ठीक करना। | लघु जल ससाधन विभाग/ ऊजा विभाग | जिला पदाधिकारी/ लघु जल ससाधन विभाग/ ऊजा विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | गामीण क्षत्रा म सिचाइ हत विद्युत की आपति सनिश्चित करना | ऊजा विभाग/ बिहार स्टट पावर हाल्डिग कम्पनी लिमिटड | जिला पदाधिकारी/ ऊजा विभाग/ बिहार स्टट पावर हाल्डिग कम्पनी लिमिटड क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टारक फास |
| 6 | पयजल सकट स निपटन हत मानक सचालन पकिया क अनरूप कारवाइ करना | लाक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग | जिला पदाधिकारी/ लाक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टारक फास |

## 6. मॉनसून की समय पूर्व वापसी की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाईयाँ

दक्षिण–पश्चिमी मानसून के दौरान यह संभव है कि मानसून समय पूर्व वापसी हो जाए। ऐसी परिस्थिति में प्रभावित जिलों में फसल का बचाव, वैकल्पिक कृषि कार्य की व्यवस्था करने, सिंचाई, पेयजल, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने, पशु संसाधनों का सही रख–रखाव करने, इत्यादि के लिए आवश्यकतानुसार अध्याय–4 एवं 5 में अंकित कार्रवाइयों के अतिरिक्त निम्न कार्रवाइयों की आवश्यकता होगी। इस दौरान अन्य सहायता कार्य चलाने, आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। संबंधित विभागों द्वारा निम्न प्रकार से वर्णित कार्य किये जाएंगे (चेकलिस्ट अनुलग्नक–8 पर संलग्न)।

सारणी 3

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग/एजेन्सी | लाईन विभाग/एजेन्सी |
|---|---|---|---|
| 1. | पेयजल (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मानव तथा पशु संसाधनों के लिए) आपूर्ति<br>✓ सुखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति हेतु पूर्व में लगाये गये चापाकलों/नलकूपों की मरम्मति करना।<br>✓ आवश्यकता का आकलन कर पुराने चापाकलों को और गहरे स्तर तक गाड़े जाने की व्यवस्था करना।<br>✓ जरूरत के अनुसार नये नलकूप/चापाकल लगाना।<br>✓ पाइप जलापूर्ति योजनाओं के लिए ऊर्जा विभाग से समन्वय कर विद्युत आपूर्ति कराना।<br>✓ जरूरत के अनुसार पानी भरकर टैंकर/ट्रक/ट्रैक्टर पर पी0वी0सी0 टंकी बैठाकर पहुंचाने की व्यवस्था करना।<br>✓ ग्रामीण क्षेत्रों में जल भंडारण की व्यवस्था करना।<br>✓ सुखाग्रस्त क्षेत्रों में अतिरिक्त सबमर्सिबल पंप रखना ताकि कहीं खराबी आने पर उसे तुरंत बदलकर जलापूर्ति चालू रखा जा सके।<br>✓ टैंकर एवं ट्रैक्टर पर पी0वी0सी0 टंकी को भरने के लिए हाइड्रेंट का निर्माण करना।<br>✓ कंट्रोल रूम एवं हेल्पलाइन की व्यवस्था करना।<br>✓ इस संबंध में पेयजल संकट प्रबंधन हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जायेगा।<br>(पेयजल संकट प्रबंधन हेतु अपनाए जाने वाली मानक संचालन प्रकिया आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाईट | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (ग्रामीण क्षेत्र)/नगर विकास विभाग (शहरी क्षेत्र) | जिला पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स |

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी |
|---|---|---|---|
| | **http://www.disastermgmt.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है)<br>✓ शहरी अथवा नगर पचायत क्षत्रा म जलापत्ति की शिकायत दज करन एव समस्या क त्वरित निष्पादन हत हल्पलाइन की व्यवस्था करना। | | |
| 2. | वैकल्पिक / आकस्मिक फसल योजना<br>✓ पव स तयार आकस्मिक फसल याजना का कियान्वयन करना।<br>✓ किसाना का आकस्मिक फसल याजना म निहित उपाया का इस्तमाल करन हत पात्साहित करना तथा इसक लिए जागरुकता अभियान चलाना। | कृषि विभाग | जिला पदाधिकारी / कृषि विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फास |
| 3. | फसल बीमा / कृषि ऋण<br>✓ फसल बीमा याजना क अतगत यदि सभी कृषक आच्छादित न हा ता अभियान चलाकर अधिक स अधिक किसाना का आच्छादित करना। इस काय म छोटे किसानों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा।<br>✓ कृषि ऋण उपलब्ध करान हत अपक्षित कारवाइ करना। | सहकारिता विभाग / सास्थिक वित | जिला पदाधिकारी / सहकारिता विभाग / सास्थिक वित क जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फास |
| 4. | डीजल अनुदान वितरण<br>आवश्यकतानुसार बिचडा एव फसला की सरक्षा एव बचाव क लिए डीजल अनदान उपलब्ध कराना। फसल बचान क लिए कितनी बार डीजल अनदान दिया जाय इसका निणय आपातकालीन पबधन समह द्वारा परिस्थितिया क अनरूप किया जायगा।<br>✓ डीजल अनदान का वितरण पचायत राहत एव अनश्रवण समिति की दखरख म कराना।<br>✓ अनदानित बीज का वितरण करान की व्यवस्था करना।<br>✓ कृषि सझावा / बलटिन का समाचार पत्रा एव अन्य मीडिया माध्यमा स पभावित कृषका क बीच व्यापक पचार पसार कराना। | कृषि विभाग | जिला पदाधिकारी / कृषि विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फास |
| 5. | वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था<br>✓ सिचाइ हत अधिष्ठापित सभी टयबवला का कायरत रखना। ससमय आवश्यक मरम्मति कराना। टयबवला क विद्यत एव यात्रिक दाषा का भी दर करन क लिए आवश्यक कदम उठाना।<br>✓ गामीण क्षत्रा (अति पभावित) क लिए पयाप्त (कम स कम 8 घट) विद्यत आपत्ति सनिश्चित करना। | लघ जल ससाधन विभाग / बिहार पावर हाल्डिग कॉरपोरेशन | जिला पदाधिकारी / लघ जल ससाधन विभाग / बिहार पावर |

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग/एजेन्सी | लाईन विभाग/एजेन्सी |
|---|---|---|---|
| | सिचाइ आदि क लिए आवश्यक ह कि शहरी एव गामीण दाना क्षत्रा म जल का समचित पबधन किया जाए :–<br>✓ विभिन्न पक्षत्रा यथा– उद्याग, कषि आदि म जल की माग का आकलन करना।<br>✓ किसाना का सिचाइ क लिय नहर स आच्छादित क्षत्रा म अतिम छोर तक पानी पहुँचाने हेतु आवश्यक प्रबध करना।<br>राज्य के प्रमुख जलाशयों एवं अन्य सतही जल स्रोतों पर निगरानी रखना ताकि इसक दरूपयाग स बचाया जा सक। | लि0/जल ससाधन विभाग/ लघ जल ससाधन विभाग | हाल्डिग कॉरपोरेशन लि0/जल ससाधन विभाग/ लघ जल ससाधन विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास |
| 6. | खाद्यान्न सुरक्षा<br>✓ कल्याणकारी याजनाआ क अतगत खाद्यान्न की उपलब्धता एव इसक उठाव का अनश्रवण करना।<br>✓ मफ्त साहायय वितरण हत खाद्यान्न का पयाप्त भडारण की व्यवस्था करना।<br>✓ कन्द सरकार स अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध करान हत अनराध करना।<br>✓ खाद्यान्न एव खाद्य पदाथा क मल्य म अनावश्यक वद्धि पर सतत निगरानी करना। मल्या म अनावश्यक वद्धि स राज्य सरकार का अवगत कराना।<br>✓ मल्य वद्धि राकन हत जमाखारी, काला बाजारी आदि पर नियत्रण क लिए आवश्यक कदम उठाना। | खाद्य एव उपभाक्ता सरक्षण विभाग | जिला पदाधिकारी/ खाद्य एव उपभाक्ता सरक्षण विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास |
| 7. | पशु संसाधन की देखभाल<br>✓ पशचारा की उपलब्धता सनिश्चित करना।<br>✓ चिन्हित पश शिविरा म जल की व्यवस्था करना।<br>✓ पश चिकित्सालया म दवा का भडारण करना। एटी–बायाटिक्स, एनालजसिक, पारासिटामाल, एटी–हिस्टास्टामिनिक, एटी–डायरियल, लीवर टानिक, नारमल सलाइन, एलक्ट्रालाइट इन्यजन लिक्विड, आदि का क्रय आवश्यकतानसार किया जाएगा।<br>✓ मृत पशुओं के शवों के सुरक्षित निपटान (विसर्जन) की त्वरित | पश एव मत्स्य ससाधन विभाग | जिला पदाधिकारी/ पश एव मत्स्य ससाधन विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास |

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी |
|---|---|---|---|
| | व्यवस्था करना। | | |
| 8. | विद्युत आपूर्ति<br>✓ कृषि एवं अन्य कार्यों जैसे पम्प, नहर योजनाएं, राजकीय नलकूपों, सिंचाई योजनाएं एवं निजी नलकूप हेतु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।<br>✓ सुखाड़ प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अलग–अलग क्षेत्रों के लिए अलग–अलग समय निर्धारित करते हुए इसका प्रचार प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से करना। | ऊर्जा विभाग / बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि0 | जिला पदाधिकारी / ऊर्जा विभाग / बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि0 के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स |
| 9. | सूचना प्रबंधन एवं मीडिया के साथ समन्वय<br>सुखाड़ आपदा के पूर्व सूखा के सतर्कता एवं आपदा के समय कृषि विभाग के द्वारा फसलों के बचाव आदि से संबंधित बुलेटिन जारी किया जाना। समाचार पत्रों एवं अन्य मीडिया माध्यमों में इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना। | कृषि विभाग / सूचना एवं जन संपर्क विभाग | जिला पदाधिकारी / कृषि विभाग एवं सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी |

## 9. सुखाड़ के घोषणा के पश्चात् की जानेवाली कार्रवाइयाँ

पभावित क्षत्रा का सखाडगरत (आपदाग्रस्त) घाषित करन क उपरात उन क्षत्रा म आवश्यक कारवाइया निम्नानसार की जाएगी :–

1. अधिराचित जिला म सखाड स निपटन हत राज्य आपदा रिस्पास निधि (SDRF) तथा राष्टीय आपदा रिस्पास निधि (NDRF) स दी जानवाली सहायता क पावधान तत्काल पभाव स लाग हाग। SDRF/ NDRF स दी जानवाली सहायता का मानदर अनुलग्नक 10 पर अकित है। यह मानदर समय–2 पर पनरीक्षित किया जा सकगा।
2. अधिराचित जिला म किसाना स सहकारिता ऋण, राजस्व लगान एव सस, पटवन शल्क, विद्युत शल्क जा सीध कषि स सबधित हा, की वसली उस वित्तीय वष क लिए स्थगित रहगी।
3. वित्त विभाग/ सास्थिक वित्त क सहयाग स राष्ट्रीयकत बका द्वारा किसाना का दिए गए ऋण की वसली हत पननिधारण हत अनराध किया जाएगा।
4. जहां सखाड क दारान रिस्पास एव राहत की आवश्यकता पडती ह, वही सखाड की घाषणा क पश्चात दीघकालीन सहायय क काय भी महत्वपण हा जात ह। अतएव सखाड की घाषणा क पश्चात आवश्यकतानसार अध्याय 6 म अकित कारवाइया क अतिरिक्त निम्न कारवाइयां अपक्षित हागी (चकलिस्ट अनुलग्नक–9 पर सलग्न)

सारणी–5

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी |
|---|---|---|---|
| 1. | <u>आकस्मिक फसल योजना का युद्धस्तर पर कियान्वयन</u><br>पव स तयार आकस्मिक फसल याजना का कियान्वयन पारम्भ किया जाना। आकस्मिक फसल याजना का व्यापक पचार पसार किया जाना तथा इसम निहित उपाया का इस्तमाल करन क लिए कषका का पात्साहित किया जाना। | कषि विभाग | जिला पदाधिकारी/ कषि विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास |
| 2. | <u>फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान वितरण</u><br>सखाड की घाषणा क बाद फसल क्षति क लिए SDRF क निधारित मानदर क अनसार कषि इनपट अनदान वितरण पर विचार करना/ जिला म फसल क्षति की सचना पाप्त हान पर जिला पदाधिकारी क नियत्रणाधीन कमी तथा कषि विभाग क क्षत्रीय कमी पारभिक सची तयार करग। इस सची की रण्डम जांच जिला म पदस्थापित अपर समाहत्ता स्तर क पदाधिकारी/ वरीय उपसमाहत्ता/ अनमडल अधिकारी/ भमि सधार उपसमाहत्ता क द्वारा किया जाएगा। इस पकार फसल | आपदा पबधन विभाग/कषि विभाग | जिला पदाधिकारी/ जिला क अपर जिला दण्डाधिकारी (आपदा पबधन)/कषि विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | क्षति स पमावित किसाना की सची पखड क नाटिस बाड/ जिला क वबसाइट पर अपलाड की जाएगी। तदापरान्त SDRF क मानदर क अनसार कषि इनपट अनदान की राशि सीध लामका क खाता म RTGS/NEFT क माध्यम स अतरण किया जाएगा। इस सदभ म आपदा पबधन विभाग क पत्राक 1602/आ0प0 दिनाक 02.05.15 अनुलग्नक 5 पर दष्टव्य ह। | | |
| 3. | **फसल बीमा से आच्छादित फसलों के लिए बीमा लाभ भुगतान**<br>यदि क्षतिगस्त फसल, फसल बीमा स आच्छादित हा ता सहकारिता विभाग द्वारा यथाशीघ विभागीय याजनानसार फसल बीमा की राशि क भगतान हत कारवाइ सनिश्चित की जाएगी। | सहकारिता विभाग | जिला पदाधिकारी/ सहकारिता विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास |
| 4. | **किसान केडिट कार्ड धारकों को ऋण का वितरण**<br>यह सनिश्चित किया जाएगा कि सखाडग्रस्त क्षत्र क किसान कडिट काड धारका का आगामी फसल की बआइ हत ऋण उपलब्ध कराया जाए। इसक लिए जिला स्तरीय बकर्स समन्वय समिति की बठक म रणनीति बना कर तदनसार कारवाइ की जाएगी। | वित्त विभाग (संस्थिक वित्त)/ राज्य स्तरीय बकर्स समन्वय समिति/कषि विभाग | जिला पदाधिकारी/जिला कषि पदाधिकारी/ जिला स्तरीय बकर्स समन्वय समिति |
| 5. | **बैंक ऋणों का पुनर्निधारण (Rescheduling of Bank Loan)**<br>✓ राष्ट्रीयकत एव सहकारिता बका द्वारा किसाना का दिय गय ऋण की वसली का पनर्निधारण (Re-scheduling) करवाना। | वित विभाग/ राज्य स्तरीय बकर्स समिति/ सहकारिता विभाग | जिला पदाधिकारी/ जिला स्तरीय बकर्स समन्वय समिति |
| 6. | **पशु संसाधन की देखभाल**<br>✓ पश शिविरो का आवश्यकतानसार सचालित करना।<br>✓ पशचारा/ ओरल रिहाइड्रेशन हत आवश्यक दवाओ/ एलक्ट्रोलाइट पकट की वितरण सनिश्चत करना।<br>✓ मत पशओ क शवो का सरक्षित निपटान (विसर्जन) करना।<br>✓ पश चिकित्सको/अन्य पशिक्षित कर्मी का शिविरो म | पश एव मत्स्य ससाधन विभाग | जिला पदाधिकारी/पश एव मत्स्य ससाधन विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | पतिनियुक्त करना। | | |
| 7. | स्वास्थ्य सेवाएँ<br>✓ पभावित जिल म माबाइल मडिकल कयर यनिट की पतिनियुक्ति करना। पत्यक जिला म सुखाड की अवधि तक सिविल सर्जन क अधीन एक मॉनटरिंग सल का गठन हागा जिसम पदाधिकारी एव कर्मचारी 24 घट कार्यरत रहग।<br>✓ सुखाड क समय भदय (Vulnerable) समह यथा बच्च, दूध पिलाने वाली/गर्भवती महिलाएँ, वृद्ध एवं निःशक्त व्यक्तिया पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाना।<br>✓ स्वास्थ्य विभाग एक अनुदेश सभी प्रमंडलीय आयुक्ता/जिला पदाधिकारिया/सिविल सर्जना का भज रखा है। उक्त अनुदेश के आलोक म कारवाइयां की जायगी। (अनुलग्नक–3) | स्वास्थ्य विभाग | जिला पदाधिकारी/ स्वास्थ्य विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास |
| 8. | महामारी की रोकथाम<br>सुखा क पश्चात सुखाड पभावित क्षत्रा म महामारी फलन की सभावना क आलाक म महामारी की राकथाम हत स्वास्थ्य विभाग द्वारा निराधात्मक उपाय करना। | स्वास्थ्य विभाग | जिला पदाधिकारी/ स्वास्थ्य विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फास |
| 9. | महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल<br>✓ सुखाड क्षत्रा म बच्चा क लिए अतिरिक्त पाषाहार की व्यवस्था करना। इसम आगनवाडी कन्दा स आच्छादित बच्च तथा वस बच्च, गर्भवती एव धात्री महिला जा आगनवाडी कन्दा स आच्छादित न हा पाए हा, शामिल हाग। इसक लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा आवश्यक राशि जिला का उपलब्ध करायी जाएगी।<br>✓ पत्यक कन्द पर उपलब्ध मडिकल किट म आ0आर0एस0 एव पारासिटामाल दवा का रखा जाना। इसक अतिरिक्त जहां–जहां आगनवाडी कन्द नही हा वहां आशा कार्यकर्त्ता क द्वारा यह व्यवस्था करना।<br>✓ पभावकारी एव सकारात्मक परिणाम पाप्त करन हत नियमित एव विधिवत अनुश्रवण करना। | समाज कल्याण विभाग/ स्वास्थ्य विभाग | जिला पदाधिकारी/ समाज कल्याण विभाग/ स्वास्थ्य विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फास |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. | सामाजिक सुरक्षा<br>✓ चयनित वद्धावस्था पशनधारिया का नियमित भगतान अभियान चलाकर किया जाना।<br>✓ छट हए याग्य वद्धावस्था पशन क लाभका का चयन अभियान चलाकर किया जाना। | समाज कल्याण विभाग | जिला पदाधिकारी/ समाज कल्याण विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टारक फास |
| 11. | मध्याह्न भोजन की व्यवस्था<br>✓ जिला स्तर पर मध्याहन भाजन का अनश्रवण एव उपलबध्ता सनिश्चित कराना। इस काय क लिए खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना। | शिक्षा विभाग/ खाद्य एव उपभाक्ता सरक्षण विभाग | जिला पदाधिकारी/ शिक्षा विभाग/ खाद्य एव उपभाक्ता सरक्षण विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टारक फास |
| 12. | रोजगार सृजन<br>✓ सखाग्रस्त क्षत्रा म राजगारान्मख कायक्रम म वद्धि करना।<br>✓ गामीण क्षत्रा म राजगार क सजन हत मनरगा क अन्तगत परियाजनाआ क बक आफ सक्शस का कियान्वयन करवाना, जिसम जल सरक्षण की याजना यथा– तालाब, आहर एव पाइन उडाही, चक डम, डगबल, वक्षारापण इत्यादि की परियाजनाआ का पाथमिकता दना।<br>✓ राजगार सजन हत मनरगा का व्यापक रूप स कायान्वित करना।<br>अन्य सबधित विभाग भी गामीण क्षत्रा म आवश्यकतानसार राजगार उपलब्ध कराना। | गामीण विकास विभाग | जिला पदाधिकारी/ गामीण विकास विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टारक फास |
| 13. | मुफ्त साहाय्य<br>✓ आपातकालीन पबधन समह एव यथानसार राज्य स्तरीय आपदा राहत काष समिति द्वारा मफ्त साहायय वितरण का निणय आवश्यकतानसार लिया जाएगा। मफ्त साहाय्य का वितरण SDRF क मानदर क अनसार आवश्यकतानसार पारम किया जाएगा।<br>✓ वद्ध, विधवा, विकलाग, निराश्रित (destitute), असाध्य राग स पीडित व्यक्तिया का मफ्त साहाय्य वितरण किया जाएगा। इसम घमत जनजातिया क भी उपराक्त श्रणी क व्यक्ति शामिल हाग। | आपदा पबधन विभाग | जिला पदाधिकारी/ जिला क अपर जिला दण्डाधिकारी (आपदा पबधन) / जिला टारक फास |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | वन्य जीवों के लिए व्यवस्था<br>✓ वन अभयारण म पशआ हत आवश्यकतानसार पय जल की व्यवस्था करना। | वन एव पयावरण विभाग | जिला पदाधिकारी/ पमण्डलीय वन पदाधिकारी |
| 15. | अनुश्रवण<br>जिला स्तरः<br>✓ जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी क नतत्व म सखाड साहायय काय चलाए जायग।<br>✓ सखाड क अनश्रवण हत जिला स्तर पर 24X7 क्रियाशील नियत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। इसक दरभाष सख्या का समाचार पत्रा क माध्यम स पसारित किया जाएगा। नियत्रण कक्ष म रास्टर म सिविल पदाधिकारिया क अतिरिक्त अन्य तकनीकी सवाआ क पदाधिकारी भी पतिनियक्त किय जाएग।<br>✓ जिला पदाधिकारी क अधीन गठित टास्कफास सखाड स उत्पन्न स्थिति एव इसक निवारण हत किय जा रह पयासा का साप्ताहिक अनश्रवण करगी।<br>✓ आपदा पबधन विभाग द्वारा निगत पत्राक 1971 दिनाक 16.07.2009 क आलाक म कारवाइ की जाएगी (अनुलग्नक 4)।<br>राज्य स्तर परः<br>✓ आपदा पबधन विभाग म राहत काय क अनश्रवण हत गठित नियत्रण कक्ष 24X7 क्रियाशील रहगा।<br>✓ उजा विभाग, कषि विभाग, खाद्य एव उपभाक्ता सरक्षण विभाग तथा लाक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग म विशष नियत्रण कक्ष स्थापित किय जाएग जा 24X7 क्रियाशील रहग।<br>✓ राज्य स्तर पर गठित आपातकालीन पबधन समह (Crisis Management Group) निरतर क्रियाशील रहगा तथा सखाडग्रस्त जिला म राज्य सरकार द्वारा उठाय गय कदमा का सतत अनश्रवण करगा।<br>उपयक्त क आलाक म सबधित विभाग विहित पक्रिया क अन्तगत सक्षम पाधिकार का अनमादन पाप्त कर अपन स्तर स आदश निगत करग। | जिला आपदा पबन्धन पाधिकरण/ जिला टास्क फास<br><br>आपदा पबधन विभाग/ आपातकालीन पबधन समह | जिला पदाधिकारी/ जिला स्तर पर सबधित विभाग क पदाधिकारी<br><br>आपातकालीन पबधन समह क सदस्य स सबधित सभी विभाग |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | <u>राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र</u><br><br>राहत कायां क लिए निधि का आवटन राज्य आपदा रिस्पांस काष स किया जाता ह। अतएव आपदा राहत म जा भी निधि व्यय की जाती ह उस निधि का उपयागिता पमाण–पत्र पाप्त हा जान क उपरात विहित पक्रिया अपना कर व्यय की गयी राशि का डबिट करना पडता ह। अतएव राहत कायां म खच की गयी राशि का उपयागिता पमाण–पत्र यथाशीघ भजन की व्यवस्था जिला पदाधिकारी एव सबधित विभागा द्वारा की जाएगी ताकि उक्त काष म राशि डबिट हाती रह। इसक लिए परी राशि व्यय हान की पतीक्षा नही की जाएगी अपित जितनी राशि व्यय हा चकी हा उतनी राशि का उपयागिता पमाण–पत्र भजा जाएगा। साथ ही विस्तत आकस्मिकता विपत्र भी निधारित समय सीमा क भीतर सबधित काषागार/महालखाकार का भजकर ए0सी0 विपत्र निकासी की गइ राशि का समायाजन करा लिया जाएगा।<br><br>▪ सामगियां जा राहत काय क लिए वितरित की गयी उनका मदवार अभिलख क रूप म साधारण किया जाएगा।<br><br>▪ इन वितरित की गइ सामगिया पर जा व्यय हुए उनक अभिश्रव पमाण सहित संधारित किया जाना आवश्यक हागा। | आपदा पबधन विभाग | जिला पदाधिकारी/ सबधित विभाग/ जिला टास्क फास |
| 17 | <u>सूचना एवं मिडिया का प्रबंधन</u><br><br>सखाड क दारान चलाए जा रह राहत कायां की जानकारी आमजना तक पहचान हत आवश्यक सचनाआ का पसारित करन हत मिडिया का जानकारी दना। | आपदा पबधन विभाग/ सचना एव जनसम्पक विभाग | जिला पदाधिकारी/ सचना एव जनसम्पक विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी |

नोटः उपराक्त कारवाइया म हान वाला व्यय SDRF क अतगत अनमान्य हान की दशा म राशि का आबटन राज्य कायकारिणी समिति की अनशसा क आलाक म आपदा पबधन विभाग द्वारा किया जाएगा। किन्त जा व्यय SDRF क अतगत अनमान्य न हागा, उसकी व्यवस्था सबधित विभाग अपन विभागीय बजट स करग।

## 10. कृत कार्रवाइयों का अन्तर्निरीक्षण (Introspection) एवं भविष्य के लिए सीख (Lessons learnt)

*राखाड की रामाप्ति क पश्चात जिला एव राज्य टारकफारा की बठका म राखाड क दारान विभिन्न विभागा/एजन्राया क द्वारा कत कारवाइया का अन्तनिरीक्षण (Introspection) करत हए भविष्य क लिए सीख (Lessons learnt) गहण की जाएगी। इन बठका म राबधित विभाग/एजन्रियां इमानदारी पवक आत्म चितन करत हए कत कारवाइया रा राबल एव दबल पक्षा का गहन विश्लषण करगी, जिनरा भविष्य क लिए राबक सीखा जा राक। इरा पकार इन सीखा का उपयाग करत हए आगामी वषा म राखाड आपदा पबधन क पयारा का आर अधिक रादढ बनाया जाएगा।*

## 11. सुखाड़ न्यूनीकरण हेतु की जाने वाली कार्रवाईयाँ :–

सखाड आपदा धीमी गति स (Slow onset) आन वाली आपदा ह, परन्त इसका पभाव दीघकालिक हाता ह। इसलिए यह आवश्यक ह कि इसक न्यनीकरण हत लगातार पयास किए जाय, जिसम निम्न कारवाइयां की जाय :–

सारणी–6

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी |
|---|---|---|---|
| 11.1 | कृषि प्रक्षेत्र | | |
| 11.1.1 | सखाडरोधी फसलो एव सिचाइ की कम आवश्यकता वाली फसलो का पात्साहन। | कषि विभाग | जिला पदाधिकारी/ जिला/ब्लांक स्तर क कषि पदाधिकारी |
| 11.1.2 | फसल विविधीकरण। | | |
| 11.1.3 | कषि राड मप म सखाड न्यनीकरण क उपायो का समावश। | | |
| 11.1.4 | सखाडगरत क्षत्रो म फसल बीमा याजना का पात्साहन। | | |
| 11.2 | पशुपालन प्रक्षेत्र | | |
| 11.2.1 | पशआ का नियमित बीमा। | पश एव मत्स्य ससाधन विभाग | जिला पदाधिकारी/ जिला/ब्लांक स्तर क पशपालन अधिकारी |
| 11.2.2 | पशआ का नियमित टीकाकरण। | | |
| 11.3 | स्वास्थ्य प्रक्षेत्र | | |
| 11.3.1 | सखाडगरत क्षत्रो म स्वास्थ्य बीमा का पात्साहन। | स्वास्थ्य विभाग | जिला पदाधिकारी/ जिला म पदस्थापित सिविल सर्जन |
| 11.3.2 | सखाडगरत क्षत्रो म हान वाली बिमारियो स बचाव क उपाय की व्यवस्था। | | |
| 11.4 | जल संसाधन प्रक्षेत्र | | |
| 11.4.1 | परम्परागत जलस्रोतो यथा आहर, पाइन क सरचनाओ का सद्दिकरण। | लघ जल ससाधन विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग | जिला पदाधिकारी/ जिल म पदस्थापित लघ जल ससाधन विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग क पदाधिकारी |
| 11.4.2 | सतही एव भूगर्भ जलस्रोतो यथा तालाब, पाखर, आहर का रिवाज करन हत कदम उठाय जायग। | लघ जल ससाधन | जिला पदाधिकारी/ जिल म पदस्थापित लघ जल ससाधन विभाग क पदाधिकारी |

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी |
|---|---|---|---|
| 11.4.3 | परम्परागत जलसाता क सद्धिकरण क पश्चात रखरखाव की व्यवस्था। | जल ससाधन विभाग / वन एव पयावरण विभाग | जिला पदाधिकारी / पमडलीय वन पदाधिकारी / जिल म पदस्थापित जल ससाधन विभाग क पदाधिकारी |
| 11.4.4 | सखाडगरत क्षत्रा म जलछाजन एव वाणिकी याजनाआ का पात्साहन। | | |
| 11.4.5 | सखाडगरत क्षत्रा म जल सरक्षण हत चक डम का निमाण। | | |
| 11.4.6 | सखाडगरत क्षत्रा म वषा जल सगहण (Rainwater Harvesting) की विधि का पात्साहन। | | |
| 11.5 | सभी हितभागिया का सवदीकरण। | बिहार राज्य आपदा पबधन पाधिकरण | जिला आपदा पबधन पाधिकरण |
| 11.6 | पेयजल : | लाक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग | जिला पदाधिकारी / लाक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी |
| 11.6.1 | सखाड गरत क्षत्रा म उन क्षत्रा की पहचान करना जहां भमिगत जल स्तर बहत तजी स नीच जा रहा ह। | | |
| 11.6.2 | पयजल क समचित रख–रखाव व उसक सरक्षित उपयाग क लिय समदाय का जागरूक किया जायगा। | | |
| 11.7 | जलवाय परिवतन की चनातिया का सामना करन के लिये आवश्यक है कि बृहद् स्तर पर बृक्षारोपण याजनाबद्ध तरीक स चलाया जाय। सामाजिक वानिकी / बागवानी जस कायक्रमा स जन सहभागिता बढगी। | वन एव प्यावरण विभाग / उद्यान निदेशालय / गामीण विकास विभाग | जिला पदाधिकारी / गामीण विकास विभाग / वन एव पयावरण विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी |
| 11.8 | भूगर्भ जल एवं सतही जल संरक्षण हेतु योजना तैयार करना। | लघ जल ससाधन विभाग / लाक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग | जिला पदाधिकारी / लघ जल ससाधन विभाग / लाक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी |
| 11.9 | लघ जल ससाधन विभाग अन्तगत चलायी जा रही भजल सिचाइ स सबधित याजनाआ का पचार पसार एव सखाड क लिए यद्धस्तर पर इस याजना का कायान्वयन किया जाएगा। | लघ जल ससाधन विभाग | जिला पदाधिकारी / लघ जल ससाधन विभाग क जिला स्तरीय पदाधिकारी |

## अल्प वर्षा अथवा अपर्याप्त वर्षा की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई का चेकलिस्ट

| कम | की जाने वाली कार्रवाई | हॉ | नहीं |
|---|---|---|---|
| 1 | *वषापात की निगरानी* | | |
| 2 | *पयजल सकट पबधन हत मानक सचालन पक्रिया अनरूप पव तयारी की समीक्षा तथा आकस्मिक याजना का अद्यतन* | | |
| 3 | *सखाड की स्थिति हत खरीफ फसल क लिय आकस्मिक याजना का सत्रण तथा आकस्मिक याजना का अद्यतन* | | |
| 4 | ***फसल बीमा हत*** विशेष अभियान चला कर एवं किसानों को *जागरूक करना* | | |
| 5 | *सिचाइ हत आकस्मिक याजना तयार* | | |
| 6 | जल संरक्षण हेतु आवश्यक प्रबंध | | |
| 7 | *खाद्यान्न की उपलब्धता* | | |
| 8 | शताब्दी अन्न कलश योजना अन्तर्गत प्रत्येक पंचायतों में दो–दो *क्वीटल खाद्यान्न चक्रीय स्टाक* (Revolving Stock) *क रूप म रखना* | | |
| 9 | *मानव स्वास्थ्य की दखभाल हत की जानवाली कारवाइया हत* अनुदेश निर्गत एवं अनुदेश में वर्णित निर्देशों के अन*रूप तयारिया* | | |
| 10 | *पश ससाधन की दखभाल हत आकस्मिक याजना तयार* | | |
| 11 | *राजगार की वकल्पिक व्यवस्था करन क लिए आकस्मिक याजना तयार* | | |
| 12 | *सामाजिक सरक्षा* | | |

## वर्षापात में अन्तराल के आलोक में की जाने वाली कार्रवाई का चेकलिस्ट

| कम | की जाने वाली कार्रवाई | हॉ | नहीं |
|---|---|---|---|
| 1 | *जिला स पाप्त फसल आच्छादन/ वषापात/ सिचित क्षत्र/ भगभ जल की समीक्षा तथा अगतर कारवाइ क लिय आदश निगत* | | |
| 2 | *डीजल अनदान क माध्यम स लगाय गए बिचडा/फसला का बचान हत समचित उपाय* | | |
| 3 | *नहरा क माध्यम स अतिम छार तक पानी पहचान की कारवाइ म तजी* | | |
| 4 | *टयबवला की यात्रिक एव2वियत दाष ठीक करना* | | |
| 5 | *राटशन पर गामीण क्षत्रा म सिचाइ हत वियत की आपति सनिश्चित* | | |
| 6 | *पयजल सकट स निपटन हत मानक सचालन पकिया क अनरूप कारवाइ* | | |
| 7 | *जिला स्तरीय बठक म नियमित समीक्षा तथा आकस्मिक याजना क अनरूप निष्पादन* | | |

## मॉनसून की समय पूर्व वापसी की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई का चेकलिस्ट

| कम | की जाने वाली कार्रवाई | हॉं | नहीं |
|---|---|---|---|
| 1 | शहरी एव गामीण क्षत्रा म मानव तथा पश सराधना क लिए पयजल आपत्ति | | |
| 2 | पव स तयार आकस्मिक फसल याजना का कियान्वयन | | |
| 3 | फसल बीमा/कषि ऋण हत अपक्षित कारवाइ | | |
| 4 | बिचडा एव फसला की सरक्षा एव बचाव क लिए डीजल अनदान उपलब्ध कराना | | |
| 5 | वकल्पिक सिचाइ व्यवस्था_हत अपक्षित कारवाइ | | |
| 6 | खाधान्न सरक्षा हत अपक्षित कारवाइ | | |
| 7 | पश ससाधन की दखभाल | | |
| 8 | कषि एव अन्य काया जस पम्प, नहर याजनाएं, राजकीय नलकपा, सिचाइ याजनाएं एव निजी नलकप हत विद्यत आपत्ति सनिश्चित करना | | |
| 9 | सचना पबधन एव मीडिया क साथ समन्वय | | |

## सखाड क घाषणा क पश्चात की जानवाली कारवाइ का चेकलिस्ट

| कम | की जाने वाली कार्रवाई | हॉ | नहीं |
|---|---|---|---|
| 1 | आकस्मिक फसल याजना का यद्धस्तर पर कियान्वयन | | |
| 2 | कषि इनपट अनदान वितरण | | |
| 3 | फसल बीमा स आच्छादित फसला क लिए बीमा लाभ भगतान | | |
| 4 | किसान कडिट काड धारका का ऋण का वितरण | | |
| 5 | बका क माध्यम स कषका का क0सी0सी0 एव अन्य कषि ऋण महयया कराना। | | |
| 6 | पश ससाधन की दखभाल | | |
| 7 | स्वास्थ्य सवाए हत अपक्षित कारवाइ | | |
| 8 | महामारी की राकथाम हत स्वास्थ्य विभाग द्वारा निराधात्मक उपाय करना | | |
| 9 | महिलाआ एव बच्चा की दखभाल हत अपक्षित कारवाइ | | |
| 10 | सामाजिक सरक्षा हत अपक्षित कारवाइ | | |
| 11 | मध्याहन भाजन की व्यवस्था | | |
| 12 | राजगार सजन हत अपक्षित कारवाइ | | |
| 13 | मफ्त साहायय वितरण | | |
| 14 | वन अभयारण म पशआ हत आवश्यकतानसार पय जल की व्यवस्था करना | | |
| 15 | अनश्रवण | | |
| 16 | राहत कायो म व्यय राशि का उपयागिता पमाण—पत्र | | |
| 17 | कत कारवाइया का अन्तनिरीक्षण एव भविष्य क लिए सीख | | |

अनुलग्नक–(7)सुखाड़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन :

पत्रांक–1प्रा0आ0–17 / 2011 3759 / आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार

पटना–15, दिनांक–18/10/2016

विषयः– **"सुखाड़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रकिया" में संशोधन के संबंध में।**

प्रसंगः विभागीय पत्रांक 3087 / आ0प्र0 दिनांक–19.08.2016

महाशय,

निदेशानुसार कृपया प्रसंगाधीन पत्र का स्मरण किया जाए जिसके द्वारा स्वराज अभियान बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुखाड़ प्रबंधन हस्तक (Manual for Drought Management) में वर्णित सुखाड़ घोषित करने के आधारों एवं कारकों को मात्र अनुशंसात्मक (Recommendatory) घोषित किये जाने के आलोक में सुखाड़ आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रकिया के आध्याय 7 एवं 8 में सम्यक विचारोपरान्त आवश्यक संशोधन किया गया था। वर्त्तमान में वर्षापात की स्थिति तथा विगत 10 वर्षों के आंकड़ो तथा वर्षापात के अंतराल (Periodicity of Rainfall) के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त सुखाड़ आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रकिया के अध्याय 7 एवं 8 में पुनः संशोधन किया गया है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। तदनुसार संशोधित मानक संचालन प्रकिया विभागीय Website- http://disastermgmt.bih.nic.in पर अपलोड कर दी गई है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः यथोक्त।

(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

## 7. सुखाड़ घोषणा के पूर्व उसके संकेतांकों का विश्लेषण

यदि रोपनी की अवधि में बिलकुल वर्षा न हो अथवा खरीफ फसलों का आच्छादन तथा वर्षापात की स्थिति चिन्तनीय हो जाए तो सरकार द्वारा विभिन्न संकेतांकों का विश्लेषण कर प्रभावित क्षेत्रों को सुखाड़ग्रस्त (आपदाग्रस्त) घोषित करने की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। राज्य में खरीफ फसलों का आच्छादन प्रायः 15 अगस्त तक किया जाता है। अतएव उक्त तिथि के आस–पास आच्छादन / वर्षापात के आंकड़ों के विश्लेषण के आलोक में आवश्यकतानुसार सुखाड़ की घोषणा का प्रस्ताव सरकार के समक्ष उपस्थापित करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

सुखाड़ की घोषणा के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत सुखाड़ प्रबंधन हस्तक (Manual for Drought Management) में संकेतांकों का उल्लेख किया गया है। इन संकेतांकों में निम्न चार संकेतांक प्रमुख हैं:–

- जून एवं जुलाई माह में औसत से 50% कम वर्षापात
- जुलाई–अगस्त माह में 50% से कम आच्छादन
- वानस्पतिक संकेतांक (Vegetation Index)
- नमी पर्याप्तता संकेतांक (Moisture Adequacy Index)

इनके अतिरिक्त सुखाड़ प्रबंधन हस्तक में कतिपय अन्य कारकों पर विचार करने का परामर्श राज्य सरकारों को दिया गया है :–

- पशु चारे की आपूर्ति तथा सामान्य मूल्यों के सापेक्ष प्रचलित मूल्यों की तुलना
- पेय जल आपूर्ति की स्थिति
- लोक कार्यों (Public Works) में रोजगार की मांग तथा मजदूरों का रोजगार की खोज में असमान्य गतिविधि
- सामान्य स्थिति के सापेक्ष प्रचलित कृषि कार्यों एवं गैर कृषि कार्यों के लिए मजदूरी की तुलना
- खाद्यान्न की आपूर्ति तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की स्थिति

वर्षापात के आंकड़े भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना विभाग, बिहार के द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। बिचड़ों के डालने की स्थिति

तथा फसलों की रोपनी एवं आच्छादन के संबंध में कृषि विभाग, बिहार के द्वारा आकड़े उपलब्ध कराया जाते हैं। वानस्पतिक संकेतांक (Vegetation Index) तथा नमी पर्याप्तता संकेतांक (Moisture Adequacy Index) के आंकड़े National Agricultural Drought Assessment and Monitoring System (NADAMS) instituted by National Remote Sensing Centre (NRSC) के माध्यम से कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा, कृषि विभाग, बिहार को उपलब्ध कराया जाएगा।

कृशि मंत्रालय भारत सरकार ने अपने पत्रांक–Do No.16/9/2015-DMI दिनांक–22.06.2016 सुखाड़ प्रबंधन हस्तक (Manual for Drought Management) में जो भी संकेतांक एवं आधार दिये गये हैं, वे अनुशंसात्मक हैं, राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है। इसमें अंकित है कि वर्षापात, फसलों का आच्छादन, वानस्पतिक संकेतांक एवं नमी पर्याप्तता संकेतांक, तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण आधार हैं जिनपर सुखाड़ की घोषणा के पूर्व राज्यों को विचार करना चाहिए। परन्तु राज्य सुखाड़ से जुड़े सभी पहलुओं पर समेकित रूप से विचार करते हुए, जिसमें राज्य की स्थानीय स्थिति का आधार भी शामिल है, सुखाड़ घोषित करने संबंधी निर्णय ले सकते हैं।

उपरोक्त के आलोक में राज्य की विशिष्ट स्थितियों के मद्देनजर सुखाड़ की घोषणा निम्न आधार एवं प्रकिया के अनुरूप की जाएगी :–

I **सुखाड़ घोषित करने की इकाई** : किसी जिले अथवा प्रखण्ड की स्थिति की समीक्षा कर राज्य सरकार सम्पूर्ण जिले अथवा प्रखण्ड में सुखाड़ घोषित करने का निर्णय ले सकती है। ज्ञातव्य हो कि स्वराज अभियान के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रखण्ड स्तर के आंकड़ों का विश्लेषण कर निर्णय लेने का निदेश दिया है।

## II सुखाड़ घोषित करने का आधार :

(i) वर्षापात : राज्य की मुख्य खरीफ फसल धान है। कतिपय जिलों में मक्के की बुआई भी बड़े भू–भाग पर की जाती है। धान की बुआई प्रायः 15 अगस्त तक किसान करते हैं। परन्तु कुछ स्थानों पर धान की बोआई अगस्त माह के अन्त तक किसानों के द्वारा किया जाता है। चूँकि राज्य में मॉनसून का आगमन 10 जून के आसपास होता है, अतएव किसान प्रायः मॉनसून के आगमन के साथ परम्परागत नक्षत्रों में खेतों में धान का बीचड़ा लगाते हैं ताकि वे, जहाँ तक संभव हो, जुलाई माह में ही रोपनी का कार्य पूरा कर लें। अतएव यदि जून से 31 अगस्त के बीच वर्षापात में 50% अथवा उससे अधिक की कमी हो तो इसे सुखाड़ का आधार बनाया जा सकता है। यह सुखाड़ की घोषणा का आधार में से एक आधार हो सकता है।

## 8. सुखाड़ की घोषणा

दक्षिण–पश्चिमी मानसून अवधि में 31 अगस्त के बाद अध्याय 7 में उल्लिखित स्थितियों की समीक्षा एवं संकेतांकों के सम्यक विश्लेषण के पश्चात प्रभावित क्षेत्रों को सुखाड़ग्रस्त (आपदाग्रस्त) घोषित करने पर विचार किया जा सकता है। सुखाड़ की घोषणा के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारियों से उनके जिलों/प्रखण्डों में खरीफ फसलों के आच्छादन, वर्षापात की स्थिति एवं अन्य संकेतांकों के आलोक में स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त की जाएगी। यदि राज्य सरकार आवश्यक समझे तो प्रमंडलीय आयुक्तों/जिलो के प्रभारी सचिव अथवा राज्य स्तर के पदाधिकारियों की टीम भेजकर जिला/प्रखण्डों की जमीनी हकीकत का पता लगा सकती है तथा सुखाड़ घोषित करने के संबंध में उनकी अनुशंसा प्राप्त कर सकती है। राज्य सरकार यथानुसार सर्वदलीय बैठकों/ जिला के प्रभारी माननीय मंत्रीगण के माध्यम से भी जिलों/ प्रखण्डों की जमीनी हकीकत की सूचनाएँ प्राप्त कर सकती है एवं उन सूचनाओं पर सम्यक रूप से विचार कर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

प्राप्त अनुशंसाओं पर सम्यक् विचार कर आपातकालीन प्रबंधन समूह प्रभावित क्षेत्रों को सुखाड़ग्रस्त (आपदाग्रस्त) घोषित करने के संबंध में राज्य स्तर पर अनुशंसा करेगा। तत्पश्चात् कृषि विभाग के द्वारा विधिवत प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में संलेख तैयार किया जाएगा तथा इसका अनुमोदन राज्य सरकार (मंत्रि परिषद) से प्राप्त कर सुखाड़ की घोषणा हेतु अधिसूचना निर्गत किया जाएगा, जिसके आलोक में विभिन्न विभागों द्वारा कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाएगी।

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न जिलों एवं विभागों से प्राप्त क्षति के आकलन के आधार पर आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस कोष से केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु मेमोरैण्डम तैयार किया जाएगा, जिसे केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। यदि सुखाड़ग्रस्त क्षेत्रों में क्षति के आकलन हेतु केन्द्रीय टीमों का भ्रमण होता है तो उक्त भ्रमण का समन्वय का कार्य संबंधित विभागों / जिला पदाधिकारियों के साथ भ्रमण के दौरान समन्वय का कार्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाएगा।

यदि राज्य में दक्षिण–पश्चिम मॉनसून अवधि में बिलकुल ही वर्षा न हो, तो उपरोक्त संकेतांकों के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं रह जाती एवं राज्य सरकार स्थिति का आकलन कर सुखाड़ की घोषणा करेगी।

## अनुलग्नक–(8)आकस्मिक फसल योजना (कृषि कार्यलय औरंगाबाद)

| | मानसून की स्थिति | फसलों की आकस्मिक कार्य–योजनानुसार |
|---|---|---|
| 1. | विलम्ब से मानसून का आगमन | धान, मक्का, मडूआ एवं अरहर की बोआई |
| | (क) दो सप्ताह का विलम्ब | सामान्य फसल चक्र अपनाया जा सकता है, परन्तु कम अवधि के धान प्रभेद **(90–115 दिनों की अवधि के प्रभेद यथा परंतु, आई0आर0–36, कनक, साकेत, आदित्या, फगुनी, कामिनी, बंदना, सीता, सुगंधा, राशि, पूसा–2–21, कावेरी, किरण, बिरसा धान, राजेन्द्र संकर (हाइब्रीड), सहभागी, स्वर्णा सब–1, अर्द्धजल आदि)** पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। वर्षा आश्रित ऊँची भूमि पर बिरसा धान, ब्राउन गोरा, पलंगा आदि की सीधी बोआई भी की जा सकती है। |
| | (ख) चार सप्ताह का विलम्ब | अल्प अवधि के **धान प्रभेदों यथा, बिरसा धान, हीरा, ब्राउन गोरा, पूसा–2–21, तुरन्ता, प्रभात आदि** की सीधी बोआई भी की जा सकती है। **मक्का के बदले मडुआ या ज्वार** लिया जा सकता है। |
| | (छः सप्ताह का विलम्ब) | अत्यंत अल्प अवधि के प्रभेद यथा हीरा का सीधी बोआई की जा सकती है। **मक्का तथा धान की भूमि में मडुआ, उरद,कुल्थी तथा अरहर (बहार) लगायी जा सकती है।** |
| | (आठ सप्ताह का विलम्ब) | **धान एवं मक्का के बदले कुल्थी, मसूर, तिल, अगात आलू आदि** की खेती की जा सकती है। |
| | (दस सप्ताह का विलम्ब) | **कुल्थी, चना, तीसी, एवं तोरीया** की खेती की जा सकती है। |
| 2. | सुधार की स्थिति | |
| | (क) बुआई के दो सप्ताह बाद | वर्षा होने पर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग, यदि फसल पूरी तरह सूख गसी है तो अल्प अवधि के धान उपर वर्णित प्रभेद की अनुशंसा की जा सकती है। |
| | (ख) बुआई के 4–5 सप्ताह बाद | निकौनी की आवश्यकता होगी ताकि खर–पतवार नष्ट हो एवं मल्चिंग हो सके। यदि सुखाड़ की स्थिति बढती हे तो पौधों की संख्या में कमी करें । वर्षा होने पर यूरिया का छिड़काव तथा टॉप ड्रेसिंग करें। वर्षा हो जाने पर धान के बदले कुल्थी की खेती की जा सकती है। |
| 3. | हथिया के पूर्व वर्षा की समाप्ति | निकानी आवश्यक है। संचित जल से सिचाई की जाय। सिंचाई में पूरी सावधानी बरतें ताकि जल बवाई न हों। यदि सूखे की स्थिति से धान की फसल बवार्द हो चूकी है तो अगात रबी जैसे तोरिया, |

| | | |
|---|---|---|
| | | चना, तीसी, अगात आलू की बुवाई की जा सकती है। |
| 4. | अतिवृष्टि या बाढ़ की स्थिति | **धान, मक्का, मडुआ एवं अरहर की बोआई** |
| | (क) धान की प्रारम्भिक अवस्था में | |
| | (i) अगस्त का प्रथम पक्ष | उपलब्ध बिचडों से पुनः रोपनी तथा अल्प अवधि के **धान प्रभेद तुरंता, प्रभात, साकेत, पूसा–2–21, आई0आर0–36, आदि** की डैपोग विधि से बीज का अंकुरण कर 15 दिन बाद सीधी रोपनी की जा सकती है। बीज दर 2–3 धान पौधे एक साथ 15×10 सेन्टीमीटर की दूरी पर लगाये। |
| | (ii) अगस्त का द्वितीय पक्ष | अल्प अवधि के **धान प्रभेद तुरंता, प्रभात, साकेत, पूसा–2–21, आई0आर0–36, आदि** की डैपोग विधि से बीज का अंकुरण कर 15 दिन बाद15×10 सेन्टीमीटर की दूरी पर लगाये। सितम्बर अरहर की बोआई यथा बहार, शरद, पूसा–9। |
| | (ख) फसल की विलम्ब अवस्था में | अत्यंत अल्प अवधि के प्रभेद यथा हीरा की सीधी बोआई की जा सकती है। मक्का तथा धान की भूमि में मडुआ, उरद, कुल्थी तथा अरहर (बहार) लगयी जा सकती है। |
| | (ग) आठ सप्ताह का विलम्ब | **धान एवं मक्का के बदले कुल्थी, मसूर, तिल, अगात आलू आदि** की खेती की जा सकती है। |
| | (घ) दस सप्ताह का विलम्ब | **कुल्थी, चना, तीसी, एवं तोरिया** की खेती की जा सकती है। |
| 2. | सुधार की स्थिति | |
| | (i) सितम्बर का प्रथम पक्ष | **सितम्बर अरहर बहार, शरद, पूसा–9 की बुआई तथा सब्जी जैसे–परवल किस्म राजेन्द्र , परवल–1, स्वर्ण रेखा, बैगन, फुलगोभी, गाजर, भिण्डी, बोरा, पालक, साग आदि।** |
| | (ii) सितम्बर का द्वितीय पक्ष | **तेरिया किस्म–पंचाली, भवानी, पी0टी0–303, मक्का, सूर्यमुखी, कुल्थी** की बुआई की जा सकती है। |
| 3. | **चारागाह** | ठसके लिये पंचायत स्तर पर चारागाह हेतु सामुदायिक चारागाह की व्यवस्थां |

| क्र0सं0 | जिला का नाम | वैकल्पिक फसल का नाम | प्रभेद | संभावित बीज की आवश्यकता (क्वीं0) | रकवा (हे0) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | धान | प्रभात, सहभागी | 66 | 220 | |
| 02 | | अरहर | पूसा–9, शरद, बहार | 247.5 | 550 | |
| 03 | | तेरी | पी0टी0 303, भवानी, पंचाली | 250 | 5000 | |
| कुल योगः– | | | | **563.5** | **6270** | |

आकस्मिक फसल योजना 2022–23 अंतर्गत संभावित वैकल्पिक फसल/बीज की मात्रा से संबंधित प्रतिवेदन।

अनुलग्नक–(9)भीषण गर्मी एवं लूप्रबन्धन हेतु मानक संचलन प्रक्रिया **(SOP)**

पत्रांक 1प्रा0आ0–20 / 2015 ..................... / आ0प्र0

अत्यावश्यक

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / श्रम संसाधन विभाग / परिवहन विभाग / समाज कल्याण विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग / शिक्षा विभाग / स्वास्थ्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / ऊर्जा विभाग / वन एवं पर्यावरण विभाग / सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना
निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

पटना–15, दिनांक–

विषयः **भीषण गर्मी एवं लू से बचने के उपाय से संबंधित कार्रवाई करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्त्तमान में राज्य के विभिन्न हिस्सों से भीषण गर्मी पड़ने एवं लू (Heat waves) चलने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा भी अप्रैल माह से जून 2017 तक राज्य में भीषण। गर्मी पड़ने की संभावना जतायी गयी है। अवगत हैं कि भीषण गर्मी के कारण जन–जीवन प्रभावित होता है एवं आम जनता को स्वास्थ्य एवं पेय जल संबंधी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास कर छोटे बच्चों, स्कूली बच्चो, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं काम के लिए घर से बाहर निकलने को बाध्य दिहाड़ी मजदूरों को काफी समस्याएँ आती हैं। साथ ही पेय जल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। पानी की भी कमी हो जाती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि राज्य सरकार के विभागों के द्वारा आम जनों को भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु कारगर उपाय एवं कार्रवाई की जाय।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के स्थानीय इकाई से लू की पूर्व चेतावनी एवं इसकी सूचना प्राप्त कर सभी प्रमुख Stakeholder तक पहुँचाने की व्यवस्था आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी। साथ ही लू की पूर्व चेतावनी आम जनता को भी TV, रेडियो, प्रिंट मिडिया, प्रेस विज्ञप्ति एवं Bulk SMS आदि के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी जाएगी।

अतएव भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु विभिन्न विभागों के स्तर से निम्न कारवाईयाँ अपेक्षित हैं :

**1. नगर विकास एवं आवास विभाग**

i. शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक जगहों पर स्थानीय निकायों द्वारा पियाऊ की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन स्थानों पर गर्म हवाओं एवं लू से बचाव से संबंधित सूचनाओं को भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि आम जन इनसे भली भाँति अवगत हो सकें।

ii. अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत खराब चापाकलों को मरम्मत युद्ध स्तर पर करायी जानी चाहिए।

iii. नगरीय क्षेत्र में अवस्थित आश्रय स्थलों में पेय जल तथा आकस्मिक दवाओं की व्यवस्था स्लम के निवासियों हेतु की जानी चाहिए।

**2. स्वास्थ्य विभाग**

i. सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ रेफरल अस्पतालों/ सदर अस्पतालों/ अनुमंडलीय अस्पतालों/ मेडिकल कॉलेजों/ अस्पतालों में लू से प्रभावितों के ईलाज हेतु विशेष व्यवस्था कर ली जाए। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ओ0आर0एस0 पैकेट, आई0 भी0 फ्लूड एवं जीवन रक्षक दवा इत्यादि की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए।

ii. अत्यधिक गर्मी से पीड़ित व्यक्ति को ईलाज हेतु आवश्यकतानुसार अस्पतालों में आईसोलेसन वार्ड की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए एवं लू से पीड़ित बच्चों, बूढ़ों, गर्भवती महिलाओं तथा गम्भीर रूप से बिमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। आवश्यकतानुसार प्रभावित जगह हेतु स्टैटिक/ चलन्त चिकित्सा दल की भी व्यवस्था कर ली जाए।

iii. गर्म हवाएं/ लू से बचाव के उपाय से संबंधित IEC सामग्री, स्थानीय स्तर पर मुद्रित कर पम्पलेट/ पोस्टर के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा सकता है।

**3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

i. खराब चापाकलों को मरम्मत युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए।

ii. जिन स्थानों पर नल का जल नहीं पहुँचता हो एवं चापाकलों में पानी की कमी हो गयी हो, वहाँ आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पेयजल संकट से निबटने हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार टैंकरों के माध्यम से पेयजल पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जानी चाहिए।

iii. भूगर्भ जल स्तर की लगातार समीक्षा की जाए एवं इस पर सतत् निगरानी रखी जानी चाहिए।

**4. शिक्षा विभाग**

i. स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय या तो सुबह की पाली में ही संचालित हों अथवा गर्मी की छुटियाँ निर्धारित समय से पूर्व घोषित कर दी जाँय। गर्मी की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को अल्प अवधि के लिए भी बन्द किया जा सकता है। इस हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा समीक्षा कर निर्णय लिया जाना चाहिए।

ii. सभी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।

iii. गर्म हवाएं/ लू से बचाव के उपाय से संबंधित IEC सामग्री, स्थानीय स्तर पर मुद्रित कर पम्पलेट/ पोस्टर के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा सकता है।

**5. समाज कल्याण विभाग**

i. सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था करायी जानी चाहिए एवं वहाँ पर गर्म हवाओं एवं लू से बचाव से संबंधित IEC (बच्चों को समझने हेतु) सामग्री प्रदर्शित कर जनता को जागरूक किया जाना चाहिए।

ii. स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आंगनवाड़ी केन्द्रों पर जीवन रक्षक घोल (ORS) की व्यवस्था करनी चाहिए।

iii. नवजात शिशु, बच्चों, धातृ एवं गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विशेष चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

**6. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग**

i. सरकारी ट्यूबवेल के समीप अथवा अन्य सुविधायुक्त स्थानों पर गड्ढा खुदवा कर पानी इक्कठ्ठा किया जाए, ताकि पशु–पक्षियों को पानी मिल सके।

ii. पशुओं के बिमार पड़ने पर चिकित्सा दल की व्यवस्था की जायेगी।

**7. ग्रामीण विकास विभाग**

i. मनरेगा अन्तर्गत तालाबों/ आहर इत्यादि की खुदाई की योजनाओं में तेजी लायी जाए, जिससे इनमें पानी इक्कठ्ठा कर पशु–पक्षियों को पानी उपलब्ध कराया जा सके।

ii. लू चलने पर मनरेगा की कार्य अवधि को सुवह 6.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा अपराह्न 3.30 बजे से 6.30 बजे तक निर्धारित किया जा सकता है।

iii. कार्य स्थल पर पेय जल तथा लू लगने पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

**8. पंचायती राज विभाग**

i. विभाग के द्वारा पंचायतों में लू चलने के दौरान "क्या करें क्या न करें" का प्रचार प्रसार कराया जाना चाहिए।

ii. गांवों में पेय जल की व्यवस्था हेतु पंचायतों को कार्य योजना बनाने हेतु निदेशित किया जा सकता है तथा जल संरक्षण की योजनाओं पर कार्य किया जा सकता है।

**9. श्रम संसाधन विभाग**

i. लू से बचाव हेतु मजदूरों के कार्य अवधि को लचीला किया जा सकता है। लू चलने पर कार्य अवधि को सुवह 6.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा अपराह्न 3.30 बजे से 6.30 बजे तक निर्धारित किया जा सकता है।

ii. कार्य स्थल पर पेय जल की व्यवस्था तथा लू लगने पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

iii. खुले में काम करने वाले, भवन बनाने वाले तथा कल–कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेय जल की व्यवस्था के साथ शेड की भी व्यवस्था करना चाहिए।

**10. परिवहन विभाग**

i. लू चलने की अवधि में जहाँ तक संभव हो वाहनों का परिचालन कम से कम करना चाहिए तथा पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों के परिचालन को नियंत्रित किया जा सकता है।

ii. सार्वजनिक परिवहन के गाड़ियों में पेय जल तथा ओ0आर0एस0 की व्यवस्था करने हेतु विभाग के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किया जा सकता है।

**11. ऊर्जा विभाग**

i. प्रायः बिजली के तारों के ढीला रहने के कारण वे हवा चलने पर आपस में टकराते रहते हैं, जिससे चिनगारी निकलने की संभावना रहती है। इन

चिनगारियाँ के कारण भी आगलगी की घटनाएँ होती है। अतएव बिजली के ढीले तारों को भी ठीक करवाने की व्यवस्था कर ली जाए।

ii. निर्बाध बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए।

**12. वन एवं पर्यावरण विभाग**

i. गर्मियों के दिनों में लू चलने से वन्य जीव भी प्रभावित होते हैं। अतः वन्य जीव उद्यानों तथा अभ्यारण्यों में पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ii. वन्य जीव उद्यानों में जानवरों के पिंजड़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

iii. अभ्यारण्यों में गड्ढ़े खोदकर वन्य जीवों के लिए जल की व्यवस्था की जानी चाहिए।

**13. राज्य अग्निशमन निदेशालय**

भीषण गर्मी के कारण आग लगी की घटनाओं में भी वृद्धि हो जाती है। आग लगी की घटनाओं से निबटने एवं उनके रोकथाम के लिए एतद् विषयक विभागीय मानक संचालन प्रक्रियानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाए।

**14. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग**

गर्म हवाएं/ लू से बचाव के उपाय से संबंधित विज्ञापन का प्रचार–प्रसार प्रिंट मिडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के माध्यम से कराया जाय। साथ ही गर्म हवाएं/ लू से बचाव के उपाय से संबंधित जिंगल को भी राज्य के एफ एम एवं आकाशवाणी के रेडियो चैनलों के माध्यम से प्रचारित कराया जाय।

अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में अपने विभाग के स्तर से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ................../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी, विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ................../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/ मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/ माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन के आप्त सचिव/ माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1194 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 29|04|2017

प्रतिलिपिः आई0टी0 मैनेजर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/4
प्रधान सचिव

**अनुलग्नक–(10)**गर्मी/लू (सुरक्षा के उपाय एवं लू लगने पर क्या करें) :

# बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

**द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800001**

बिहार

## राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

## गर्मी/लू से साधारण सावधानियाँ अपना कर अपने आपको सुरक्षित रखें

मौसम विभाग के द्वारा ऐसा पूर्वानुमान किया जा रहा है कि इस वर्ष भी बिहार राज्य में मार्च–मई तक गर्म हवाएं एवं भयानक लू चलने की संभावना है। गर्म हवाओं एवं लू का प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है जो कभी–कभी जानलेवा साबित हो सकता है। इस संबंध में नीचे दिये गये उपायों का पालन कर गर्म हवाओं/लू के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है।

| सुरक्षा के उपाय | लू लगने पर क्या करें ? |
|---|---|
| ▪ जहाँ तक संभव हो कड़ी धूप में बाहर न निकलें।<br>▪ जितनी बार हो सके पानी पीयें, प्यास न भी लगें तो भी पानी पीयें। सफर में अपने साथ पीने का पानी हमेशा रखें।<br>▪ जब भी बाहर धूप में जायें हल्के रंग के ढ़ीले–ढ़ाले सूती कपड़ें पहनें। धूप के चश्में का इस्तेमाल करें। गमछे या टोपी से अपने सिर को ढकें और हमेशा जूते या चप्पल पहनें।<br>▪ अधिक तापमान में कठिन काम न करें।<br>▪ हल्का भोजन करें, अधिक पानी की मात्रा वाले फल जैसे– तरबूज, खीरा, नींबू, संतरा आदि का सेवन करें। ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन का सेवन न करें, जैसे– माँस व मेवे, जो शारीरिक ताप को बढ़ाते हैं।<br>▪ घर में बना पेय पदार्थ जैसे कि लस्सी, नमक चीनी का घोल, छाछ, नींबू–पानी, आम का पन्ना इत्यादि का नियमित सेवन करें।<br>▪ चाय, कॉफी, मादक पेय पदार्थ आदि का सेवन न करें।<br>▪ बच्चों को बंद वाहनों में अकेला न छोड़ें।<br>▪ जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने को दें।<br>▪ रात में खिड़कियाँ खुली रखें।<br>▪ स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान और आगामी तापमान में परिवर्तन के बारे में सतर्क रहें।<br>▪ अगर आपकी तबीयत ठीक न लगे या चक्कर आए तो तुरंत डाक्टर से संपर्क करें। | ▪ लू लगे व्यक्ति को छाँव में लिटा दें। अगर तंग कपड़े हो तो उन्हें ढ़ीला कर दें अथवा हटा दें।<br>▪ ठंडे गीले कपड़े से शरीर पोछें या ठंडे पानी से नहलायें।<br>▪ व्यक्ति को ओ॰आर॰एस॰/नींबू/पानी/नमक–चीनी का घोल पीने को दें, जो शरीर में जल की मात्रा बढ़ा सके।<br>▪ यदि व्यक्ति पानी की उल्टियाँ करे या बेहोश हो, तो उसे कुछ भी खाने व पीने न दें।<br>▪ लू लगे व्यक्ति की हालत में एक घंटे तक सुधार न हो तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाएं। |

अनुलग्नक – (11) सड़क दुर्घटना दावा निपटारा :

# बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800001

## सड़क दुर्घटना

### सड़क दुर्घटना संबंधी दावों को निपटाने की प्रक्रिया

- सड़क दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत Motor Accidents Claims Tribunal-MACT (मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण) के समक्ष क्षतिपूर्ति के लिए दावा याचिका दायर कर सकता है।
- No Fault Liability (अंतरिम राहत) के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 140 के तहत आवेदन दिया जा सकता है और पूर्ण क्षतिपूर्ति के लिए धारा 166 के तहत आवेदन दिया जा सकता है।
- MACT के समक्ष दायर मामले, समझौता के लिए लोक अदालत में त्वरित निपटान के लिए उपस्थित किए जा सकते है।
- दुर्घटना करने वाले वाहन के मालिक, ड्राइवर और इंश्यूरेंस कम्पनी के विरूद्ध दावा दायर किया जाता है।

### सड़क दुर्घटना संबंधी दावों को निपटाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण कागजात

- FIR की प्रमाणित प्रति।
- पुलिस अंतिम प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति।
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र (दुर्घटना से मृत्यु के मामले में)।
- शव परीक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि (मृत्यु के मामले में)।
- विकलांगता प्रमाण पत्र (गंभीर चोट के मामले में)।
- दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक की ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति।
- दुर्घटना में शामिल वाहन के कागजात (रजिस्ट्रेशन/परमिट/फिटनेस इत्यादि)।
- दुर्घटना में शामिल वाहन की इंश्योरेंस की प्रति।
- मृतक का आय प्रमाण–पत्र।
- दावेदार का निर्भरता प्रमाण–पत्र।
- दावेदार का पहचान प्रमाण–पत्र।

**सभी रिफलेक्टिव टेप (परावर्तक टेप) निर्माता कंपनी कृपया ध्यान दें–**

बिहार राज्य में परिचालित परिवहन यानों/वाहनों में रिफलेक्टिव टेप (परावर्तक टेप) लगाये जाने के संबंध में सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 784 (अ) दिनांक 12.11.2008 के आलोक में परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या – 5148 दिनांक 24.08.2016 के संदर्भ में बिहार राज्य के अन्दर रिफलेक्टिव टेप (परावर्तक टेप) लगाया जाना है।

(1) रिफलेक्टिव टेप (परावर्तक टेप) निर्माता कंपनी को निर्धारित मानकAIS:090-2005के संबंध में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट एजेन्सियों या अभिकरणों में से रिफलेक्टिव टेप (परावर्तक टेप) का Type Approval Certificateप्राप्त हो।

(2) कंपनी द्वारा प्राधिकृत डीलर/वितरक वाहनों में लगाये गये रिफलेक्टिव टेप (परावर्तक टेप) की सूचना वाहन संख्या, वाहन का प्रकार के साथ संबंधित जिला परिवहन कार्यालय एवं परिवहन विभाग, मुख्यालय को प्रत्येक माह वेबसाईट– www.transportdepartment.bih.nic.inपर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

श्रोत : राज्य परिवहन आयुक्त,बिहार,पटना।

## अनुलग्नक – (12) सड़क सुरक्षा के उपाय

**बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**
**द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800001**

- सड़क के बायें चलें एवं यातायात नियमों का अनुपालन करें।
- सड़क पार करते समय हमेशा दायें और बायें देख कर पार करें। यदि तेज वाहन आ रहा हो, तो उसके गुजर जाने के बाद सड़क पार करें।
- सड़क पर चलते समय या सड़क पार करते समय कान में इयर फोन लगा कर न चलें।
- जहाँ जेब्रा क्रासिंग हो, वहाँ से ही सड़क पार करें।
- वाहन हमेशा सड़क के बायीं ओर एवं निर्धारित गति सीमा में चलायें।
- दुपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाली सवारी हमेशा हेलमेंट पहन कर चलें।
- कार या अन्य चार पहिया वाहनों में या उससे बड़ें वाहन चालक हमेशा सीट बेल्ट बाँध कर गाड़ी चलायें।
- नशे को हालत में गाड़ी न चलायें।
- दायें या बायें मुड़ते समय, गाड़ी रोकते समय, गाड़ी धीमे करते समय संकेतक अवश्य दें।
- गाड़ी रोकने पर सावधानी बरतें। दरवाजा खोलते समय सावधानी बरतें।
- किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार दें और उसे तुरंत किसी नजदीकी चिकित्सालय में ले जायें।

- वाहन सवार एवं पैदल यात्री एम्बुलेंस एवं फॉयर ब्रिगेड की गाड़ियों के जाने के लिए रास्ता छोड़ दें।
- सड़क का चौराहा/तिराहा आने के पूर्व वाहन की गति धीमी कर लें एवं उसे पार करने के पूर्व सावधानी बरतें।

### स्कूली बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा के उपाय

**बच्चों को सिखायें कि जब वे स्कूल बस में चढ़े तो –**

- जल्दबाजी न करें, बस के रूकने का इंतजार करें।
- एक कतार में रहकर बस में प्रवेश करें।
- रेलिंग पकड़कर बस में प्रवेश करें।
- देख लें कि आपका बैग या कपड़े आदि कहीं भी न फंसे।

**बस में यात्रा करते हुए–**

- सीट पर सुरक्षित ढंग से बैठें और चेहरा सामने रखें।
- अपने शरीर का कोई भी अंग बस से बाहर न निकालें।
- पायदान पर यात्रा न करें।
- बस का गलियारा खाली रखें।
- शोरगुल न करें और ड्राइवर का ध्यान न बटाएं।
- ड्राइवर और कंडक्टर के निर्देशों का पालन करें।

**बस से उतरते समय–**

- जल्दीबाजी न करें, बस के रूकने का इंतजार करें।
- रेलिंग का उपयोग करते हुए बस से उतरें।
- बस के अगले दरवाजे से बाहर निकलें।

अनुलग्नक–(13)आगजनी से बचाव हेतु उपाय/आग से बचाव के टिप्स/अग्निकांड से बचाव हेतु सुझावः

# बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

**द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800001**

सत्यमेव जयते

- स्टोव या लकड़ी, गोईठा आदि के जलावन वाले चूल्हे पर खाना बनाते वक्त सावधानी बरतें। हमेशा सूती वस्त्र पहनकर ही खाना बनावें।
- राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है एवं पछुआ हवा भी चल रही है। ऐसे में दिन का खाना 9 बजे सुबह तक एवं रात का खाना6 बजे शाम के बाद बनावें। खाना बनाने के बाद चूल्हे की आग को पूरी तरह बुझा दें।
- गेहूँ ओसनी का काम हमेशा रात में तथा गाँव के बाहर खलिहान में जाकर करें।
- राज्य में भीषण गर्मी एवं पछुआ हवा चलने की स्थिति बनी है। अतएवं हार्वेस्टिंग के बाद खेतों में छोड़े गए डंठलों में आग नहीं लगावें।
- घर व खलिहान पर समुचित पानी व बालू की व्यवस्था रखें।
- जलती हुई बीड़ी–सिगरेट इधर उधर न फेंके। बीड़ी–सिगरेट पीकर उसे बुझाने के बाद ही फेंके।
- खाना पकातें समय रसोईघर में वयस्क मौजूद रहें, बच्चों को अकेला न छोड़ें।
- खिड़की से स्टोव के बर्नर तक हवा न पहुँच पाए, इस बात की पुरी तसल्ली कर लें।
- सरकारी सहायता पाने के उद्देश्य से जानबूझकर अपनी संपति से आग लगाने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने में प्रशासन की मदद कर जागरूक नागरिक अवश्य बनें।
- तौलिये या कपड़े का इस्तेमाल सावधानी से गर्म बर्तन उतारने के लिए करें।
- खिड़की के बाहर कोई चादर या तौलिया लटका दें ताकि बाहर लोगों को पता चल सके कि आप कहाँ हैं और आपकों मदद चाहिए।
- गैस चूल्हे का इस्तेमाल करने के तुरंत बाद सिलिंडर का नॉब तुरंत बंद कर दें।
- घर के बिजली तारों एवं उपकरणों की नियमित जाँच करें।
- घर में अग्निशमन कार्यालय तथा अन्य आपातकालिन नंबर लिखा हुआ हो और घर के सभी सदस्यों को इन नंबरों के बारे में पता हो।
- आग लगने पर दमकल विभाग को फोन करें और उन्हें अपना पूरा पता बतायें फिर दमकल विभाग जैसा कहें वैसा ही करें।
- बच्चों को माचिस या आग फैलाने वाले एवं अन्य सामानों के पास न जाने दें।
- बीड़ी, सिगरेट, हुक्का आदि पीकर जहाँ–तहाँ न फेंकें, उसे पुरी तरह बुझने के बाद ही फेंकें।
- चूल्हा, ढिबरी, मोमबत्ती, कपूर इत्यादि जलाकर न छोडे।
- अनाज केढेर, फूस या खपड़ैल की झोपड़ी के निकट अलाव नहीं जलाएँ व डीजल इंजन नहीं चलाएं।
- सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों एवं बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ न ले जाएँ।
- आपके कपड़े में अगर आग लग जाए तो दौड़ना नहीं चाहिए, बल्कि जमीन पर लेटकर गोल–गोल घुमते हुए आग बुझावें।
- खाना बनाने के समय ढीले–ढाले कपडें न पहने।
- अग्नि दुर्घटना के दौरान कभी भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें।
- गैस की दुर्गंध आने पर बिजली के स्वीच को न छुऐं।
- खाना पकाते समय रसोईघर में बच्चों को अकेला न छोड़े।

### आग से बचाव के टिप्स :

- शरीर के कपड़े में आग लगने पर भागे नहीं, बल्कि लेटे तथा दाये–बाये लूढ़के।
- सिगरेट या बीड़ी जलाने के बाद जलती हुई माचिस की तीली अथवा बीड़ी एवं सिगरेट पीकर इसका अधजला टुकड़ा इधर उधर न फेकें।
- तेल की आग के लिए फोम कंपाउड या ए.बी.सी. अग्निशमन यंत्रों का उपयोग करें।
- सिनेमा घरों में सभी दरवाजों/निकासी द्वार पर EXIT ग्लो साईन बोर्ड लिखे जो अंधेरे में भी दिखाई दे एवं आपातकालीन रौशनी की व्यवस्था रखें।
- गैस सिलिण्डर लीक होने पर सर्वप्रथम आग के सभी श्रोतों को बंद कर दें, तत्पश्चात सभी दरवाजों एवं खिड़कियों को खोल दें।
- विद्युत उपकरण में एम.सी.बी. अवश्य लगावे।
- चूंकि धुंआ उपर उठेगी इसलिए झुक कर चले एवं मुंह तथा नाक को गीले कपड़े से ढ़क लें।
- घर में हमेशा बाल्टी में पानी भर कर रखें।
- सावधानी ही आग के समय आपका सच्चा दोस्त है।

**सौजन्यः बिहार अग्निशमन सेवा, पटना**

### खेत (फसल) के लिए अग्नि सुरक्षा से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें

| | |
|---|---|
| 1. | फसल कटने तक बोरिंग पर पम्पिंग सेट तैयारी हालत में रखें। |
| 2. | अगर खेत में आग लग गई हो तो फैलने वाली दिशा में थोड़ी दूरी पर फसल काट (फायर ब्रेक) दें। |
| 3. | फसल ढुलाई के लिए खेतों के बीचों–बीच से ट्रैक्टर, पिकअप भान आदि वाहनों को लाने एवं ले जाने का प्रयोग न करें। |
| 4. | अगर खलिहान के पास तालाब या अन्य कोई जल श्रोत हो तो वहाँ से पाईप या पम्पिंग सेट तैयार रखें। |
| 5. | खेतों से गुजरने वाली बिजली के तार के किसी भी जोड़ को ढ़ीला य खुला न छोड़े। |
| 6. | खेतों से गुजरने वाली बिजली के तार के किसी भी जोड़ को ढ़ीला या खुला न छोड़े। |
| 7. | बाँस के खम्भे के द्वारा नंगे बिजली के तार खेतों में न रखें। |
| 8. | खेत के आस–पास बीड़ी–सिगरेट आदि नहीं पीये तथा न हीं किसी को पीने दें। |
| 9. | खेत के आस–पास पूजा एवं हवन न करें और न ही करने दें। |
| 10. | कटनी के बाद खेत में छोड़ें डंठलों में आग न लगायें, इससे आग फैलता है तथा वातावरण दूषित करता है। |
| 11. | सूखे फसल के खेतों के इर्द–गिर्द अलाव, चूल्हे की राख न फेकें। |
| 12. | पकी फसल के खेतों के अगल–बगल पेड़ से गिरे पत्ते या झाड़ियों में आग न लगायें। |
| 13. | पकी फसलों के आस–पास खेतों में थ्रेशिंग का कार्य न करें। |
| 14. | किसी भी उत्सव के दौरान पकी फसल के आस–पास आतिशबाजी का प्रयोग न करें ना ही करने दें। |

**श्रोतः गृह (आरक्षी) विभाग, बि.स.**

आयुक्त
[illegible] प्रमंडल, पटना

आपदा
Disaster

सत्यमेव जयते

दूरभाष सं० : (0612) 2219205 (का०)
: (0612) 2233578
फैक्स : (0612) 2230788

दिनांक 16.3.2015

अर्द्ध सरकारी पत्रांक 124 /गो०

वर्ष 2015 में गरमी का मौसम प्रारम्भ होते ही यदाकदा आगलगी की सूचनायें प्राप्त हो रही है। यही कारण है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह उपयुक्त समय मानता हूँ।

गरमी के मौसम में यह देखा गया कि छोटी सी गलती या असावधानी के कारण आगलगी की घटनायें घटती है। फलस्वरूप सम्पति का अपूरनीय क्षति होता है एवं जानमाल भी कुप्रभावित होता है। ऐसी घटनाओं के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन साधारण एवं सामान्य precautions एवं safety tips से अधिकांश मामलों में निवारण संभव होता है। उदाहरण के रूप में परम्परागत ढंग से यथा संभव सूर्योदय के पश्चात् चुल्हा जलाने के कार्य कई जगहों पर समाज में अपनाया गया है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि आपके जिला के अन्दर आगलगी के लिए निरोधात्मक कार्रवाई के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार करना नितान्त आवश्यक है। मैं चाहूँगा कि व्यक्तिगत रूचि लेकर सभी संभव माध्यम से जनमानस में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

भ व दी य,

16/3/15

(ई0एल0एस0एन0 बाला प्रसाद)

श्री कार्तिकेय धनजी
जिला पदाधिकारी, नालंदा।

अनुलग्नक–(14) बिहार अग्निशमन सेवा की ओर से दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के अवसर पर बनने वाले पंडालों एवं अस्थायी निर्माण को अग्नि से सुरक्षा के उपाय :

**बिहार अग्निषमन सेवा की ओर से दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा– 2016 के अवसर पर बनने वाले पण्डालों एवं अस्थायी निर्माण को अग्नि से सुरक्षा के उपाय।**

- ''फायर रिटारडेन्ट सोल्यूशन'' में उपचारित किया हुआ कपड़े का पण्डाल बनाया जाय क्योंकि साधारणतः ऐसे कपड़ों में आग नहीं लगती है।
- पण्डाल में कम–से–कम तीन द्वार रखे जाए – एक सामने से तथा दो पार्श्व में।
- बिजली के तारों को कपड़ों अथवा तिरपाल के सम्पर्क में न रखें।
- बिजली के तारों को पी0वी0सी0 कन्ड्यूट पाईप के अन्दर से ले जायें और जोड़ों के उपर टेप लगाये जाए।
- पंडालों में बिजली व्यवस्था हेतु मोटे एवं नये तारों का व्यवहार करें।
- प्रत्येक पण्डाल के लिए अलग से फ्यूज सर्किट ब्रेकर लगाये जाएं।
- पण्डाल निर्माणकर्त्ता विद्युत अभियंता से सलाह प्राप्त करें। प्रत्येक पण्डाल का विद्युत विभाग द्वारा पूर्व निरीक्षण कराना श्रेयष्कर होगा।
- हवन की व्यवस्था पण्डाल के बाहर एवं थोड़ी दूरी पर सुरक्षित एवं खुले स्थान पर करें।
- अगरबत्ती एवं दीपक जलाने की व्यवस्था जमीन पर रखें तथा कपड़े से दूरी पर रखें।
- प्रत्येक पण्डाल में पानी से भरा हुआ कम से कम चार ड्राम, चार बाल्टी, चार मग एवं दो वाटर सी॰ओ॰टू॰ एवं ड्राई केमिकल पाउडर अग्निशामक यंत्र आकस्मिकता से निपटने के लिए सुरक्षित रखें।
- सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन खुले स्थान पर अथवा तीन ओर से खुला पण्डाल में रखें। यदि उसे चारों ओर से घेरने की आवश्यकता हो तो प्रत्येक 15 फीट की दूरी पर निकास द्वार अवश्य रखें। बैठने की व्यवस्था इस प्रकार करें कि निकास द्वारों के सामने अवरोध न हो।
- पण्डाल एवं घेरा बनाते समय इस बात का ध्यान दिया जाय कि आपातकालीन स्थिति में अग्निशामक वाहन के लिए रास्ते में रूकावट न हो।
- पटाखा बिक्रेता को कम से कम दो ''वाटर सी॰ओ॰टू॰'' तथा दो ''डी॰सी॰पी॰'' (09 लीटर क्षमता के) पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र अवश्य रखें जिसके संचालन की जानकारी उन्हें हो तथा दो ड्रम पानी भी रखें। इसका सर्वेक्षण अग्निशामालय पदाधिकारी से भी कराया जाय।
- बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को तंग गली में पटाखा न छोड़ने दें। बल्कि खुले स्थान में अपनी निगरानी में पटाखा छोड़ा जाए।
- आसमान तारा (आतिशबाजी) कभी–कभी दूसरे के घरों में प्रवेश कर आगजनी का कारण बनती है। यथासंभव इससे परहेज करें।
- घर में अथवा बिना लाइसेंस के दुकान में अधिक मात्रा में पटाखा का भण्डारण नहीं करें।
- पण्डाल एवं पूजा स्थलों पर अग्निशाम सेवा का आपातकालीन दूरभाष नं॰– 101 या स्थानीय अग्निशामालय के दूरभाषा सं॰...... की तख्ती टांगी जाये।
- आयोजक तकनीकी सलाह लेने हेतु निकटतम अग्निशामालय पदाधिकारी/प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी से संपर्क कर सकते है।

**श्रोतः पुलिस उप महानिरीक्षक–सह–उप महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषाम सेवाएँ, बिहार (2016)**

अनुलग्नक – (15) वज्रपात (ठनका) क्या करें–क्या न करें :

**आमजनों को बरसात में वज्रपात (ठनका) से बचाव के सुझाव पर अमल करने हेतु परामर्श**

क्या करें –

- किसी पक्के मकान में आश्रय लेना बेहतर है। सफर के दौरान अपने वाहन में ही बने रहें। मजबूत छत वाले वाहन में रहें, खुली छत वाले वाहन की सवारी न करें।
- बिजली के उपकरणों या तार के साथ संपर्क से बचे व बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा दें।
- तालाब और जलाशयों से दूर रहें। यदि आप पानी के भीतर हैं अथवा किसी नाव में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं।
- यदि आपके सिर के बाल खड़े हो जाएं, त्वचा में झुनझुनी होने लगे तो फौरन नीचे झुक कर कान बंद कर लें। यह इस बात का सूचक है कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है। जमीन पर न लेटें और न ही हाथ टिकाएं।

क्या न करें –

- बिजली से संचालित उपकरणों से दूर रहें, तार वाले टेलीफोन का उपयोग न करें।
- खिड़कियाँ, दरवाजें, बरामदे एवं छत से दूर रहें।
- ऐसी वस्तुएँ जो बिजली की सुचालक हैं, उनसे दूर रहें, धातु से बने, पाईप, नल, फब्बारा, वॉश बेसिन आदि के संपर्क से दूर रहें।
- ऊँचे वृक्ष आसमानी बिजली को आकर्षित करते हैं। कृपया उनके नीचे न खड़े रहें। ऊँची इमारतों वाले क्षेत्र में आश्रय न ले। समूह में न खड़े रहें, बल्कि अलग–अलग हो जाएं।
- बाहर रहने पर धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें। बाइक, बिजली या टेलीफोन का खंभा, तार की बाड़, मशीन, टेलीफोन, टेलीविजन टावर आदि से दूर रहें।

**श्रोत : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार**

**नोट** : आसमानी बिजली के झटके से घायल होने पर जरूरत के अनुसार व्यक्ति को सीपीआर (कार्डियों पल्मोनरी रिससिटेशन) यानि कृत्रिम श्वास देनी चाहिए एवं उन्हें तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अनुलग्नक – (16) शीतलहर से बचाव :

**स्वास्थ्य विभाग**

**स्वास्थ्य सेवा निदेशालय**

**शीतलहर या ठंड लगने से बचाव के उपाय**

शरीर का तापमान 95⁰ फारेनहाईट या 35⁰ सेल्सियश से कम होने को ठंड लगना या शीतलहर का असर होना कहते हैं।

| शीतलहर या ठंड लगने पर व्यक्ति में निम्न लक्षण उत्पन्न होते है : | शीतलहर या ठंड से बचाव हेतु निम्न उपायों का ध्यान दें: |
|---|---|
| 1. शरीर का ठंडा होना एवं अंगों का सुन्न पड़ना।<br>2. अत्याधिक कपकपी या ठिठुरण का होना।<br>3. बार–बार उल्टी की इच्छा या उल्टी का होना।<br>4. अत्याधिक सुस्त होना या थकान।<br>5. अर्द्धबेहोशी की स्थिति अथवा बेहोश होना। | 1. जब तक बाहर जाने की जरूरत/आवश्यकता न हो यथासंभव घर के अंदर सुरक्षित रहे (विशेषकर वृद्ध एवं बच्चे)।<br>2. यदि घर से बाहर जाना आवश्यक हो तो शरीर पर समुचित ऊनी एवं गर्म कपड़ें पहन कर ही निकले तथा अपने सिर, चेहरा हाथ एवं पैर को भी यथोचित गर्म कपड़े से ढ़क लें।<br>3. स्थानीय समाचार पत्र/रेडियों/टेलिविजन के माध्यम से मौसम की जानकारी लेते रहें।<br>4. शरीर को निर्जलीकरण से बचाने हेतु शराब इत्यादि का सेवन न करे।<br>5. शरीर में उष्मा के प्रवाह को बनाये रखने के लिये पौष्टिक आहार एवं गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें।<br>6. बंद कमरों में जलते हुए लालटेन, दीया एवं कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते समय धुएँ के निकास का उचित प्रबंध करना सुनिश्चित करें एवं इसके प्रयोग के बाद अच्छी तरह से बुझा दें।<br>7. हीटर, ब्लोअर आदि का प्रयोग करने के बाद स्वीच ऑफ करना न भूलें अन्यथा यह जानलेवा हो सकता है।<br>8. राज्य सरकार शीत लहर के समय रात्रि में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करती है, जिसका लाभ उठाकर शीतलहर से बचा जा सकता है।<br>9. उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह के मरीज तथा ह्रदय रोगी चिकित्सक की सलाह जरूर लेते रहें तथा सामान्यतया धूप होने पर ही घर से बाहर निकलें।<br>10. विशेष परिस्थिती में नजदीकी सरकारी अस्पताल से चिकित्सीय परमर्श ले अथवा रोगी वाहन एम्बुलेन्स की सहायता लेने हेतु दूरभाष संख्या 102 या 108 पर संपर्क करें। |

**श्रोतः स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य विभाग (2016)**

अनुलग्नक – (17)2012–13 में शीतलहर/पाले से निपटने के सम्बन्ध में:

**अत्यावश्यक**

पत्र संख्या-1प्रा0आ0-36/2011...4942 आ0प्र0

बिहार सरकार,

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह,

अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार।

पटना-15, दिनांक- 12.12.12

**विषयः- वर्त्तमान वर्ष 2012-13 में शीतलहर/पाला की स्थिति उत्पन्न होने पर शीतलहर/पाला से निपटने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य में सामान्यतः माह दिसम्बर से जनवरी के बीच ठण्ड की व्यापकता और तीक्ष्णता कभी-कभी प्रचण्ड एवं भयावह शीतलहर का रूप ले लेती है। इस वर्ष दिसम्बर माह के प्रारम्भ से ही ठंड प्रारम्भ हो गयी है। संभावना है कि शीतलहर भी शीघ्र ही शुरू हो जाए। गरीब एवं निःसहाय व्यक्ति जो फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करते हैं, विशेष रूप से शीतलहर के शिकार हो जाते हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह शीतलहर से बचाव हेतु ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा का समुचित प्रबंध करे।

2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-32-3/2010-एन0डी0एम0-1, दिनांक-13.08.2012 द्वारा भारत सरकार ने शीतलहर (Cold Wave)/पाला (Frost) को राज्य आपदा रिस्पांस कोष/राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस कोष के अंतर्गत साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य की देयता के लिए प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल किया है जिसका संसूचन विभागीय पत्रांक-4285/आ0प्र0, दिनांक-18.10.2012 द्वारा किया गया है। साहाय्य मानदर के अनुरूप राज्य आपदा रिस्पांस कोष/राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस कोष के अंतर्गत साहाय्य प्राप्त करने के लिए निम्नांकित मानदर निर्धारित किया गया है :-

(क) किसी क्षेत्र को शीतलहर से प्रभावित निम्न परिस्थितियों में माना जायेगा :-

I. वैसे क्षेत्र जहाँ का सामान्य न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेन्टीग्रेड या उससे अधिक हो वैसे क्षेत्र में यदि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय।

II. वैसे क्षेत्र जहाँ का सामान्य न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो वैसे क्षेत्र में यदि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय।

(ख) किसी क्षेत्र में यदि तापमान शून्य डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय तथा यह रबी/खरीफ फसल के मौसम में उस क्षेत्र विशेष के लिए असामान्य स्थिति हो, तब उस क्षेत्र को पाला (Frost) प्रभावित क्षेत्र माना जायगा।

राज्य में किसी जिले को शीतलहर/पाला (Frost) से प्रभावित मानने के लिये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्गत तापमान आकड़ों के आधार पर निर्णय लिया

जायगा। रबी/खरीफ फसल के 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक की क्षति होने पर एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 से अनुदान देय होगा।

3. इस वर्ष 2012-13 में सम्भावित शीतलहर को ध्यान में रखते हुए गरीबों की शीतलहर से रक्षा के लिये निम्नांकित निर्णय लिया गया है:-

(क) जिला विशेष में ज्योंही शीतलहर प्रारंभ हो, जिला पदाधिकारी अपने विवेक से गरीब वर्गों को शीतलहरी के प्रकोप से बचाने हेतु आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था करेंगे। अलाव की व्यवस्था यथानुसार जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तरीय सभी शहरी/अर्द्ध शहरी स्थानों में की जाएगी। जिला पदाधिकारी अलाव जलाने का स्थान चयन करते समय यह ध्यान रखें कि अलाव ऐसे स्थानों पर जलाये जाएं, जहाँ अधिक-से-अधिक निर्धन एवं असहाय लोग निवास करते हों या एकत्र होते हों, उदाहरणार्थ धर्मशालाएं, अस्पताल परिसर, रैन-बसेरा, मुसाफिरखाना, रिक्शा एवं टमटम पड़ाव, चौराहा, रेल/ बस स्टेशन, अन्य सार्वजनिक स्थान आदि, ताकि इस प्रकार के लोग लाभान्वित हो सकें।

(ख) जिला स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी यथा अपर जिला दण्डाधिकारी (साहाय्य) को जिला पदाधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में अलाव व्यवस्था का प्रभारी नामित किया जाए। इनका दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि चयनित स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) रिक्शा चालक (शहरों में), दैनिक मजदूर, एवं ऐसे सदृश श्रेणी के गरीब, निःसहाय व्यक्ति, बच्चे, जिनका कोई आवास न हो को शीतलहर के समय रैन-वसेरा, सामुदायिक भवन इत्यादि में शरण दिया जाये ताकि शीतलहर से उनका बचाव हो सके। ऐसे शरण स्थलों का व्यापक प्रचार भी कराया जाय। जहाँ सार्वजनिक भवन उपलब्ध नहीं हों, वहाँ जिले में उपलब्ध पॉलिथीन शीट्स, तारपोलीन शीट्स, टेंट का उपयोग कर आवश्यकतानुसार अस्थायी शरण-स्थली बनायी जाय । इन शरण स्थलियों में पर्याप्त संख्या में कम्बल रखें जायें । कम्बल किसी शरणार्थी को आवंटित नहीं किया जाएगा, उनके द्वारा मात्र शरण लेते समय उपयोग किया जाएगा । शरण-स्थली का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय ताकि जन-सामान्य को इसकी पूर्व जानकारी रहे तथा वे सरकार द्वारा एतत् संबंधी की गई व्यवस्था का पूरा लाभ उठा सके तथा इस व्यवस्था की मोनिटरिंग/निगरानी भी उच्चस्तर से की जा सके।

(घ) शीतलहर से बचाव के लिए किये जाने वाले उपाय से जनता को अवगत कराया जाय। शीतलहर से बचाव हेतु क्या-क्या उपाय किये जा सकते हैं, इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग पम्पलेटों, समाचार पत्रों के माध्यम से, सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगा कर एवं अन्य साधनो से सामान्य जनता को अवगत कराने की व्यवस्था करायेगा।

(ङ) यह भी देखा गया है कि समाचार पत्रों में शीतलहर से मृत्यु की सूचना यदाकदा प्रकाशित होती है ऐसी सूचना के तथ्यों की जांच कर जानकारी तुरंत ली जाय और यदि तथ्य निराधार पाये जाय तो उनका खण्डन समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कराया जाय। शीतलहर से उत्पन्न होने वाले प्रकोप से बचाव, अपनाये गये उपायो व किये गये राहत कार्यो की जानकारी समय-समय सार्वजनिक रूप से प्रसारित व प्रकाशित भी करायी जाय।

(च) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि इस राहत का लाभ वास्तव में गरीबों एवं नि:सहायों को मिले एवं किसी भी परिस्थिति में इसका दुरूपयोग न हो। साथ ही मितव्ययिता बरती जाय।

(छ) अलाव की व्यवस्था हेतु सभी जिलों को अलग से राशि आवंटित की जा रही है।

(4) अतः अनुरोध है कि वर्त्तमान वर्ष 2012-13 में शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होने पर उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष कार्यरत है, जिसका टेलीफैक्स नं0 **0612-2217305 है।** जिलों द्वारा प्रत्येक दिन संलग्न प्रपत्र में तापमान एवं दैनिक प्रतिवेदन राज्य नियंत्रण कक्ष को भेजा जाएगा।

कृपया उपरोक्त निदेशों का पालन दृढ़ता पूर्वक किया जाए।

विश्वासभाजन

अनु0-यथोक्त।

(राजीव कुमार सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक 4942/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 12/12/12

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस संबंध में अपने अधीनस्थ जिला पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी यथोचित निदेश देने की कृपा की जाय। साथ ही वे जिलों के भ्रमण के समय उन स्थानों का भी औचक निरीक्षण करें जहाँ अलाव जलाए जा रहे हैं।

अपर सचिव

ज्ञापांक 4942/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 12/12/12

प्रतिलिपि: सचिव, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ । शीतलहर के प्रकोप से गरीब वर्गों की सुरक्षा हेतु प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कम्बल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

अपर सचिव

ज्ञापांक 4942/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 12/12/12

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग को सूचनार्थ। निदेशानुसार अनुरोध है कि नगरीय क्षेत्रों में शीतलहर से बचाव हेतु कार्रवाई करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निदेश देने की कृपा की जाय।

अपर सचिव

अनुलग्नक – (18) सर्दी के मौसम में पशुओं की देखभाल हेतु आवश्यक सुझाव :

**सर्दी के मौसम में पशुओं की देखभाल हेतु आवश्यक सुझाव**

| | |
|---|---|
| 1. | सर्दी के मौसम में पशुओं को ठंढ, ओस एवं कोहरे से बचाने के उपाय करने चाहिए। इसके लिए पशुओं को गर्म स्थान पर जैसे छत के नीचे या घास–फूस की छप्पर के नीचे रखना चाहिए। रात में पशुओं को कभी भी खुले में नहीं बांधना चाहिए। फर्श गीले व ठंडे नहीं रहनी चाहिए। ठंढ़ से बचाव हेतु फर्श पर पुआल बिछा कर रखना चाहिए। |
| 2. | धूप निकलने की स्थिति में पशुओं को खुले धूप में बाँधे। क्योंकि सूर्य की किरणों में जीवाणु एवं विषाणु को नष्ट करने की बहुत क्षमता होती है तथा विटामिन 'डी' की प्राप्ति होती है। |
| 3. | अधिक ठंढ़ होने पर पशु के शरीर को गर्म रखने के लिए शरीर पर कपड़ा या जूट की बोरी बाँध दें। पशुगृह को गर्म रखने के लिए अलाव/धुआं इत्यादि का प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना चाहिए ताकि आगजनी की समस्या न हो। |
| 4. | पशुओं को नियमित व्यायाम करायें। रोगी, कमजोर, गाभिन और अपाहिज पशुओं को टहलाकर तथा स्वस्थ एवं वयस्क पशुओं को हल्का या तेज दौड़ाकर व्यायाम कराना चाहिए। इससे पशुओं के सभी अंगों में रक्त संचार सुधरती है। |
| 5. | उन्हें स्वच्छ एवं ताजा पानी, जो अत्यधिक ठंढ़ा न हो, पीने को दें। |
| 6. | ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। उनका शरीर गर्म रखा जाए तथा उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन से भरपूर संतुलित भोजन दिया जाय। |
| 7. | खुरहा–मुंहपका रोग, गलाघोंटू, लंगडी, पी॰पी॰आर॰, बकरी/भेंड़ चेचक आदि रोगों से बचाव हेतु टीके, यदि अभी तक नहीं लगवाएं हो तो, कृपया समय रहते अवश्य लगवा लें। |
| 8. | अंतः एवं बाह्य परजीवी से बचाव हेतु उचित कृमिनाशक दवाओं का उपयोग करना चाहिए। |
| 9. | इस मौसम में कफ, निमोनिया (बछड़ों में) और खांसी से संबंधित रोग होने की स्थिति में पशु चिकित्सक से यथाशीघ्र परामर्श लेकर उचित औषधी पशुओं को देना चाहिए। |
| 10. | दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए दूध पूरा व मुट्ठी बांध कर निकालें और दूध दूहने के बाद थनों को कीटाणुनाशक (फिटकिरी, लाल पोटाश) घोल से धो लेना चाहिए। |
| 11. | पशुओं को नमक एवं खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या चारे में मिलाकर दें। |
| 12. | सर्दियों के मौसम में दलहनी किस्म का हरा चारा जैसे बरसीन, ल्यूसर्न, जई आदि रसदार चारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। इसलिए इन्हें पशुओं को पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। शुष्क पदार्थ का एक तिहाई भाग हरा चारा होना चाहिए। महंगे दाने की मिश्रण की मात्रा को दलहनी किस्म के हरे चारे के प्रयोग से कम किया जा सकता है। हरे चारे की मात्रा एक निश्चित अनुपात में ही बढ़ाना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में हरा चारा देने से पशुओं में दस्त, अफारा इत्यादि की समस्या हो सकती है। |
| 13. | पशुओं को खिलाने के पश्चात् अतिरिक्त हरा चारा अगर बचा हुआ हो तो उसे छाया में सुखाकर सूखी घास 'हे' के रूप में संरक्षित कर लें। यह हरे चारे की अनुपलब्धता में इस्तेमाल किया जा सकता है। |
| 14. | पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए। दानों में अनाज, खल तथा भूसी की समान मात्रा मिलाएं। खल में मूंगफली की खल का प्रयोग करना चाहिए। दानें मं 10 प्रतिशत शीरा का प्रयोग करना चाहिए। |
| 15. | सर्दी में अक्सर अधिकतर भैंसे गर्म हो जाती हैं, इसे उचित समय पर गर्भाधान करवाएं। |

**श्रोतः पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग**

अनुलग्नक – (19) नाव दुर्घटना से बचने के उपाय– सवारी करने वालों, नाविको, नाव मालिकों एवं जिला प्रशासन हेतु

## नाव दुर्घटना से बचने के उपाय

### नाव की सवारी करने वाले ध्यान दें

- जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो, उसी नाव से यात्रा करें।
- जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफेद पट्टी का निशान हो, उसी नाव से यात्रा करें।
- किसी भी स्थिति में ओभर लोडडे नाव पर न बैठें।
- नाव चलाने के पहले देख लें कि लदान क्षमता दर्शाने वाली सफेद पट्टी का निशान डूबा तो नहीं है। अगर डूबा है तो तुरन्त उतर जाए।
- तेज हवा/खराब मौसम/आँधी–तूफान एवं बारिश में नाव की यात्रा न करें।
- छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
- जिस नाव पर जानवर ढ़ोये जा रहे हों, उसमें यात्रा न करें।
- जर्जर/टूटी–फूटी नाव पर सवारी न करें। यह जानलेवा हो सकता है।
- जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाईफ जैकेट, लाईफ बॉय, के साथ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखे हों उसी नाव से यात्रा करें।
- नाव में यात्रा के दौरान शांत बैठे व उतरते–चढ़ते समय क्रम से ही नाविक के निर्देशानुसार उतरें व चढ़ें।
- सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नाव की यात्रा न करें। यह खतरनाक हो सकता है।
- नाव यात्रा के दौरान किसी तरह की जल्दीबाजी न दिखाएँ और नाविक के ऊपर किसी तरह का दबाव न डालें।

### नाविक एवं नाव मालिक ध्यान दें

- तेज हवा/खराब मौसम/आँधी/तूफान एवं बारिश में नाव का संचालन न करें।
- जिस नाव पर 15 से 30 लोगों तक सवारी बैठती हो उस नाव पर 2 नाविक का होना अनिवार्य है। 30 से ऊपर बैठाने वाली बड़ी नाव पर 3 नाविकों का होना अनिवार्य है।
- बीमार व्यक्तियों/गर्भवती महिलाओं को नाव पर चढ़ाने में प्राथमिकता दें।
- किसी यात्री को किसी भी दशा में नाव संचालन न करने दें।
- नाव पर किसी तरह का नशा सेवन करने से यात्रियों को रोकें।
- जिस नाव में जानवर ढ़ोया जा रहा हो उस नाव में जानवर के मालिक के अलावा अन्य सवारी न बैठाएँ।
- किसी भी तरह की नाव चाहे, उस पर सवारी ढोयी जा रही हो अथवा जानवर या सामान, सभी नाव का पंजीकरण कराना एवं उसपर लदान क्षमता का निशान लगाना अनिवार्य है।
- नाव पर ऐसा कोई भी सामान या खतरनाक सामग्री, साँप आदि नहीं ढोया जाएगा जिससे अन्य यात्रियों को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता हो।
- नाव से पानी निकालने/उलिचने के लिए नाव में आवश्यक बर्तन रखें।
- रात में नाव का परिचालन न करें। यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त कर विशेष रोशनी के साथ परिचालन करें।
- मानसून अवधि में सर्योदय के पूर्व एवं 5:30 बजे शाम के बाद नाव का परिचालन न करें।

**जिला प्रषासन ध्यान दें।**

- बिना निबंधन के कोई भी नाव चाहे वह किसी भी उद्देश्य (व्यक्तिगत/संस्थागत) के लिए प्रयोग की जा रही हो, उसका परिचालन गैर कानूनी है। बगैर निबंधन के नाव का परिचालन नहीं होने दें।
- नावों में अलग से डीजल इंजन/मशीन बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के नहीं लगाया जा सकता है। इसे सुनिश्चित किया जाए।
- घाटों पर प्रशिक्षित तैराकों, गोता खोरों एवं नजदीकी पुलिस थाना एवं जिला प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारियों का फोन नंबर अवश्य प्रदर्शित कराया जाए।
- सुनिश्चित किया जाय कि नावों पर लदान क्षमता तथा सफेद पट्टी का निशान हर हाल में अंकित रहे ताकि यात्री समझ सके कि नाव में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है।
- नाव संचालन के संबंध में बिहार, बंगाल नौ–घाट अधिनियम, 1885 के अधीन आदर्श नियमावली, 2011 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
- मॉनसून अवधि में सूर्योदय के पूर्व एवं 5:30 बजे शाम के बाद नाव के परिचालन पर रोक लगा दी जाए।

अनुलग्नक–(20)नदियों/तालाबों में डूबने की बढ़ती घटनाओं को रोकने हेतु जिला प्रशासन एवं राज्य की जनता को जरूरी सलाह

**नदियों/तालाबों में डूबने की बढ़ती घटनाओं को रोकने हेतु जिला प्रषासन एवं राज्य की जनता को जरूरी सलाह ।**

- खतरनाक घाटों के किनारे न स्वयं जाये न ही बच्चों को जाने दें।
- बच्चों को नदी/तालाबों/तेज पानी के बहाव में स्नान करने से रोके।
- बच्चों को पुल/पुलिया/ऊँचे टीलों से पानी में कूद कर स्नान करने से रोकें।
- यदि बहुत आवश्यक हो तो नदी के किनारे जायें, परन्तु नदी में उतरते समय गहराई का ध्यान रखें।
- यदि तैरना जानते हो तभी नदियों/तालाबों/घाटों के किनारे जाएं।
- डूबते हुए व्यक्ति को धोती, साड़ी, रस्सी या बांस की सहायता से बचायें। तैरना नहीं जानते हो तो पानी में न जाएं और सहायता के लिए अन्य किसी को पुकारे।
- गाँव/टोले में डूबने की घटना होने पर आस–पास के लोग आपस में एकत्रित होकर ऐसी दुःखद घटना की चर्चा अवश्य करें। किस कारण से इस तरह की घटना हुई और ऐसा क्या किया जाए कि इस तरह की घटना फिर कभी न हो आदि।

**डूबे हुए व्यक्ति को पानी से निकाल कर तत्काल प्राथमिक उपचार निम्न प्रकार करें :–**

- सबसे पहले देख लें कि डूबे हुए व्यक्ति के मुँह व नाक में कुछ फंसा तो नहीं है, यदि है तो उसे निकालें।
- नाक व मुँह पर उँगलियों के स्पर्श से जांच कर लें कि डूबे हुए व्यक्ति की साँस चल रही है।
- नब्ज की जाँच करने के लिए गले के किनारे के हिस्सों में उँगलियों से छूकर जानकारी प्राप्त करें कि नब्ज चल रही है कि नहीं।
- नब्ज व साँस का नहीं पता चलने पर डूबे हुए व्यक्ति के मुँह से मुँह लगाकर दो बार भरपूर साँस दें व 30 बार छाती के बीच में दबाव दें तथा इस विधि को 3–4 बार दुहराएँ। ऐसा करने से घड़कन वापस आ सकती हैं व साँस चलना शुरू हो सकता है।
- देख लें कि डूबे हुए व्यक्ति का पेट यदि फुला हुआ है तो पूरी संभावना है कि उसने पानी पी लिया है। अतः नीचे दी गई विधि से पेट से पानी निकालने कि प्रक्रिया शुरू करें।
- डूबे हुए व्यक्ति को पेट के बल सुलाएँ। पेट के नीचे तकिया या छोटा घड़ा जैसा बर्तन जो भी उपलब्ध हो सके लगा दें। अन्यथा किसी स्वस्थ्य व्यक्ति को पहले पेट के बल सुलाएँ तथा उसके ऊपर डूबे हुए व्यक्ति को इस तरह सुलाएँ कि उसका पेट नीचे सोये हुए व्यक्ति की पीठ पर पड़े। इसके बाद पीठ के निचले हिस्से पर धीरे–धीरे दबाकर पानी बाहर निकालें।
- डूबे हुए व्यक्ति को पुनः उठाकर पीठ के सहारे सुलाएँ तथा आराम करने दें।
- मूर्छा या बेहोशी आने पर पुनः साँस देने व छाती में दबाव देने की प्रक्रिया शुरू करें।
- उपरोक्त प्रक्रिया के बाद बचाए गए व्यक्ति को अविलम्ब नजदीकी डॉक्टर अथवा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाएँ।
- डॉक्टर या प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाने के लिए स्थानीय स्तर पर जो भी साधन उपलब्ध हो उसका प्रयोग करें या 108/102 पर फोन कर एम्बुलेन्स बुला लें।

**श्रोत : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(2016)**

अनुलग्नक–(21) भगदड़/भीड़ में क्या करें– क्या न करें ?

भगदड़/भीड़ में क्या करें– क्या न करें ?

| क्या करें ? | क्या न करें ? |
|---|---|
| ▪ मेले में चलते–फिरते रहें | ▪ अनावश्यक रूप से एक स्थान पर भीड़ न लगाएँ। |
| ▪ यदि आप परिवार या समूह के साथ है तो किसी आपात स्थिति में स्थान सुनिश्चित करे लें। एक दूसरे का फोन नम्बर साथ रखें। | ▪ निर्धारित स्थल पर मिलने की योजना बनना न भूले तथा योजना की जानकारी सबों को दें। |
| ▪ भगदड़ के समय संयमपूर्ण व्यवहार करें। | ▪ घबराएँ नहीं। |
| ▪ यदि आप छोटे बच्चों को मेले में लेकर जा रहे है तो उनके जेब या गले में घर का पता एवं फोन नं० जरूर डाल दें। | ▪ छोटे बच्चों का हाथ छोड़े नहीं। पहने हुए कपड़े का रंग भूले नहीं। |
| ▪ मेले में बहुमूल्य सामानों की रक्षा स्वयं करें। | ▪ पॉकेट या पर्स में अपना नाम एवं मोबाईल/फोन नं० लिख कर रखना न भूले। |
| ▪ बिजली के तारों और उपकरणों से दूर रहें। | ▪ बिजली के तारों को न छुएँ एवं खुले तारों से दूर रहें। |
| ▪ किसी भी आपात स्थिति में तत्काल नजदीकी नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। | ▪ मेले में किसी भी प्रकार का अफवाह ने फैलाएँ। |
| ▪ मेले में प्रशासन की घोषणा सुने और उसी के अनुरूप व्यवहार करें। | ▪ धुम्रपान/आतिशबाजी नहीं करें। |

अनुलग्नक – (22) दशहारा/दुर्गापूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य बातें :

## बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
## दशहारा/दुर्गापूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य बातें

**जिला प्रशासन : (क्या करें)**

| | |
|---|---|
| मेले में आगमन एवं निकास की समुचित व्यवस्था (पुरूष एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग यथा आवश्यकता बैरिकेडिंग की व्यवस्था। | बिजली के तारों एवं उपकरणों में सुरक्षा के पूर्ण उपायों की व्यवस्था।<br>आग से बचाव की समुचित व्यवस्था । |
| मेले के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना/लाउड स्पीकर से लगातार आवश्यक सूचनाओं की घोषणा। | मेला स्थल पर पार्किंग की समुचित एवं सुचारू व्यवस्था।<br>मेला स्थल पर समुचित रोशनी की व्यवस्था |
| चिकित्सा दल एवं एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था। | विसर्जन में प्रयुक्त नावों में सुरक्षा संबंधी उपाय एवं गोताखोरों की व्यवस्था। |
| दुर्गा पूजा के अवसर पर विसर्जन हेतु घाटों एवं स्थलों को चिह्नित कर लिया जाय। | विसर्जन क्रमबद्ध रूप से कराया जाए। |
| मेला या विसर्जन स्थल पर पटाखा आदि का इस्तेमाल न हो। | |

**जिला प्रशासन : (क्या न करें)**

| | |
|---|---|
| भीड़ को एक जगह एकत्रित न होने दे। | बिजली एवं उपकरणों के पास लोगों को न जाने दे। |
| एक ही ओर से भीड़ को आने और जाने न दिया जाय। | किसी भी प्रकार की अराजकता न फैलने दिया जाय। |
| मेले में किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलने दिया जाए। | मूर्ति विसर्जन के समय नावों में निर्धारित/लदान क्षमता से ज्यादा लोगों को न बैठने दिया जाय। |

**सामान्य नागरिक : (क्या करें)**

| | |
|---|---|
| मेले में चलते–फिरते रहें, अनावश्यक रूप से एक स्थान पर भीड़ न लगाएं।<br>भगदड़ के समय संयम पूर्ण व्यवहार करें और घबराएं नहीं। | यदि आप परिवार या समूह के साथ है तो किसी आपास स्थिति में मेला क्षेत्र के बाहर मिलने का एक स्थान सुनिश्चित कर लें। एक दूसरे का फोन नंबर साथ रखें। |
| यदि आप छोटे बच्चों को मेले में लेकर जा रहे हैं तो उनके जेब में (या गले में लॉकेट की तरह) घर का पता और फोन नंबर अवश्य रख दें। | मेले में अपने बहुमूल्य सामनों की रक्षा स्वयं करें।<br>बिजली के तारों और उपकरणों से दूर रहें। |
| किसी भी आपात स्थिति में तत्काल नियंत्रण कक्ष में संपर्क करें। | मेले में प्रशासन की ओर से की जाने वाली घोषणाओं को ध्यान से सुनें और उसके अनुसार व्यवहार करें। |

**सामान्य नागरिक : (क्या न करें)**

| | |
|---|---|
| मेले में किसी प्रकार की अफवाह ने फैलाएं और न ही उन पर ध्यान दें। | मेले में साथ लाये बच्चों को अकेला न छोड़े न ही उन्हें इधर–उधर जाने दें। |
| दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन में तैराकी न जानने वाले पानी की भीतर न जाएं। | मेले में किसी भी प्रकार के पटाखें/ज्वलनशील पदार्थ न ले जाएं तथा धुम्रपान न करें। |
| मेले में किसी भी प्रकार की अराजकता न फैलाएं। | |

श्रोत : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(2016)

अनुलग्नक – (23 )छठ पूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य कुछ सुझाव :

## बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
## छठ पूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य कुछ सुझाव

| सामान्य नागरिक : (क्या करें) | सामान्य नागरिक : (क्या न करें) |
|---|---|
| • निर्धारित मार्गों पर ही चले और गाड़ियाँ निर्धारित स्थानों पर ही पार्क करें। | • अफवाहें न फैलाएँ न उन पर विश्वास करें। |
| • यदि आप छोटे बच्चों को छठ पर्व में घाटों पर लेकर जा रहे हैं तो उनके जेब में (या गले में लॉकेट की तरह) घर का पता एवं फोन नंबर अवश्य रख दें। | • बैरिकेडिंग को न पार करें और खतरनाक घाटों की ओर या गहरे पानी में न जायें। |
| • बच्चों/महिलाओं/बुजुर्गों के पास अपने घर का पता और फोन नंबर अवश्य हो। | • छठ पूजा क्षेत्र में कहीं भी आतिशबाजी न करें। |
| • समस्या होने पर अतिकृत पदाधिकारियों/स्वयं सेवकों से ही संपर्क करें। अगर आवश्यक हो तो हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें। | • किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाएँ। |
| **प्रशासन : (क्या करें)** | |
| • सभी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करें। | • खतरनाक घाटों का चिह्निकरण एवं बैरिकेडिंग करें ताकि श्रद्धालु वहाँ न जायें। |
| • घाटों की अच्छी प्रकार से सफाई हो। | • घाट पर जाने वाले रास्तों की समुचित साफ–सफाई हो। |
| • घाटों पर साफ पेयजल की व्यवस्था हो। | • मार्गों का चिह्निकरण/संकेतीकरण किया जाए। |
| • मार्गों एवं घाटों पर समुचित प्रकाश व्यवस्था हो। | • बिजली के जर्जर तारों को बदल दिया जाये एवं अवांचित विद्युत आपुर्ति सुनिश्चित की जाए। |
| • पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से भीड़ का नियंत्रण एंव अन्य सूचनाओं का प्रसारण किया जाए। | • छठ पर्व में तैनात विभिन्न महत्वपूर्ण एजेसियो के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान के लिए अलग–अलग रंग के जैकेट की व्यवस्था हो। |
| • नहाय–खाय के दिन से ही निजी नावों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध हो। | • आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो। |
| • अग्निशाम की गाड़ियों की तैनाती पहले से ही संवेदनशील स्थानों पर की जाए। | • छठ पूजा समितियों के स्वयं–सेवकों का सहयोग लिया जाए। |
| • सरकारी/निजी अस्पतालों में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निबटने की व्यवस्था हो। | • घाटों पर गोताखोरों एवं एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. टीमों की आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति की जाए। |
| • घाटों पर विभिन्न स्थानों पर 'हेल्पलाइन नंबर' का प्रदर्शन किया जाए। | श्रोत : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (2018) |

अनुलग्नक (24) –भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य मुहैय्या करने के संबंध में :

| क्र0 सं0 | मद का नाम / ITEM | भारत सरकार के पत्र सं0–32–7 / 2014 / एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04. 2015 द्वारा निर्धारित मानदर / Norms of Assistance |
|---|---|---|
| 1 | **GRATUITOUS RELIEF/ अनुग्रह अनुदानः–** | |
| | a) Ex-Gratia payment to families of deceased persons | **Rs.4.00 lakh** per deceased person including those involved in relief operations or associated in preparedness activities, subject to certification regarding cause of death from appropriate authority. |
| | (क) मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान का भुगतान। | **₹ 4.00 लाख प्रति मृतक (राहत कार्यो एवं तैयारी गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों की मृत्यु सहित), बशर्त्ते सक्षम प्राधिकार द्वारा मृत्यु के कारणों का प्रमाणीकरण (Certification) किया गया हो।** |
| | b) Ex-Gratia payment for loss of a limb or eye(s). | **Rs. 59,100/-** per person, when the disability is between 40% and 60%.<br>**Rs. 2.00 Lakh** per person, when the disability is more than 60%.<br>Subject to certification by a doctor from a hospital or dispensary of Government, regarding extent and cause of disability. |
| | (ख) हाथ–पैर या ऑखों की क्षति होने पर अनुग्रह अनुदान का भुगतान। | **₹ 59,100.00 प्रति व्यक्ति**<br>(जब विकलांगता 40 से 60 प्रतिशत के बीच हो)<br><br>**₹ 2.00 लाख प्रति व्यक्ति**<br>(जब विकलांगता 60 प्रतिशत से अधिक हो)<br><br>बशर्त्ते सरकारी अस्पताल / डिस्पेंसरी के द्वारा विकलांगता के सीमा एवं कारण का प्रमाणीकरण किया गया हो। |
| | c) Grievous injury requiring hospitalization | **Rs 12,700/-** per person requiring hospitalization for more than a week.<br>**Rs. 4,300/-** per person requiring hospitalization for less than a week |
| | (ग) गंभीर चोट जिसके चलते हॉस्पीटल में भर्त्ती होना पड़े। | **₹ 12,700 प्रति व्यक्ति**<br>(एक सप्ताह से अधिक हॉस्पिटल में भर्त्ती रहने पर)<br>**₹ 4,300 प्रति व्यक्ति**<br>(एक सप्ताह से कम हॉस्पिटल में भर्त्ती रहने पर) |
| | d) Clothing and utensils/ house-hold goods for families whose houses have been washed away/ fully damaged/severely inundated for more than a week due to a natural calamity. | **Rs.1,800/-** per family, for loss of clothing.<br>**Rs.2,000/-** per family, for loss of utensils/ household goods |

| | | |
|---|---|---|
| | (घ) जिन परिवारों का वस्त्र एवं बर्तन/घरेलु सामान बह गया हो/ पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुआ हो/ गंभीर रूप से एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जलप्लावित रहा हो। | **₹ 1,800.00 प्रति परिवार वस्त्र की क्षति के लिए ₹ 2,000.00 प्रति परिवार वर्त्तन/घरेलु सामान की क्षति के लिए** |
| | e) Gratuitous relief for families whose livelihood is seriously affected. | **Rs.60** per adult and **Rs. 45** per child, not housed in relief camps. State Govt. will certify that (i) these persons have no food reserve, or their food reserves have been wiped out in the calamity, and (ii) identified beneficiaries are not housed in relief camps. Further State Government will provide the basis and process for arriving at such beneficiaries district-wise.<br><br>Period for providing gratuitous relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period of assistance will upto to 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance, if required, and subsequently upto 90 days in case of drought/ pest attack. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year. |
| | (ड़) प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को तत्काल अनुग्रह अनुदान। | **₹ 60.00 प्रति व्यस्क एवं ₹ 45.00 प्रति बच्चा जो राहत शिविर में नहीं है।**<br><br>राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि चिन्हित लाभार्थी राहत शिविर में नहीं रहे हैं।<br>साथ ही, राज्य सरकार वैसे लाभार्थियों तक जिलावार पहुँचने के लिए आधार एवं प्रक्रिया तय करेगी।<br><br>➢ अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने की समय सीमा एस0डी0आर0एफ0 के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा तथा एन0डी0आर0एफ0 के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार तय होगी।<br>➢ सामान्य स्थिति में सहायता 30 दिनों के लिए दिया जा सकता है जिसे जरूरत पड़ने पर पहली वार 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है तथा सूखा/ कीट आक्रमण के मामले में आवश्यकतानुसार इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति समय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना |

| | | |
|---|---|---|
| | | widespread devastation caused by earthquake or flood etc., this period may be extended to 60 days, and upto 90 days in cases of severe drought. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year.<br>Medical care may be provided from National Rural Health Mission (NRHM). |
| | (क) आपदा प्रभावित / निष्कासित / राहत शिविरों में आश्रय लिए लोगों के लिए अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्रा, चिकित्सा सेवा आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था। | 30 दिनों तक के लिए एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा राहत शिविरों की संख्या, उनकी अवधि एवं शिविर में लोगों की संख्या निर्दिष्ट किया जाएगा। सूखे की तरह निरंतर आपदा की स्थिति / भूकम्प / बाढ़ से बड़े पैमाने की तवाही की स्थिति में सहाय्य की अवधि 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है तथा गंभीर सूखे के मामले में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा समय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना चाहिए।<br>चिकित्सा सुविधा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) द्वारा दिया जा सकता है। |
| | b) Air dropping of essential supplies | As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF).<br>- The quantum of assistance will be limited to actual amount raised in the bills by the Ministry of Defence for airdropping of essential supplies and rescue operations only. |
| | (ख) आवश्यक राहत सामग्रियों का वायुयान के माध्यम से वितरण। | ➢ एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा ।<br>➢ सहायता की मात्रा (Quantum) सिर्फ आवश्यक आपूर्ति हेतु air dropping और सिर्फ बचाव कार्य में प्रयुक्त वायुसेना / अन्य एयरक्राफ्ट प्रदान करने वाले के वास्तविक बिल तक ही सीमित रहेगी। |
| | c) Provision of emergency supply of drinking water in rural areas and urban areas | As per actual cost, based on assessment of need by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF), up to 30 days and may be extended upto 90 days in case of drought. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time |

| | | |
|---|---|---|
| | | period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year. |
| | (ग) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक पेय जलापूर्ति | एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । 30 दिनों के लिए और सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा समय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना चाहिए। |
| 4 | **CLEARANCE OF AFFECTED AREAS/ प्रभावित क्षेत्रों की सफाई** | |
| | a) Clearance of debris in public areas. | As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team for assistance to be provided under NDRF |
| | (क) सार्वजनिक क्षेत्रों में मलवा की सफाई | सहाय्य की मात्रा 30 दिनों के अन्तर्गत हुए वास्तविक खर्च के अनुरूप होगी। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । |
| | b) Draining off flood water in affected areas | As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team(in case of NDRF). |
| | (ख) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जल की निकासी | सहाय्य की मात्रा 30 दिनों के अन्तर्गत हुए वास्तविक खर्च के अनुरूप होगी। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । |
| | c) Disposal of dead bodies/ Carcases | As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF). |
| | (ग) मानव शवों/ एवं मृत पशुओं का निष्पादन। | वास्तविकता के अनुरूप एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । |
| 5 | **AGRICULTURE/ कृषि** | |
| **(i)** | **Assistance farmers having landholding upto 2 ha ./ 2** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि धारक कृषकों को साहाय्य।** | |
| **I** | **Assistance for land and other loss/ भूमि एवं अन्य क्षति हेतु सहाय्य** | |
| | a). De-silting of agricultural land (where thickness of sand/ silt deposit is more than 3", to be certified by the competent authority of the State Government.) | **Rs. 12,200/-** per hectare for each item.<br><br>(Subject to the condition that no other assistance/ subsidy has been availed of by/ is eligible to the beneficiary under any other Government Scheme) |
| | b) Removal of debris on agricultural land in hilly areas | |
| | c) De-silting/ Restoration/ Repair of fish farms | |
| | (क) कृषि योग्य भूमि का डिसिल्टिंग (जहॉ बालू/सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित हो) | ₹ 12,200.00 प्रति हेक्टर प्रत्येक मद के लिए<br><br>(बशर्ते कि किसी सरकार के किसी अन्य योजना द्वारा सहायता पाने योग्य न हों या सहायता / सब्सिडी न प्राप्त कर लिया हो) |
| | (ख) पहाड़ी क्षेत्रों के कृषि योग्य भूमि से डेवरिस (मलवा) हटाने के लिए | |
| | (ग) मछली फार्मों का डिसिल्टिंग/ पुनर्स्थापना/ मरम्मति | |
| | d) Loss of substantial portion of land caused by landslide, avalanche, change of course of rivers. | **Rs. 37,500/-** per hectare to only those small and marginal farmers whose ownership of the land is legitimate as per the revenue records. |
| | (घ) भूस्खलन/बर्फ का पहाड़ से खिसकना, नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण भूमि के बड़े हिस्से की क्षति। | ₹ 37,500.00 प्रति हेक्टर<br><br>सहायता उन्हीं लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रदान किया जाएगा, जो राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रभावित भूमि के वैध मालिक हैं। |
| **B** | **Input subsidy (where crop loss is 33% and above)/ इनपुट सब्सिडी (जहॉ फसल क्षति 33%) या उससे अधिक हुआ हो।)** | |
| | a) For agriculture crops, horticulture crops and annual plantation crops | **Rs. 6,800/-** per ha. in rainfed areas and restricted to sown areas **.**<br>**Rs. 13,500/-** per ha. in assured irrigated areas, subject to minimum assistance not less than Rs.1000 and restricted to sown areas. |
| | (क) कृषि फसल/ रोपने वाले फसल (Horticulture crops) एवं वार्षिक वृक्षारोपण वाले फसल आदि के लिए | ₹ 6,800/– प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। बुआई वाले क्षेत्र तक सीमित।<br>₹ 13,500/– प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए साहाय्य राशि 1000/–रू0 से कम नहीं दी जाएगी । |

| | | |
|---|---|---|
| | b) Perennial crops | **Rs. 18,000/-** ha. for all types of perennial crops subject to areas being sown and subject to minimum assistance not less than Rs 2000/- and restricted to sown areas |
| | (ख) शाश्वत फसल (Perennial crops) के लिए | ₹ 18,000 / – प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत ) फसल के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए साहाय्य राशि 2000 / –रू0 से कम नहीं दी जाएगी । बुआई वाले क्षेत्र तक सीमित। |
| | c) Sericulture | **Rs. 4,800/-** per ha. for Eri, Mulberry, Tussar<br>**Rs. 6,000/-** per ha. for Muga. |
| | (ग) सेरीकल्चर (रेशम) के लिए | ₹ 4,800 / – प्रति हेक्टेयर ''इरी'' ''मलवेरी'' एवं ''तसर'' के लिए<br>₹ 6,000 / – प्रति हेक्टेयर मूंगा के लिए |
| **(ii)** | **Input subsidy to farmers having more than 2 ha of landholding .** | **Rs.6,800/-** per hectare in rainfed areas and restricted to sown areas .<br>**Rs.13,500/-** per hectare for areas under assured irrigation and restricted to sown areas<br><br>**Rs. 18000/-** per hectare for all types of perennial crops and restricted to sown areas<br><br>- Assistance may be provided where crop loss is 33% and above, subject to a ceiling of 2 ha. per farmer . |
| **(ii)** | कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि उपलब्ध हो। | ₹ 6,800 / – प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए।<br><br>₹ 13,500 / – प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए।<br><br>₹ 18,000 / – प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए।<br>33 % एवं अधिक फसल क्षति होने पर 2 हेक्टेयर प्रति कृषक। |
| 6 | **ANIMAL HUSBANDRY - ASSISTANCE TO SMALL AND MARGINAL FARMERS/ पशुपालन – लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहायता** | |
| | i) Replacement of milch animals, draught animals or animals used for haulage. | ***Milch animals -***<br>**Rs.30,000/-** Buffalo/ cow/ camel/ yak/Mithun etc.<br>**Rs.3,000/-** Sheep/ Goat/Pig |

| | | |
|---|---|---|
| | | ***Draught animals -***<br>**Rs.25000/-** Camel/ horse/ bullock, etc.<br>**Rs.16,000/-** Calf/ Donkey/ Pony/ Mule<br><br>- The assistance may be restricted for the actual loss of<br>economically productive animals and will be subject to a ceiling of 3 large milch animal or 30 small milch animals or 3 large draught animal or 6 small draught animals per household irrespective of whether a household has lost a larger number of animals. (The loss is to be certified by the Competent Authority designated by the State Government).<br><br>***Poultry:-***<br>Poultry **@ 50/- per bird** subject to a ceiling of assistance of **Rs 5000/-** per beneficiary household. The death of the poultry birds should be on account of a natural calamity.<br><br>*Note:* - Relief under these norms is not eligible if the assistance is available from any other Government Scheme, e.g. loss of birds due to Avian Influenza or any other diseases for which the Department of Animal Husbandry has a separate scheme for compensating the poultry owners. |
| | i) अदुग्धकारी / दुग्धकारी या ढुलाई के कार्यों में उपयोग में आने वाले पशुओं का प्रतिस्थापन। | **दूध देने वाला जानवर**<br>भैंस / गाय / ऊँट / याक / मिथुन इत्यादि<br>₹ 30,000/- की दर से<br>भेंड़ / बकरी ₹ 3,000/- की दर से<br><br>**अदुग्धकारी जानवर**<br>ऊँट / घोड़ा / बैल इत्यादि ₹ 25,000 की दर से<br>बछड़ा / गदहा और टट्टू ₹ 16,000 की दर से<br><br>सहाय्य आर्थिक रूप से उत्पादक जानवरों की वास्तविक क्षति के अनुसार सीमित होगी और यह 3 बड़े अदुग्धकारी जानवर या 30 छोटे अदुग्धकारी जानवर या 3 बड़े अदुग्धकारी जानवर या 6 छोटे अदुग्धकारी जानवर प्रति परिवार तक सीलिंग के अंतर्गत होगी। चाहे जानवरों की क्षति की संख्या बड़ी क्यों न हो (क्षति राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी)<br>**पॉल्ट्री**<br>₹ 50/– प्रति चिड़ियॉ की दर से यह सहायता प्रत्येक लाभुक परिवारों को 5000/– रू0 की अधिकतम सीमा |

| | | |
|---|---|---|
| | | के अंतर्गत। पॉल्ट्री चिड़ियॉ की मृत्यु प्राकृतिक आपदा के कारण होने पर अनुदान देय होगा।<br><br>**टिप्पणीः**— इन मानदरों के अंतर्गत सहाय्य अनुमान्य नहीं होगा यदि किसी अन्य सरकारी योजना यथा चिड़ियों की क्षति पक्षी इन्फ्लुएंजा के कारण या किसी अन्य बीमारियों के कारण हुई हो जिसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा पॉल्ट्री मालिको को क्षति पूर्ति करने हेतु कोई अलग योजना हो। |
| | ii) Provision of fodder / feed concentrate water Supply and medicines in cattle camps. | Large animals- **Rs. 70/-** per day<br><br>Small animals- **Rs. 35/-** per day,<br><br>Period for providing relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period for assistance will be upto 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance and in case of severe drought up to 90 days. Depending on the ground situation, the State Executive Committee can extend the time period beyond the prescribed limit, subject to the stipulation that expenditure on this account should not exceed 25% of SDRF allocation for the year.<br>Based on assessment of need by SEC and recommendation of The Central Team, (in case of NDRF) consistent wih estimates of cattle as per Livestock Census and subject to the certificate by the competent authority about the requirement of medicine and vaccine being calamity related. |
| | ii) पशु शिविरों में पशुचारा/feed concentrate सहित जलापूर्ति एवं औषधि हेतु। | बड़ा पशु ₹ 70/— प्रतिदिन की दर से ।<br>छोटा पशु ₹ 35/— प्रतिदिन की दर से ।<br><br>साहाय्य प्रदान करने हेतु समय सीमा राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा एवं केन्द्रीय दल द्वारा (एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु) आंकलन किया जाएगा। सहायता के लिए सामान्य अवधि 30 दिनों की होगी जिससे पहली बार में 60 दिनों तक एवं गंभीर सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक विस्तारित किया जा सकता है। जमीनी स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारिणी समिति समय सीमा का अवधि विस्तार कर सकती है। कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।<br>राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा जरूरत के आकलन एवं केन्द्रीय दल की सिफारिश (एन0डी0आर0एफ0 के मामले |

| | | |
|---|---|---|
| | | में) पशुधन कीं गणना के अनुसार एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र के अनुसार आवश्यक दवा एवं टीकाकरण संबंधित आपदा के अनुरूप दिया जायेगा। |
| | iii) Transport of fodder to cattle outside cattle camps | As per actual cost of transport, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF) consistent with estimates of cattle as per Livestock Census. |
| | iii) पशु शिविर के बाहर पशुचारे का परिवहन | वास्तविक परिवहन लागत के अनुरूप, राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा अनुशंसा किया जाएगा । यह अनुदान पशु गणना के आकलन पर आधरित होगा। |
| **7** | **FISHERY/ मत्स्य पालन** | |
| | i) Assistance to Fisherman for repair / replacement of boats, nets – damaged or lost<br>-- Boat<br>-- Dugout-Canoe<br>-- Catamaran<br>-- net<br>(This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme.) | **Rs. 4,100/-** for repair of partially damaged boats only<br><br>**Rs.2,100/-** for repair of partially damaged net<br><br>**Rs.9,600/-** for replacement of fully damaged boats<br><br>**Rs.2,600/-** for replacement of fully damaged net |
| | (i) मछुआरों के लिए नाव, जाल, आदि का मरम्मती / पुर्नस्थापन– क्षतिग्रस्त या खो जाने पर –<br>• नाव<br>• डोगी<br>• कटमरैन<br>• जाल<br>(यदि लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत अच्छादित है तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जायेगा।) | ₹ 4,100/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नाव के लिए<br><br>₹ 2,100/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल के लिए<br><br>₹ 9,600/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त नाव के प्रतिस्थापन के लिए<br><br>₹ 2,600/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के प्रतिस्थापन के लिए |

| | | |
|---|---|---|
| | ii) Input subsidy for fish seed farm | **Rs. 8,200** per hectare.<br>(This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme, except the one time subsidy provided under the Scheme of Department of Animal; Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture.) |
| | (ii) मछली जीरा फार्म के लिये इनपुट सब्सिडी | ₹ 8,200/- प्रति हेक्टर<br>(यदि लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत अनुदान/सहायता प्राप्त कर लिए है तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जायेगा। अपवाद –यदि किसी ने एक बार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय के योजना के तहत एक बार अनुदान प्राप्त किया है।) |
| **8** | **HANDICRAFTS/HANDLOOM – ASSISTANCE TO ARTISANS/** हस्तशिल्प/ हस्तकरघा– कारीगरों के लिए सहायता | |
| | i) For replacement of damaged tools/ equipment | **Rs. 4,100** per artisan for equipments.<br>- Subject to certification by the competent authority designated by the Government about damage and its replacement. |
| | (i) क्षतिग्रस्त उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए | ₹ 4,100/– प्रति शिल्पी<br><br>बशर्त्ते यह क्षति/ प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित हो। |
| | ii) For loss of raw material/ goods in process/<br>finished goods | **Rs. 4,100** per artisan for raw material.<br>- Subject to certification by Competent Authority designated by the State Government about loss and its replacement. |
| | (ii) कच्चे माल/ प्रकियाधीन माल/ तैयार माल के क्षति के लिए | ₹ 4,100/– प्रति शिल्पी कच्चे माल के लिए<br><br>बशर्त्ते यह क्षति/ प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित हो। |
| **9** | **HOUSING/ अवास/मकान** | |
| | a) **Fully damaged/ destroyed houses** | |
| | i) Pucca house<br>ii) Kutcha House | **Rs. 95,100/-** per house, in plain areas.<br>**Rs. 95,100/- प्रति मकान, मैदानी क्षेत्रों के लिए** |
| | **(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान** | **Rs.1,01,900/-** per house, in hilly areas |

| | | |
|---|---|---|
| | (i) पक्का मकान<br>(ii) कच्चा मकान | including Integrated Action Plan (IAP) districts.<br>**Rs.1,01,900/- प्रति मकान, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, आई०ए०पी० जिलो सहित** |
| | b) **Severely damaged houses** | |
| | i) Pucca House<br>ii) Kutcha House | |
| | **(ख) अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान** | |
| | (i) पक्का मकान<br>(ii) कच्चा मकान | |
| | (c) **Partially Damaged Houses –** | |
| | (i) Pucca (other than huts) where the damage is a at least 15% | **Rs. 5,200/-** per house |
| | (ii) Kutcha (other than huts) where the damage is a at least 15% | **Rs. 3,200/-** per house |
| | **(ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान ।** | |
| | **(i)** पक्का (झोपड़ी को छोड़कर) जहॉ मकान की क्षति न्यूनतम 15% हो | ₹ 5,200/– प्रति मकान |
| | (ii) कच्चा (झोपड़ी को छोड़कर) जहॉ मकान की क्षति न्यूनतम 15% हो | ₹ 3,200/– प्रति मकान |
| | d) **Damaged / destroyed huts:** | **Rs. 4,100/-** per hut,<br>*(Hut means temporary, make shift unit, inferior to Kutcha house, made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by the State/ District authorities.)*<br><br>*Note*: -The damaged house should be an authorized construction duly certified by the Competent Authority of the State Government |
| | **(घ) क्षतिग्रस्त /बर्बाद झोपड़ी** | ₹ 4,100/– प्रति झोपड़ी<br><br>(झोपड़ी का मतलब– अस्थायी, बनाकर हटाने वाला ईकाई, कच्चा मकान का आंतरिक भाग, फूस, गीली मिट्टी, प्लास्टिक शीट्स से बना राज्य/ जिला के अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से दिखने, पहचानने और जानने योग्य झोपड़ी है)<br><br>टिप्पणीः क्षतिग्रस्त मकान राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से प्रमाणित एक प्राधिकृत संरचना होनी चाहिए। |
| | e) Cattle shed attached with house | **Rs.2,100/-** per shed. |
| | **(ड़) घर के साथ संलग्न पशु शेड** | ₹ 2,100/– प्रति पशु शेड |

| 10 | INFRASTRUCTURE/ अधारभूत संरचना | |
|---|---|---|
| | Repair/restoration (of immediate nature) of damaged infrastructure:<br><br>(1) Roads & bridges (2)Drinking Water Supply Works, (3) Irrigation, (4) Power (only limited to immediate restoration of electricity supply in the affected areas), (5) Schools, (6) Primary Health Centres, (7) Community *assets owned by Panchayat.*<br><br>Sectors such as Telecommunication and Power (except immediate restoration of power supply), which generate their own revenues, and also undertake immediate repair/ restoration works from their own funds/ resources, are excluded. | **Activities of immediate nature :**<br>Illustrative lists of activities which may be considered as works of an immediate nature are given in the enclosed **Appendix.**<br><br>***Assessment of requirements :***<br><br>Based on assessment of need, as per States' costs/ rates/ schedules for repair, by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF).<br><br>- As regards repair of roads, due consideration shall be given to Norms for Maintenance of Roads in India, 2001, as amended from time to time, for repairs of roads affected by heavy rains/floods, cyclone, landslide, sand dunes, etc. to restore traffic. For reference these norms are<br><br>• Normal and Urban areas: upto 15% of the total of Ordinary Repair (OR) and Periodical Repair (PR)<br>.<br>• Hills: upto 20% of total of OR and PR.<br>• In case of repair of roads, assistance will be given based on the notified Ordinary Repair (OR) and Periodical Renewal (PR) of the State. In case OR & PR rate is not available, then assistance will be provided @ Rs 1 lakh/km for state Highway and Major District Road and @Rs. 0.60 lakh/km for rural road. The condition of "State shall first use its provision under the budget for regular maintenance and repair" will no longer be required, in view of the difficulties in monitoring such stipulation, though it is a desirable goal for all the States.<br>• In case of repairs of Bridges and Irrigation works, assistance will be given as per the schedule of rates notified by the concerned States. Assistance for micro irrigation scheme will be provided @ Rs. 1.5 lakh pe damaged scheme. Assistance for restoration of damaged medium and large irrigation projects will also be given for the embankment portions, on par with the case |

| | | |
|---|---|---|
| | | of similar rural roads, subject to the stipulation that no duplication would be done with any ongoing schemes.<br>• Regarding repairs of damaged drinking water schemes, the eligible for assistance @ Rs 1.5 lakh/damaged structure.<br>• Regarding repair of damaged primary and secondary schools, primary health centres, Anganwadi and community assets owned by the Panchayats, assistance will be given @ Rs 2 lakh/damaged structure.<br>• Regarding repair of damaged power sector, assistance will be given to damaged conductors, polets and trasfrormers upto the level of 11 kV. The rate of assistance will be @ Rs. 4000/poles, Rs 0.50 lakh per km of damaged conductor and Rs. 1.00 lakh per damaged distribution transformer. |
| | अधारभूत संरचनाओं का मरम्मति / पुनर्स्थापन (तत्काल प्रकृति के)<br>(1) सड़क और पुल (2) पेय जलापूर्ति कार्य (3) सिंचाई, (4) उर्जा (प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल विद्युत आपूर्ति पुनर्स्थापित करने तक ही सीमित), (5) विद्यालय, (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (7) पंचायत की सामुदायिक परिसम्पतियाँ।<br>Telecommunication और उर्जा जैसे Sectors (तत्काल विद्युत आपूर्ति के पुनःस्थापन को छोड़कर) जो अपना राजस्व अर्जत करते हैं और तत्काल मरम्मति पुनः स्थापन कार्य अपनी निधि / स्रोत से करते हैं वे सहायता पाने से वर्जित (excluded) है। | **तत्कालिक प्रकार के क्रियाकलाप :**<br><br>तत्कालिक प्रकृति के कार्यो (Work of an immediate nature) की सूची संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है।<br><br>**आवश्यकताओं का आंकलन :**<br><br>आवश्यकताओं के आकलन पर राज्यों की लागत / दर के आधर पर मरम्मति हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा सिफारिश किया जायेगा एवं एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जायेगा।<br>➢ सड़कों की मरम्मति के संबंध मे भारत में सड़क मरम्मति नॉर्मस 2001 में निर्धारित रख–रखाव के मानदंड के अनुरूप भारी बारिस / बाढ़ / चक्रवात / भूस्खलन / रेत टिला आदि के दौरान यातायात बहाल करने के लिए निम्न मानदंडों का पालन किया जायः<br>• सामान्य एवं शहरी क्षेत्र : कुल सामान्य मरम्मति (Ordinary Repair) एवं चक्रिय मरम्मति (Periodic Repair) का अधिकतम 15 प्रतिशत<br>• पहाड़ी क्षेत्र– कुल सामान्य मरम्मति (Ordinary Repair) एवं चक्रिय मरम्मति (Periodic Repair) का अधिकतम 20 प्रतिशत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • सड़कों की मरम्मति के मामले में सहायता अधिसूचित साधारण मरम्मत (OR) राज्य के आवधिक नवीकरण (PR) के आधार पर दिया जाएगा। यदि OR एवं PR दर उपलब्ध नहीं है तब सहायता राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला रोड के लिए रू0 1.00 लाख/कि0मी0 एवं ग्रामीण सड़कों के लिए रू0 0.60 लाख/कि0मी0 की दर से दिया जाएगा। राज्य पहले अपने बजट प्रावधान में नियमित रख–रखाव एवं मरम्मति के लिए उपबंधित राशि का उपयोग करेगा। तत्पश्चात राशि का मांग किया जा सकेगा।<br>• पुल एवं सिंचाई के कार्यों में मरम्मति के मामले में सहायता संबंधित राज्यों द्वारा अधिसूचित दर अनुसूची के अनुसार दिया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए सहायता रू0 1.50 लाख प्रति परियोजना दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त मध्यम एवं बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की बहाली के लिए भी सहायता तटबंध भाग के लिए दिया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण सड़कों के मामलों में भी सहायता दिया जाएगा, परन्तु किसी परियोजना के मामलों में दोहराव नहीं किया जाएगा।<br>• .क्षतिग्रस्त पेयजल की योजनाओं के मामले में मरम्मत हेतु सहायता रू0 1.50 लाख प्रति क्षतिग्रस्त संरचना अनुमान्य होगा।<br>• क्षतिग्रस्त प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायतों के स्वामित्व वाले आंगनबाड़ी और समुदाय की सम्पति की मरम्मति हेतु सहायता रू0 2.00 लाख प्रति क्षतिग्रस्त संरचना दिया जाएगा।<br>• क्षतिग्रस्त विद्युत क्षेत्र के मामले में मरम्मत हेतु सहायता 11 KV के ट्रांसफॉर्मर, क्षतिग्रस्त कन्डक्टर, एवं पोल के लिए दिया जाएगा। सहायता की दर रू0 4,000 प्रति पोल, क्षतिग्रस्त कन्डक्टर के लिए रू0 0.50 लाख प्रति कि0मी0 तथा क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफॉर्मर के लिए रू0 1.00 लाख प्रति ट्रांसफॉर्मर देय होगा। |
| 11. | **PROCUREMENT/ खरीद** | SDRF. | |

| | | |
|---|---|---|
| | आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक खोज, बचाव, निष्कासन के उपकरण एवं संचार उपकरणों सहित का क्रय | ➢ राज्य स्तरीय कार्यकारणी समिति के आंकलन के अनुसार सिर्फ एस0डी0आर0एफ0 से ही (एन0डी0आर 0एफ0 से नहीं) खर्च का वहन किया जाएगा।<br>➢ कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
| 12 | **Capacity Building / क्षमता निर्माण** | Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC)<br>- The total expenditure on this item should not exceed 5% of the annual allocation of the SDRF. |
| | | ➢ राज्य स्तरीय कार्यकारणी समिति के आंकलन के अनुसार सिर्फ एस0डी0आर0एफ0 से ही (एन0डी0आर 0एफ0 से नहीं) खर्च का वहन किया जाएगा।<br>➢ कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। |

Note: (i) The State Governments are to take utmost care and ensure that all individual beneficiary-oriented assisace is necessary/ mandatory disbursed through the bank account (viz; Jan Dhan Yojana etc.) of the beneficiary.

3. पूर्व की भांति वर्त्तमान में केन्द्रीय मानदर के क्रमांक 1 (ड़) के आलोक में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के बीच मुफ्त खाद्यान्न के रूप में 1 क्वींटल खाद्यान्न (50 किलोग्राम गेहूँ एवं 50 किलोग्राम चावल) के अतिरिक्त 3000/– (तीन हजार) रूपये नगद अनुदान मद में दिया जाएगा।

4. भारत सरकार के पत्र सं0–32–7/2014 एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 द्वारा निर्धारित मानदर विभागीय अधिसूचना संख्या 1418 दिनांक 17.04.2015 द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्रकृति की आपदाओं (Local Disaster) यथा– वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies), नदियों/तालाबो/ गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना के घटित होने की दशा में भी उपरोक्त मानदर जो 2015 से एस0डी0आर0एफ0/ एन0डी0आर0एफ0 से उसी के अनुरूप व्यय किया जायेगा।

5. पूर्व में निर्गत मानदर सबंधी सभी आदेश निरस्त समझा जाय।

6. यदि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा किसी मद का मानदर भारत सरकार के मानदर से अधिक निर्धारित किया जाता है अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई मद स्वीकृत किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदो की सूची में नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मानदर/मद ही प्रभावित होंगे।

26/5
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

अनुलग्नक–(24)आपदा प्रभावितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल आदि के लिए निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड :

पत्रांक ......1202...... /आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

**व्यास जी,**
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिलापदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 17/8/16

**विषय–** **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के द्वारा सभी प्रकार की आपदाओं के दौरान स्थापित किये जाने वाले राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों के लिए शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता के संबंध में राहत उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित न्यूनतम मापदण्डों के अनुरूप कार्रवाई करने एवं आपदा के दौरान विधवा और अनाथ हो गए लोगों की विशेष व्यवस्था करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के दौरान स्थापित किये जाने वाले राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों के लिए शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता से संबंधित राहत उपलब्ध कराने हेतु न्यूनतम मापदण्ड एवं आपदाओं के दौरान विधवा एवं अनाथ हो गए लोगों के लिए की जाने वाली विशेष व्यवस्था करने हेतु मार्गदर्शिका तैयार की गई है। अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत राज्य सरकारों को भी राज्य में आपदा पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, यह भी निदेशित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राहत के मानदर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदरों से कम नहीं होने चाहिए। NDMA द्वारा उपर्युक्त मार्गदर्शिका पत्रांक NDMA/R&R/621/(FTS:7315)/2015 दिनांक– 25.02.2016 के द्वारा प्राप्त हुई है।

2. अवगत हैं कि पूर्व में विभागीय पत्रांक 2493 दिनांक 05.09.2008 (प्रति संलग्न) द्वारा राहत केन्द्रों में की जाने वाली व्यवस्था संबंधी परिपत्र कोसी आपदा प्रभावित जिलों को प्रेषित किया गया था। विभाग द्वारा निर्गत 'बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रकिया' में इस परिपत्र को शामिल करते हुए तद्नुसार ही सभी 28 बाढ़ प्रवण जिलों में आवश्यकतानुसार राहत केन्द्रों के संचालन का निदेश पूर्व में दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन योजना में भी राहत केन्द्रों के संचालन एवं प्रबंधन का समावेश किया गया है।

3. अवगत हों कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदण्डों की मार्गदर्शिका की प्रति को माननीय उच्चतम न्यायालय में दिनांक 26.02.2016 को रिट याचिका 444/2013 की सुनवाई के दौरान दायर किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद की सुनवाई के पश्चात् दिनांक 26.02.2016 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निदेशित किया गया है कि NDMA के द्वारा निर्धारित उपर्युक्त विषयों से संबंधित न्यूनतम मापदण्डों के अनुरूप कार्यवाही की जाए।

4. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में उपर्युक्त विषयों से संबंधित राहत के न्यूनतम मापदण्डों को संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अनुरोध है कि किसी भी आपदा के दौरान स्थापित किये जाने वाले राहत शिविरों में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही विभागीय पत्रांक 2493 दिनांक 05.09.2008 के अनुसार जिन मामलों में मापदण्ड इन न्यूनतम मापदण्डों से अधिक होंगे, वही लागू माना जाएगा, परन्तु विभागीय निदेशों में वस्त्र का मानदर अद्यतन मानदर के अनुरूप होगा।

**अनु0— 1. NDMA द्वारा निर्धारित राहत के न्यूनतम मापदण्डों की प्रति।**
**(अंग्रेजी एवं हिन्दी में)**
**2. विभागीय पत्रांक 2493, दिनांक 05.09.2008 की प्रति।**

विश्वासभाजन
ह0/-
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1202/आ0प्र0 पटना—15, दिनांक— 17/3/16
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव / सचिव, गृह विभाग / कल्याण विभाग / स्वास्थ्य विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / भवन निर्माण विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1202/आ0प्र0 पटना—15, दिनांक— 17/3/16
प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1202/आ0प्र0 पटना—15, दिनांक— 17/3/16
प्रतिलिपिः मुख्य सचिव / विकास आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1202/आ0प्र0 पटना—15, दिनांक— 17/3/16
प्रतिलिपिः सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1202/आ0प्र0 पटना—15, दिनांक— 17/3/16
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
प्रधान सचिव

# बिहार सरकार
# आपदा प्रबंधन विभाग

## राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राहत के <u>न्यूनतम मापदण्ड</u>

### <u>1. राहत और पुनर्वास शिविर की परिभाषा</u>

आपदा से प्रभावित लोगों को अस्थायी रूप से आवासित करने हेतु राहत एवं पुनर्वास शिविरों की स्थापना की जाएगी। राहत और पुनर्वास शिविर सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ अस्थायी प्रकृति के होंगे। इन शिविरों में रहने वाले लोगों को, सामान्य स्थिति उत्पन्न होने पर, पुनः स्थायी आवासों में जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। चूँकि आपदाओं के प्रथम दिन से एन0डी0एम0ए0 द्वारा निर्धारित मूल दिशा–निर्देशों का अनुपालन कभी–कभी संभव नहीं हो सकेगा, अतः वैसी परिस्थिति में निम्नांकित प्रक्रिया का अनुपालन होगा :–

1. **<u>प्रथम 3 दिन</u>** – एन0डी0एम0ए0 द्वारा निर्धारित आधारभूत मानदंडों का यथा संभव अनुपालन।

2. **<u>4 से 10वें दिन तक</u>** – एन0डी0एम0ए0 द्वारा निर्धारित अधिकांश आधारभूत मानदंडों का अनुपालन करने का प्रयास किया जाएगा।

3. **<u>11वें दिन और उसके पश्चात्</u>** – एन0डी0एम0ए0 द्वारा निर्धारित आधाभूत मानदंडों का अनुपालन

राहत उपलब्ध कराने के क्रम में देश, मौसम एवं परिस्थिति के कारण राहत की आवश्यकता एवं उसे उपलब्ध कराने में प्रशासन एवं अन्य दावेदारों की क्षमता प्रभावित होगी, अतः न्यूनतम मानदण्डों के अनुरूप राहत उपलब्ध कराने में इन सीमाओं/प्रभावों का भी ख्याल रखना चाहिए।

### <u>2. राहत शिविरों में शरण स्थल के संबंध में न्यूनतम मानदंड</u>

a) किसी क्षेत्र में आपदा आने के समय लोगों को आवासित करने हेतु, राज्य/जिला प्रशासन द्वारा स्थलों/ भवनों यथा स्थानीय विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र, समुदायिक केन्द्र, विवाह भवन आदि की पूर्व पहचान के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। ऐसे चिन्हित स्थल, उस क्षेत्र विशेष में, आपदा आने के समय राहत शिविरों के रूप में प्रयुक्त होंगे, जहाँ लोगों को आवासित किया जाएगा। ऐसे केन्द्रों पर आवश्यक सुविधाएँ यथा

पर्याप्त शौचालय, जलापूर्ति, आपदा के समय ऊर्जा की पूर्ति हेतु ईंधन के साथ जेनरेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाएगी।

b) आपदा आने के पश्चात आपदा पीड़ितों को आवासित करने हेतु बड़े ढँके हुए क्षेत्र की आवश्यकता होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार के Last minute arrangement and high cost से बचने के लिए पूर्व से ही निर्माताओं एवं आपूर्तिकर्त्ताओं से फैक्ट्री निर्मित प्री–फैब्रिकेटेड शेल्टर/ टेंट/ टायलेट/ मोवाईल टायलेट एवं शौचालय आदि की आपूर्ति हेतु अग्रिम समझौता किया जाएगा। ऐसे प्री–फैब्रिकेटेड शेल्टर/ टेंट/ टायलेट/ मोवाईल टायलेट एवं शौचालय आदि को आपदा समाप्त होने पर संकलित कर आपूर्तिकर्त्ता द्वारा वापस लिया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था से राहत शिविरों एवं आवश्यक आपूर्तियों की स्थापना में होने वाले विलंब एवं उच्च राशि के व्यय से बचा जा सकेगा।

c) आपदा पीड़ितों के लिए राहत केन्द्रों पर प्रति व्यक्ति 3.5 वर्ग मी0 आवश्यक ढँका हुए प्रकाशित क्षेत्र की व्यवस्था की जायेगी। शिविरों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा एवं निजता हेतु विशेष ध्यान दिया जायेगा, विशेषकर महिला, विधवा एवं बच्चों के लिए विकलांग, वृद्ध एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए।

d) राहत शिविर अस्थायी प्रवृति के होगें एवं क्षेत्र में सामान्य स्थिति होते ही इन्हें बंद कर दिया जायेगा।

e) मेट्रो/शहर एवं नगरों की योजना एवं विकास के लिए पूर्व में ही राहत केन्द्रों की स्थापना के लिए, जनसंख्या के घनत्व के अनुरूप, पर्याप्त स्थलों को चिन्हित कर लिया जायेगा।

## 3. राहत शिविरों में भोजन की आपूर्त्ति के संबंध में न्यूनतम मानदण्ड

a) बच्चों एवं धातृ माताओं को दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद उपलब्ध कराये जायेगें। परिस्थितियों के अनुरूप आपदा पीड़ितों को, विशेषकर शिविरों में निवास करने वाले वृद्ध एवं बच्चों को, पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्रयास किये जायेगें।

b) राहत शिविरों में बनाये गये रसोईघर/समुदायिक रसोईघर की स्वच्छता हेतु पर्याप्त कदम उठाये जायेगें। वितरण के पूर्व डिब्बा बंद खाद्य पदार्थो के निर्माण की तिथि एवं एक्सपाईरी तिथि का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

c) पुरूष/महिलाओं एवं बच्चों/नवजात को आपूरित किये गये भोजन पदार्थो में न्यूनतम किलो कैलोरी क्रमशः 2400 एवं 1700 किलो कैलोरी सुनिश्चित किया जायेगा।

## 4. राहत शिविरों में जल की आपूर्त्ति के संबंध में न्यूनतम मानदण्ड

a) राहत शिविरों में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं हाथ धोने के लिए पर्याप्त जल की आपूर्त्ति की जायेगी।

b) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3 लीटर पेयजल को राहत शिविरों में उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य एवं जिला प्रशासन पानी की न्यूनतम मात्रा के संबंध में क्षेत्र विशेष के भूगोल, जनसंख्या एवं सामाजिक क्रियाकलापों के आलोक में निर्णय ले सकेगें। यदि स्वच्छ पेयजल आपूर्त्ति सम्भव नहीं हो, तो दुगनी मात्रा में Double Chlorinated जल उपलब्ध कराया जायेगा।

c) पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्त्ति सुनिश्चित कराने के लिए जल के स्त्रोत को राहत शिविरों के परिसर में ही स्थापित करना होगा। फिर भी, Tapped Water उपलब्ध होने पर, राहत शिविरों से पेयजल स्त्रोतों की अधिकतम दूरी 500 मीटर तक हो सकेगी।

## 5. राहत शिविरों में स्वच्छता के संबंध में न्यूनतम मानदण्ड

a) **शौचालय की संख्या** – 30 व्यक्ति पर 1 शौचालय की व्यवस्था/निर्माण किया जाएगा। महिलाओं एवं बच्चों के लिए अलग–अलग शौचालय स्नानागार की व्यवस्था होगी। नहाने एवं शौच हेतु प्रति व्यक्ति 15 लीटर पानी की व्यवस्था की जायेगी। शौचालय में हाथ धोने की सुविधा सुनिश्चित कराई जायेगी। बीमारियों के फैलने को रोकने हेतु कदम उठाये जायेगें। महिलाओं को **Diginity kits एवं Sanitary napkins and disposable paper bags with proper labeling** उपलब्ध कराये जायेगें।

b) राहत शिविरों से शौचालय की दूरी 50 मीटर से अधिक नहीं होगी। भूगर्भीय जलस्त्रोत से Pit Latrines and Soak ways की न्यूनतम दूरी 30 मीटर एवं वाटर लेवल से किसी लैट्रिन का आधार कम से कम 1.5 मीटर उपर होगा।

c) गंदगी प्रवाहित करने वाली नालियां जलस्त्रोत एवं सतही भूगर्भीय जल स्त्रोतों से दूर होगें।

## 6. राहत शिविरों में चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में न्यूनतम मानदंड

a) राहत शिविरों में प्रभावित लोगों को मोवाईल मेडिकल टीम द्वारा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएंगे। फैलने वाले बीमारियों को रोकने हेतु के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

b) अगर राहत शिविर लंबे समय के लिए चलाये जाते हैं तो सामाजिक–मनोवैज्ञानिक उपचार की व्यवस्था की जाएगी।

c) हेल्पलाईन की व्यवस्था की जाएगी तथा कॉन्टैक्ट नम्बर तथा अन्य जानकारियाँ कैम्पों में तथा बाहर के लोगों को प्रदर्शित/उपलब्ध करायी जाएगी।

d) गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा आधारभूत व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी।

e) सरकारी तथा प्राईवेट अस्पतालों में अग्रिम व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि अल्प सूचना पर राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों की देखभाल हेतु आवश्यक डॉक्टर तथा पारामेडिकल कर्मियों की उपलब्धता हो सके। जिन व्यक्तियों को चिकित्सा/ऑपरेशन हेतु रेफर किया गया है, उनके लिए उचित परिवहन की व्यवस्था की जाएगी।

f) आपदा के समय mass casualty के प्रबंधन के लिए Advance Contingency Plan का निर्माण किया जायेगा।

## 7. विधवा और अनाथों के संबंध में न्यूनतम मानदंड

a) प्रत्येक आपदा राहत शिविर में आपदाओं के दौरान विधवा हो गई महिलाओं एवं अनाथ हो गए बच्चों के सम्पूर्ण विवरण को दर्ज करते हुए अलग–अलग पंजियाँ संधारित की जाएँगी। इन पंजिओं में दर्ज सम्पूर्ण विवरण को शिविर प्रभारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा साथ ही, इन्हें जिला प्रशासन के स्थायी दस्तावेज (रिकार्ड) के रूप में संघारित किया जाएगा।

b) शिविरों में आपदाओं के दौरान विधवा हो गई महिलाओं और अनाथ हो गए बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा ऐसी महिलाओं को 15 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें यह दर्ज रहेगा कि ''आपदा के दौरान इन्होंने अपने पति को खो दिया है।''

c) ऐसी विधवा महिलाएँ /परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं; इसलिए जिला प्रशासन द्वारा इन्हें अपने पति के दाह–संस्कार के लिए उचित राशि उपलब्ध करायी जाएगी और इस राशि की कटौती उस

विधवा/परिवार को दिए जाने वाले अनुग्रह अनुदान/राहत राशि में से कर लिया जाएगा।

d) आपदाओं के दौरान विधवा हो गई महिलाओं और अनाथ हुए बच्चों को सम्पूर्ण अनुग्रह की राशि 45 दिनों के भीतर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अनाथ हुए बच्चों के संबंध में भी जिला प्रशासन द्वारा ऐसा ही प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसे अनाथ हुए बच्चों की पर्याप्त देखभाल की जाएगी। अनाथ हुए बच्चों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान की राशि सरकारी बैंको में संयुक्त खाते में जमा की जाएगी, जहाँ जिला समाहर्त्ता ऐसे खातों को प्रथम खाताधारी होंगे। ऐसे खातों पर प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि बच्चे को/उसके अभिभावक को बच्चे की देखभाल हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों की शिक्षा–दीक्षा की व्यवस्था जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाएगा।

अनुलग्नक–(25) राहत केन्द्र के सम्बन्ध में

पत्रांक-1प्रा0आ0-32/2008...2493.../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर0 के0 सिंह,

**प्रधान सचिव**

सेवा में,

विशेष जिला पदाधिकारी,

अररिया, मधेपुरा।

जिला पदाधिकारी,

सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया एवं पूर्णियां।

पटना-15, दिनांक-5 सितम्बर, 2008

**विषय: राहत केन्द्र के संबंध में ।**

महाशय,

बाढ़ साहाय्य राहत शिविर के संबंध में अभी भी कतिपय जिला पदाधिकारी स्पष्ट नहीं हैं। बाढ़ साहाय्य राहत शिविर के सफल संचालन हेतु निम्नांकित व्यवस्था करनी है:

1. **पंजीकरण** - कैम्प में विस्थापितों को पंजीकृत किया जाय, जिसमें उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी दर्ज रहनी चाहिए। इस कार्य हेतु आंगनबाड़ी सुपरवाइजर/सेविका/नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक/साक्षरता/सर्वशिक्षा अभियान के पदाधिकारी/शिक्षक/पंचायत रोजगार सेवक की सेवा ली जा सकती है।

2. **पका हुआ भोजन** - विस्थापितो को पका हुआ भोजन दो बार (सुबह-शाम) मुहैय्या कराया जाना है । इसके लिए सामान्य रूप से चावल की खपत होगी। आपको मुफ्त साहाय्य वितरण हेतु चावल का आवंटन किया गया है, जिसे इस कार्य हेतु उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दाल, सब्जी, तेल, ईंधन आदि की आवश्यकता होगी। यह प्रयास करें कि भोजन व्यवस्था में खाना बनाने से लेकर खाना खिलाने तक का कार्य यथासंभव स्वयं सहायता समूह (self help group) के माध्यम से कराया जाय।

भोजन तैयार करने के लिए रसोइये की जरूरत होगी। कैम्प में आए हुए विस्थापित महिलाओं/पुरुषों की सेवाएं इस कार्य हेतु में ली जा सकती है। उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभाग की निर्धारित दर पर किया जाएगा।

पका हुआ भोजन स्वच्छ एवं पौष्टिक होना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि बासी भोजन का इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं हो।

3. दरी/चटाई – विस्थापितों के विश्राम के लिए कैम्प में दरी/चटाई की व्यवस्था की जायेगी।
4. वस्त्र – सी0आर0एफ0 के अन्तर्गत विभागीय पत्र संख्या 2462 दिनांक 12.08.07 द्वारा निर्धारित मानदर के मद संख्या 1(ड) के आलोक में कपड़ा के लिए 1000रु0 प्रति परिवार वैसे परिवारों के लिए अनुमान्य है जिनका घर वह गया है/ पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है। इस राशि का वितरण कर लिया जाय। इससे प्रभावित परिवार आवश्यक वस्त्र का क्रय कर लेंगे।

5. **बच्चों के लिए दुग्ध** - पाँच वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन दो वक्त (सुबह-शाम) आवश्कतानुसार कम्फेड द्वारा दुग्ध मुहैय्या कराया जाएगा ।

6. **रोशनी** – कैम्प में रोशनी की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए । इसके लिए generator में diesel/kerosene, अथवा लालटेनों में kerosene, का व्यय अनुमान्य होगा।

7. **पेयजल, अस्थायी शौचालय, स्वच्छता** – पुरुष एवं महिला के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए । सफाई के लिए साबुन/डिटर्जेन्ट पाउडर, फेनाईल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। इस कार्य की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की जाएगी। इस हेतु प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं की सेवाएं ली जा सकती है।

8. **स्वास्थ्य एवं चिकित्सा** – कैम्प में औषधी के साथ चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहेंगे ।

9. **सुरक्षा व्यवस्था** – अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए समुचित आरक्षी बल की व्यवस्था कैम्प में की जायगी ।

10. **संचार सुविधा** -आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए कैम्प में संचार सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।

11. **मानदर** – कैम्प व्यवस्था हेतु मानदर निर्धारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था। कैम्प हेतु निम्नलिखित मानदर निर्धारित की जाती है:-

| | |
|---|---|
| 1. पका हुआ भोजन | (क) दो वक्त (सुबह-शाम) विस्थापितों को दिया जायेगा । |
| | (ख) मुफ्त वितरण हेतु जिलों को उपलब्ध कराए गए चावल का उपयोग राहत शिविर में किया जाएगा । |
| | (ग) चावल प्रति व्यस्क- 500 ग्राम, प्रति अवयस्क- 200 ग्राम, प्रति दिन की दर से दिया जाएगा । |
| | (घ) दाल 100 ग्राम, व्यस्क एवं अवयस्क को प्रतिदिन दिया जाएगा । |

| | |
|---|---|
| | (ङ0) सब्जी के लिए आलू प्रति व्यक्ति 200 ग्राम, प्रतिदिन की दर से । |
| | (च) तेल, मशाला, ईंधन आदि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 10 रू0 की दर से । |
| | (छ) रसोईयों के पारिश्रमिक का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा ।<br>(ज) दाल, तेल, सब्जी, एवं ईंधन के दर का निर्धारण स्थानीय क्रय समिति द्वारा किया जाएगा । |
| 2. रोशनी | (क) रोशनी के लिए भाड़े पर जेनरेटर की व्यवस्था । |
| | (ख) जेनरेटर के भाड़ा का निर्धारण जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा किया जाएगा । |
| | (ग) 1 माह मे 100 (एक सौ) लीटर डीजल, अनुमान्य होगा । |
| | (घ) आवश्यकतानुसार लालटेन तथा किरासन तेल का उपयोग किया जाएगा जिसका आंकलन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा । |
| 3. दरी/ चादर | इसकी व्यवस्था सरकारी संस्था/ स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य श्रोत से प्राप्त सॉमग्री से की जाएगी । अनउपलब्धता की स्थिति में जिला पदाधिकारी, नियमानुसार क्रय करने की कार्रवाई करेंगे । |
| 4. बच्चों के लिए दुग्ध | (क) पॉच वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों को दुग्ध कम्फेड द्वारा मुहैया कराया जाएगा। |
| | (ख) कम्फेड द्वारा मुहैया कराये गए मिल्क पाउडर के वास्तविक खर्च का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। |
| 5. वस्त्र | (क) विभागीय पत्रांक-2462 दिनांक-12.08.07 द्वारा निर्धारित मानदर के मद संख्या-1(ड0) के आलोक में 1000 रूपया अनुमान्य है इस राशि का वितरण वैसे परिवारों को किया जाएगा जिनका घर बह गया है/ पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है । |
| 6. पेयजल/ अस्थायी शौचालय/ स्वच्छता | इसकी व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कि जाएगी । इसके व्यय की प्रतिपूर्ति आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी । |
| 7. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा | इसकी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी व्यय की प्रतिपूर्ति आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी । |
| 8. संचार | शिविर में दूरभाष की सुविधा की व्यवस्था पर किया गया व्यय सी0 आर0 एफ0 मद से अनुमान्य होगा । |
| 9. कैम्प व्यवस्था | परिवहन तथा आकस्मिक व्यय- यथा आवश्यकता। |

उपरोक्त मानदर आदेश निर्गत की तिथि से लागू होगा।

12. **लेखा/पंजियों का संधारण** - कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा निम्न पंजियां संधारित की जाएगी।

(क) लेखा से संबंधित रोकड़बही।

(ख) सामग्रियों की आमद एवं खपत से संबधी पंजी संधारित की जाएगी। इसका नियंत्रण/सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिदिन किया जाएगा ।

(ग) विस्थापित पंजीकृत व्यक्ति को ही भोजन उपलब्ध कराया जाएगा । इसे सुनिश्चित किया जाय । भोजन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की भी एक पंजी अलग से संधारित की जाएगी जिसका सत्यापन प्रतिदिन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

(घ) कम्फेड से प्राप्त होने वाले मिल्क पाउडर के लिए स्टॉक पंजी संधारित की जाय क्योंकि कम्फेड को इसकी कीमत का भुगतान किया जाएगा । बच्चों को वितरित किये गये दुग्ध से संबंधित पंजी का भी संधारण किया जाएगा, जिसका सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी प्रतिदिन करेंगे ।

(ङ) सरकारी संस्था/स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य स्रोत से प्राप्त सामग्री का उपयोग कैम्प संचालन हेतु किया जा सकता है। इसके लेखा-जोखा के लिए अलग से कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा पंजी संधारित की जाएगी।

**कैम्प की व्यवस्था पर व्यय निम्नलिखित मदों से विकलनीय होगा:-**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | भोजन सामग्री | 2245-02-101-0002- खाद्यान्न की आपूर्त्ति |
| 2 | दरी/चटाई एवं रोशनी | 2245-02-112-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण |
| 3 | वस्त्र एवं बर्त्तन | 2245-02-101-0004-वस्त्र/ बर्त्तन |
| 4 | बच्चों के लिए दूध | 2245-02-800-0006-कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार |
| 5 | पेयजल | 2245-02-102-0001- पेयजल की आपूर्त्ति |
| 6 | अस्थायी शौचालय | 2245-02-109-0001- खराब जलापूर्त्ति मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मति/प्रत्यस्थापना |
| 7 | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा | 2245-02-282-0001-मानव दवा<br>2245-02-282-0003- पी0ओ0एल0 की आपूर्त्ति |
| 8 | संचार सुविधा | 2245-02-112-0004- संचार उपकरणों का क्रय |

विश्वासभाजन,

(आर0 के0 सिंह)
प्रधान सचिव

अनुलग्नक 26. जिले कासंचार तंत्र :-

| क्र0 | पदनाम | मोबाईल नं0 |
|---|---|---|
| 1 | आयुक्त, मगध प्रमण्डल, औरंगाबाद | |
| 2 | पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, औरंगाबाद | |
| 3 | जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद | 9473191261 |
| 4 | पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद | 9431822974 |
| 5 | अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद | 9473191262 |
| 6 | उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद | 9431818354 |
| 7 | अपर समाहर्त्ता– सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, औरंगाबाद | 9470275064 |
| 10 | असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद | 9470003061 |
| 11 | जिला पंचायती राज पदाधिकारी, औरंगाबाद | 9431071977 |
| 12 | आयुक्त के सचिव, मगध प्रमंडल, औरंगाबाद | |
| 13 | उप निर्वाचन पदाधिकारी, औरंगाबाद | 8544429874<br>9939594063 |
| 14 | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद | 8544412304 |
| 20 | वरीय उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद–सह–प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, औरंगाबाद | 9431488311<br>7903033779 |
| 21 | सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई, औरंगाबाद | 7004039558 |
| 24 | वरीय उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद–सह–प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, औरंगाबाद | 9560469515 |
| 25 | वरीय उप समाहर्त्ता, बैंकिंग, औरंगाबाद | 6206076799 |
| 26 | प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा/नोडल पदाधिकारी, मद्य नषेद्य, औरंगाबाद | 9473400610 |
| 27 | जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद | 9431455882 |
| 28 | संयुक्त वार्णिज्य कर उपायुक्त, औरंगाबाद | 9470001731 |
| 29 | जिला अवर निबंधक, औरंगाबाद | 9110036358 |
| 30 | जिला योजना पदाधिकारी, औरंगाबाद | 7739909461 |
| 31 | जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, औरंगाबाद | 9771550065 |
| 33 | जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,(आइ0सी0डी0एस0) औरंगाबाद | 9431005027 |
| 34 | जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद | 7254968285 |
| 35 | जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद | 6287594802<br>9936801486 |
| 36 | जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, औरंगाबाद | 8092481072 |
| 37 | डी0एस0पी0, विशेष शाखा, औरंगाबाद | 8544428455 |
| 40 | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद | 8809068049 |
| 41 | जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद | 7857093563 |

| | | |
|---|---|---|
| 42 | जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद | 8544411020 |
| 43 | सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, औरंगाबाद | 9407113454 |
| 44 | कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद | 9431204248 |
| 45 | कार्यपालक दंडाधिकारी, सदर, औरंगाबाद | 9473191263 |
| 46 | जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, औरंगाबाद | 9470844365 |
| 47 | जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद | 9431818737 |
| 48 | सहायक निदेशक, उद्यान, औरंगाबाद | 8340254103 |
| 49 | जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद | 7488319142 |
| 50 | जिला नियोजन पदाधिकारी, औरंगाबाद | 9304873203 |
| 52 | जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद | 8862917738 |
| 53 | अधीक्षक, बच्चा जेल, औरंगाबाद | |
| 54 | जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, औरंगाबाद | 6203474711 |
| 55 | जिला पशुपालन पदाधिकारी, औरंगाबाद | 6202795213 |
| 56 | डी0पी0एम0, जीविका, औरंगाबाद | 8210807348 |
| 57 | अग्रणी बैंक प्रबंधक, औरंगाबाद | |
| 58 | प्रबंधक, डी0आर0सी0सी0, औरंगाबाद | 7903314070 |
| 59 | जिला मत्स्य पदाधिकारी, औरंगाबाद | 9473191584 |
| 60 | वन प्रमंडल, पदाधिकारी,, औरंगाबाद | 9430890671 |
| 61 | श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद | 8210060477 |
| 62 | जिला खनन पदाधिकारी, औरंगाबाद | 9955328191 |
| 63 | अपर सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी , औरंगाबाद | 9470844365<br>8709898204 |
| 64 | अधीक्षक, मद्य निषेद्य, औरंगाबाद | 9473400610 |
| 66 | सहायक निदेशक, कृषि अभियंता–सह– परियोजना निदेशक, आत्मा, औरंगाबाद | 7352084099 |
| 68 | अधीक्षक, केन्द्रीय कारा औरंगाबाद | 7907913230 |
| 69 | माप–तौल पदाधिकारी, औरंगाबाद(प्रभार में) | 9431049294 |
| 70 | निरीक्षक, माप–तौल, औरंगाबाद अतिरिक्त | 9905292511 |
| 72 | उत्पाद निरीक्षक, औरंगाबाद | 9431664800 |
| 73 | जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, औरंगाबाद | 9262820941 |
| 75 | जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, औरंगाबाद | 9262820941 |
| 79 | जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, औरंगाबाद | 9473191910 |
| 82 | पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), औरंगाबाद | 8340194231<br>8544428455 |
| 85 | मोटरयान निरीक्षक, औरंगाबाद | 9835804841 |
| 86 | प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारिता बैंक, औरंगाबाद | |

| | | |
|---|---|---|
| 87 | सिटी मैनेजर, नगर निगम, औरंगाबाद | |
| 88 | जिला अग्निशामक पदाधिकारी, औरंगाबाद | 9473191910 |
| 89 | कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, औरंगाबाद | 9431471353 |
| 90 | कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, दाउदनगर | 9472333385 |
| 91 | सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, औरंगाबाद | |
| 92 | कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी, औरंगाबाद | |
| 93 | जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, औरंगाबाद | |
| 94 | कार्यपालक दण्डाधिकारी, औरंगाबाद | |
| 95 | प्रबंधक, सदर अस्पताल, औरंगाबाद | 8603057660 |
| 96 | डी0पी0एम0, स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद | 9473191867 |
| 97 | पाट प्रसार पदाधिकारी, पाट कार्यालय, औरंगाबाद | |
| 98 | पाठ प्रसार पर्यवेक्षक, संयुक्त कृषि निदेशक, कार्यालय, औरंगाबाद | |
| 99 | मत्स्य पर्यवेक्षक, जिला मत्स्य कार्यालय, औरंगाबाद | 9473191584 |
| 100 | कार्यपालक दंडाधिकारी, औरंगाबाद | |
| 101 | सहायक अनुसंधान पदाधिकारी मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, औरंगाबाद | |
| 102 | सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, औरंगाबाद | |
| 103 | कौशल प्रबंधक, जिला परामर्श केन्द्र, औरंगाबाद | |
| 104 | सहायक प्रबंधक, इंडियन ऑल, औरंगाबाद | |
| 105 | उप परियोजना निदेशक, आत्मा, औरंगाबाद | |
| 106 | स्टेशन कमांडर, चूनापुर सैन्य हवाई अड्डा, औरंगाबाद | |
| 107 | खाद्य निरीक्षक, औरंगाबाद | |
| 108 | महिला हेल्प लाईन, पूर्णिया, परियोजना औरंगाबाद | |
| 109 | डी0डी0एम0, नाबार्ड, औरंगाबाद I | |
| 110 | अनुमण्डलीय लोक अभियोजन पदाधिकारी, औरंगाबाद | |
| 111 | सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी, औरंगाबाद | |
| 112 | सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी, औरंगाबाद | |
| 113 | जिला प्रबंधक, बुनियादी केन्द्र, औरंगाबाद | |
| 114 | नेहरू युवा केन्द्र, औरंगाबाद | 9166046163 |
| 115 | महिला बाल विकास मंत्रालय, औरंगाबाद | |
| 116 | सी0एम0एच0आर0 गेस्ट हाउस, औरंगाबाद | |
| 117 | एस0एस0बी0 कमांडेंट, औरंगाबाद | |
| 118 | प्रभारी स्कॉर्ट एण्ड गाईड, औरंगाबाद | 9431256364 |
| 119 | एन0सी0सी0, औरंगाबाद ऑफिस | 9849301374 |
| 120 | डी0जी0एम0, पावरग्रीड, औरंगाबाद | |
| 121 | वन सरक्षक, औरंगाबाद | |
| 125 | जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद | 9473191867 |
| 126 | जी0एम0, फ्रोजेन सीमेन स्टेशन, औरंगाबाद | |
| 127 | सलाहकार, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, औरंगाबाद | 8210968404 |

| जिले में पदस्थापित अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारी का नाम एवं मोबाईल नं0। | | |
|---|---|---|
| क्र0 | नाम एवं पदनाम | मोबाईल नं0 |
| 1 | अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर | 9473191263 |
| 2 | अपर अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर | 6299239901 |
| 3 | अनुमण्डल पदाधिकारी, दाउदनगर | 9473191264 |
| 4 | अपर अनुमण्डल पदाधिकारी, दाउदनगर | 8178216188 |
| 5 | अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर | 9431800106 |
| 6 | पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), औरंगाबाद | 8340194231 |
| 7 | अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दाउदनगर | 9431800105 |
| 8 | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद | 8544412304 |
| 9 | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दाउदनगर | 8544412305<br>9939978075 |

| क्र0 | पदनाम | सरकारी मोबाईल नं0 |
|---|---|---|
| 1 | अंचल अधिकारी, औरंगाबाद | 8544412420<br>7979713934 |
| 2 | अंचल अधिकारी, बारूण | 8544412421<br>9560331232 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | अंचल अधिकारी, नवीनगर | 8544412427<br>7004521571 |
| 4 | अंचल अधिकारी, गोह | 8544412430<br>9810154748 |
| 5 | अंचल अधिकारी, हसपुरा | 8544412431<br>7250463343 |
| 6 | अंचल अधिकारी, दाउदनगर | 8544412429<br>8292284009 |
| 7 | अंचल अधिकारी, ओबरा | 8544412432<br>9931064401 |
| 8 | अंचल अधिकारी, देव | 8544412422<br>7488059544 |
| 9 | अंचल अधिकारी, मदनपुर | 8544412426<br>7482878027 |
| 10 | अंचल अधिकारी, रफीगंज | 8544412428<br>9102962758 |
| 11 | अंचल अधिकारी, कुटुम्बा | 8544412423<br>9968407593 |

| क्र0 | पदनाम | सरकारी मोबाईल नं0 |
|---|---|---|
| 1 | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद | 9431818098<br>9334009061 |
| 2 | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारूण | 7492855085<br>9471006379 |
| 3 | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नवीनगर | 9431818496<br>9931806734 |
| 4 | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुटुम्बा | 7979931425 |
| 5 | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देव | 9471006378<br>9473436952 |
| 6 | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मदनपुर | 9431818095<br>9110186004 |
| 7 | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रफीगंज | 9431818498<br>7541858687 |
| 8 | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ओबरा | 9431818101<br>7979819764 |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दाउदनगर | 9431818097<br>7091981260 |
| 10 | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हसपुरा | 9431818497<br>7667741339 |
| 11 | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोह | 9431818102<br>9534692173 |